खण्ड-131, अंक-8
मंगलवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(16 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री

कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री

गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री,
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री,
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री

पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअवन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद गौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़ा हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरमेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजराज मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री

श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

[९ मार्च, १९५४ के स्थगित प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश का सुरक्षित कोष

*१—**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षित कोष में कितना धन है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह उम्मीद की जाती है कि चालू साल के खत्म होने तक इसमें ७,११,१०,००० रु० की रकम बाकी रहेगी।

*२—**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब से स्वतंत्रता मिली है तब से इस वर्ष तक कुल कितना रुपया सुरक्षित कोष से निकाला गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम— ७,८०,२९,५०० रु०।

*३—**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय सरकार को कितना कर्जा देना है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक कर्ज की कुल रकम ७५,०५,६९,००० रु० होगी और यह रक़म पूरी की पूरी अदा करनी पड़ेगी।

* * *

रिहन्द बांध योजना

[illegible]—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध कितने वर्षों में पूरा होगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह उम्मीद की जाती है कि पूरे जोर से काम [illegible] होने के ५ साल में रिहन्द बांध पूरा हो जावेगा। इसके लिये रुपया [illegible] में शामिल कर दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि इस [illegible] से बिजली १९५९ तक मिल सकेगी।

[illegible]—श्री लालबहादुर सिंह—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि ऊपर के [illegible] में Transmission Line भी लग जायेंगी ?

श्री सैयद अली जहीर—बिजली को काम में लाने के लिये ट्रान्समिशन लाइन [illegible] तक पूरी हो जावेंगी।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रदेश को [illegible] और [illegible] दूसरे प्रदेश को भी फायदा होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जहाँ तक मेरा ख्याल है, बिहार और विन्ध्य प्रदेश को [illegible] पहुंचेगा।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन प्रदेशों की [illegible] तय किया है कि इस योजना में वह कुछ सहायता देंगी ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये तो काफी रुपया सेन्टर से आ रहा है [illegible] इन सरकारों से न तो कोई सहायता मांगी गयी है और न ख्याल है कि वह [illegible]

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस योजना से प्रतापगढ़ को भी बिजली देने की बात है ?

श्री सैयद अली जहीर—बहुत से जिले हैं मुमकिन है उनमें प्रतापगढ़ भी हो। इस [illegible] पास नहीं हैं।

श्री [illegible] मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस [illegible] शोर से काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो रुपया मिलने के ऊपर है।

श्री [illegible] शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके [illegible] योजना के अन्दर अतरौला में भी आप कोई लाइन लाने का इरादा कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने इसका जवाब दिया कि वह बहुत से जिलों में [illegible] के नाम इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस योजना में अभी तक कितना काम हुआ है और कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---क्या यह सही है कि अभी हाल ही में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इस योजना की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार को ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि कुछ पाश्चात्य ऐक्सपर्ट्स ने वहाँ का सर्वे किया, यदि हाँ, तो उनकी राय क्या थी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह जब इतनी बड़ी स्कीम है तो उस पर काम करने के लिये अवश्य ही सर्वे हुआ होगा, लेकिन उनकी क्या राय हुई यह मुझे इस वक्त मालूम नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे जितने वर्षों तक रिहन्द डैम पूरा नहीं होगा तब तक पड़ोस के जिलों में बिजली के लिये लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका सम्बन्ध इस सवाल से नहीं है, यह आप अलहैदा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--- ट्रान्समिशन लाइन्स बनाने का काम कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--- यह इस वक्त नहीं बताया जा सकता।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र से कुल खर्चे का कितना हिस्सा मिल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस साल ४ करोड़ मिलने की उम्मीद है लेकिन आइन्दा के बारे में अभी कुछ तय नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बतलायेगी कि सरकार क्या इस पर भी गौर कर रही है कि कैदियों का कैम्प डाल कर या श्रमदान के जरिये से इस काम को आगे बढ़ाया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका ताल्लुक भी इस सवाल से नहीं मालूम होता, अगर अलहैदा से पूछा जायगा तो बताया जा सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां---(माननीय अध्यक्ष को संबोधन करते हुए) इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वे अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसका फैसला तो मेरा ही होगा। इसके द्वारा मेरे ऊपर आक्षेप करने की चेष्टा नहीं हो रही है।

* * * *

राज्य सम्पत्ति पदाधिकारियों में वृद्धि

*९---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि क्या राज्य सम्पत्ति पदाधिकारियों की तादाद बढ़ाई गई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हाँ। एक अपर डिवीजन असिस्टेंट की हाल में नियुक्ति हुई है।

१ ...—श्री उमाशंकर—क्या ... यह ... कि विधायक निवास में फ्रि... कम की गई है? यदि हाँ, ...

...ी सैयद अली जहीर—जी नहीं।

...ी उमाशंकर—क्या सरकार ... के ... के ऊपर डिवीजन अलिमन्टेट ... जरूरत क्यों पड़ गयी?

...ी सैयद अली जहीर—इस ...ये कि कमी पड़ गयी।

...ी रामसुन्दर पांडेय (जिला ...)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बता ...े कि इस आफीसर को नियुक्त ... कितने रुपये ... का खर्चा पड़ता है?

...ी सैयद अली जहीर—ऊपर ... इजाफा हुआ है।

...ी उमाशंकर—क्या सरकार ... बतायेगी कि पहले कितने कमरों पर एक ... था और अब कितने कमरों पर एक?

...ी सैयद अली जहीर—मेरे ... कमी नहीं हुई है।

...ी रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायें ... कमेटी ने इस्टेट आफिसर ... सिफारिश की है?

...ी सैयद अली जहीर—यह ... सामने है आप उसमें से पढ़ सकते हैं।

दारुलशफ़ा विधायक निवास में पंखा होटल और रेस्टूरां

१ ...—श्री बद्री नारायण मि...—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दारुलशफ़ा ... में जो होटल और रेस्टूरां वाले हैं उनसे कितना किराया लिया जाता है

...ी सैयद अली जहीर—दारुलशफ़ा विधायक निवास में जो होटल और रेस्टूरां वाले ... किराया नहीं लिया जाता।

...ी बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि किराया क्यों ... जाता?

...ी सैयद अली जहीर—मेरे ... लिये आसानी मुहैया करने के लिये किराया ... जाता।

...ी मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी—होटल में जो पंखे लगे हैं उनका किराया आप लेते हैं जब कि वे पंखे नहीं चलते हैं?

...ी सैयद अली जहीर—यह तो बुक्तलिफ़ किस्म के चार्जेज वहां लिये जाते हैं ... को आसानियाँ और तरह का होटल में पाई जाती हैं जैसे पंखे रोशनी सब ... अलग अलग होटलों से अलग अलग रकम ली जाती है।

...ी मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी—... सवाल सीधा था उसका जवाब ...

...ी अध्यक्ष—जैसा जवाब ... दे दिया।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---क्या वजीर साहब मेहरबानी फरमाकर यह बतलायेंगे कि उन पंखों का किराया साल भर में कितना लिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मुझे नहीं मालूम है कि पंखे का अलग कितना किराया है लेकिन यह मालूम है कि होटलों को पंखे, बिजली वगैरह जो अलग अलग चीजें मुहय्या की जाती हैं उनसे कितना किराया लिया जाता है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये दारुलशफा के होटल असेम्बली बन्द हो जाने के बाद भी चलते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर मेंबर वहां रहते हैं तो जाहिर है कि उनके लिये होटल भी जरूर रहते हैं ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---क्या कभी इन होटलों के भोजन और सर्विसेज का भी निरीक्षण किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरा खयाल है कि मेम्बरों की एक कमेटी बन गयी है जो प्रापर सुपरवीजन करती है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी विधायक निवास में सरकार की तरफ से कोई होटल खुलवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री सैयदअली जहीर---इस वक्त तो ऐसा कोई खयाल नहीं है ।

* * * *

लखनऊ बिजलीघर के स्थानान्तरण विषयक परिप्रश्न

*१२---**श्री लालबहादुर सिंह**---क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि लखनऊ शहर का बिजली पावर हाउस यहां से हटा कर किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा जिससे नलकूपों को बिजली मिल सके ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं ।

* * * *

तारांकित प्रश्न

१९५१-५२ में राज्य में सरकारी रुपये का ग़बन

*१---**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आर्थिक वर्ष ५१-५२ में उत्तर प्रदेश के जिलेवार व विभागवार कितना सरकारी रुपये का गबन है ?

श्री सैयद अली जहीर---वित्तीय वर्ष (फाइनेन्शियल इअर) १९५१-५२ में गबन की गई सरकारी धराशियों का जिलेवार वह विभागवार अलग-अलग एक विवरणपत्र (स्टेटमेंट) मेज पर रख दिया गया है। कुल गवन की गई धनराशि ४,८८,५०६-१०-४ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३७-६४५ पर)

*२---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन गबनों के सिलसिले में कितनों पर मुकदमे चलाये गये ?

श्री [illegible] अली जहीर—इन गबनों के सिलसिले में ९२ कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये गये।

श्री [illegible] सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन [illegible] कर्मचारियों [illegible] पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं कितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और कितने दूसरे कर्मचारी हैं ?

श्री [illegible] अली जहीर—यह तफसील तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री [illegible] सहाय—क्या सरकार डिपार्टमेंटल हेड्स के सुपरवीजन की कमी के कारण उनपर कोई ऐक्शन लेने की बात पर विचार करेगी ?

श्री [illegible] अली जहीर—जो जरूरी ऐक्शन होगा वह जरूर लिया जायगा।

श्री [illegible] शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किस जिले में [illegible] गबन हुआ है ?

श्री [illegible] अली जहीर—यह तो आप को उस फेहरिस्त में मालूम हो जायगा। [illegible] जिले का दिया हुआ है।

श्री [illegible] नन्दन विभव (जिला आगरा)—जो रुपया गबन हुआ है उसको रिकवर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये और कितना रुपया रिकवर हुआ ?

श्री [illegible] अली जहीर—जी नहीं। जो रुपया रिकवर हुआ उसके मुताल्लिक हमारे पास इतना नहीं है।

श्री [illegible] सिंह (जिला देवरिया)—क्या गबन करने वालों में से ऐसे लोग भी हैं जो तहसील के [illegible] हैं और जो तहसील के खजानों में गबन हुये वह रकम भी इसमें शामिल है ?

श्री [illegible] अली जहीर—मेरे खयाल में वह भी शामिल होगी।

श्री [illegible] मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि [illegible] पर मुकदमे चलाये गये उनमें से कितनों को सजा हुई, कितने छूट गये और कितनों पर [illegible] मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री [illegible] अली जहीर—यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

* * * *

अंजुमन चपरासियान की मांगें

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या अंजुमन चपरासियान की ओर से वित्त मन्त्री के सामने [illegible] ही में कोई मांगें उनके डेपुटेशन द्वारा रखी गयी थीं ? अगर हां, तो उन मांगों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री [illegible] अली जहीर—जी हां। अंजुमन चपरासियान ऐसी संस्था है जो [illegible] है। फिर भी अंजुमन ने जो मांगें रक्खी हैं उन पर सरकार एक खास [illegible] विचार कर रही है।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त डेपुटेशन ने इस बात की भी गम्भीर शिकायत की थी कि कुछ बड़े-बड़े अफसर चपरासियों से निजी काम लिया करते हैं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—डेपुटेशन ने कुछ अफसरों के खिलाफ यह शिकायत की है कि वे अपने चपरासियों से अपना निजी काम लिया करते हैं । इस मामले पर भी सम्बन्धित विभागों में विचार किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस अंजुमने चपरासियान के डेपूटेशन ने क्या-क्या मांगें सरकार के सामने रखी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—एक तो यह है कि उनको डियरनेस एलाउंस और तनख्वाह जो गवर्नमेंट आफ इंडिया में मिलती है वही यहां दी जाय । दूसरा उसके बाद कहा है कि पहाड़ों पर जो जाड़े का एलाउंस उनको मिलता है वह उनको पहाड़ों पर मिला करे । तीसरा यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो एलाउंस उनको मिलता है वही उनको हर जगह मिलता रहे । चौथा हिल एरिया में जो २५ फीसदी पहाड़ पर रहने का तथा ३० फीसदी जाड़े का एलाउंस मिलता है वह जितने मुलाजिमीन हैं उन सबको मिले । इस तरह की डिमान्ड्स हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उनकी इस मांग पर कि ६० रुपये तक वेतन पाने वालों के बच्चों को हाईस्कूल तक फ्री शिक्षा मिलनी चाहिये इस पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो गालिबन एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है। वह अभी इस पर गौर कर रहे हैं । फाइनेंस में इस पर गौर नहीं हो रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह डेपुटेशन उनसे कब मिला था ?

श्री सैयद अली जहीर—१९ जुलाई, १९५३ को ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बात पर उन्होंने कोई जांच की है कि इन चपरासियों से निजी काम लिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मैंने बता दिया कि यह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको लिख दिया गया है और वह इसपर गौर कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि इन अंजुमन चपरासियान पर सरकार कब विचार पूरा कर लेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है और जितनी डिमान्ड्स इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं उनपर विचार कर लिया गया है और यह राय हुई है कि उनकी जो मांगें हैं वह नहीं मानी जा सकती हैं ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अन्जुमन का सभापति कौन है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो कहा कि यह अंजुमन रिकगनाइज्ड नहीं है और इस वक्त मेरे पास इत्तला भी नहीं है ।

डा० शिवानन्दन (जिला जौनपुर)—क्या वन चरागाह विभाग के डेपुटेशन ने छुट्टियों में कटौती की मांग की है ?

श्री अली जहीर—यह मेरे संज्ञान में नहीं आया है।

डा० शिवानन्द शाहिद फाखरी—क्या जिला बलिया में जंगली जानवरों का आक्रमण फिर से शुरू हो गया है और उन्होंने भी मतालिबा किया था कि हमारे काम करने के घंटे मुकर्रर कर दिये जायें और उससे ज्यादा हमसे काम न लिया जाय ?

श्री अली जहीर—मैंने अर्ज किया था कि इस किस्म की डिमांड है चूंकि इस चीज का संबंध जनता से है इसलिये हर डिपार्टमेंट के हेड्स से राय मांगी गई है वह भेज दी गई है।

नैनीताल में राजकीय कर्मचारियों के लिये हिल एलाउन्स की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को पता है कि नैनीताल में स्थित केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियों को हिल श्रेणी क्षेत्रों के समान भत्ता हिल एलाउन्स की मांग आई है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अली जहीर—सवाल के पहले हिस्से का जवाब नहीं में है। इसलिये दूसरे के जवाब देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या चिकित्सा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिल एलाउन्स देने का क्या नियम है ?

श्री अली जहीर—सन् १९ में यह फैसला हुआ था कि जो कुछ उनको दिये जा रहे हैं वह गलत है और वह बन्द कर देने चाहियें। उसके बाद से रुपया रोक कर हो रहे हैं उनको बन्द किया जा रहा है और अब आगे इस किस्म के एलाउन्स देने का इरादा नहीं है। इसके अलावा इसके नियमों के लिये सूचना की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सन् १९५० से यह हिल एलाउन्स बन्द किया गया है या कर्मचारियों के लिये बन्द किया गया है ?

श्री अली जहीर—जो चपरासी पहाड़ों पर काम करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या चपरासियों के अलावा और सरकारी कर्मचारियों को भी उसका मिलता है।

श्री अली जहीर—इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है।

* * * *

मऊ के बिजली घर से बलिया शहर को बिजली

श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि मऊ के बिजली घर से बलिया शहर को बिजली देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*२६--श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ के पावर हाउस से बलिया जिलेमें बनने वाले सारे ट्यूबवेलों को आवश्यक बिजली मिल सकेगी या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां । इस समय तक जितने ट्यूबवेल बलिया जिले में बनने के लिये हैं उन को आवश्यक बिजली मऊ पावर हाउस से मिल सकेगी ।

* * * *

आजमगढ़ पावर हाउस के इंजन का रुपया

*३७---श्री उमाशंकर---क्या पिछले बजट द्वारा मंजूर आजमगढ़ पावर हाउस के लिये इंजन का रुपया खर्च हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि अब भी आजमगढ़ शहर में रोशनी का कहत पड़ा हुआ है और दूसरे कामों के लिये भी बिजली नहीं मिल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं । इस वक्त तो इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

श्री उमाशंकर---क्या आजमगढ़ शहर से स्टेशन तक रोशनी का प्रबन्ध नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर---सवाल तो किया गया था इंजन के मुताल्लिक और उसका जवाब मैंने दे दिया । वहां रोशनी के लिये क्या है अगर इसके लिये आप सवाल करें तो हम दरियाफ्त करके बतला देंगे ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि रोशनी की कमी या ज्यादती के मुताल्लिक जो शिकायतें आती हैं वह यू० पी० के ऐलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास आती हैं और उन पर इस साल कोई तहकीकात नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष---आप की इत्तिला उनके पास पहुंच गयी । मैं समझता हूं कि आप का कोई सवाल नहीं है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इंजन का कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर---३,१४७ रु० खर्च हुये हैं ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह इंजन देशी है या विदेशी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी इत्तिला नहीं है ।

* * * *

कुटीर उद्योग--धंधों पर से सुपर टैक्स हटाना

*३६---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार कुटीर उद्योग धन्धों पर से २५ प्रतिशत बिजली पर लगे हुये Super Tax को हटाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---इन धन्धों पर बिजली टैक्स कम करने पर विचार हो रहा है ।

श्री लक्ष्मन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या उन्होंने [illegible] किये हैं कि इन काटेज इंडस्ट्रीज पर से सेवी हटाने से सरकार को [illegible] होगी ?

श्री रामो जहीर---यह मैंने अर्ज किया कि अभी इस पर विचार हो रहा है [illegible] के सिलसिले में इसपर भी गौर किया जायगा ।

* * *

भखरा डैम से बिजली

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बलरामपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि पश्चिमी जिलों में पहुंचाई जाने वाली बिजली अब तक इन जिलों में पहुंचाई [illegible] ?

श्री रामो जहीर---भखरा डैम से बिजली दिलाने की अभी कोई उम्मीद [illegible] इसकी जरूरत है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने [illegible] उम्मीद नहीं है तो वह उम्मीद कब तक होगी ?

श्री रामो जहीर---भखरा डैम जल्द तैयार हो जायेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय वित्त [illegible] इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि [illegible] ही भखरा डैम की बिजली [illegible] दिये जाने का विचार है ?

श्री रामो जहीर---मेरे पास इसका [illegible] नहीं है ।

श्री लक्ष्मन विभव---माननीय मंत्री जी ने जो [illegible] अभी कहा है कि पश्चिमी [illegible] बिजली सप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो वह जरा स्पष्ट कर दें कि उनका [illegible]

श्री रामो जहीर---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस साधारण शब्द का अर्थ समझ [illegible] आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामप्रमाण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके [illegible] कही है कि भखरा डैम से बिजली की समीक्षा में बारदा हाइडल प्रोजेक्ट [illegible] दिया था ?

श्री रामो जहीर---जी नहीं मुझे कोई इसकी [illegible] नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि [illegible] जरूरत नहीं है" यह जो मंत्री जी [illegible] इसके सम्बन्ध में कोई आंकड़े पश्चिमी [illegible] गये हैं ?

श्री रामो जहीर---जी हां । आंकड़े तैयार हुये हैं [illegible] यह है कि हमारे सूबे [illegible] बिजली तैयार होगी वह वहां [illegible] जरूरतें पूरा करने के लायक होगी ।

श्री रामकृष्ण महरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा [illegible] हाउस पश्चिमी जिलों को बिजली सप्लाई करेगा ?

श्री अध्यक्ष——यह उत्पन्न नहीं होता है । यह तो भखरा का है ।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भखरा डैम कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री अध्यक्ष——यह उत्पन्न नहीं होता । इसलिये कि भखरा डैम गवर्नमेंट के मातहत नहीं है ।

श्री श्रीचन्द——क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि भखरा डैम से पूर्वी जमुना नहर में पानी बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय ?

श्री अध्यक्ष——इस प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उससे उत्पन्न नहीं होता है वह इंकार कर रहे हैं ।

बनबसा पावर हाउस के तैयार होने का समय

*४१——श्री रामचन्द्र विकल——क्या सरकार यह बतायेगी कि बनबसा पावर हाउस कब तक तैयार होगा और उससे प्रान्त में किस-किस भाग में सिंचाई होगी ?

श्री सैयद अली जहीर——आशा है कि बनबसा पावर हाउस (सारदा पावर हाउस) १९५५-५६ तक पूरा हो जायेगा। इस पावर हाउस से बिजली अल्मोड़ा, नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, हरदोई तथा लखनऊ जिलों में दी जायेगी ।

इस बिजली से शाहजहांपुर, सीतापुर और खेरी जिलों में सरकारी ट्यूबवेल भी चलाये जायेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि इस पावर हाउस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर——१२,२७,००,००० के करीब ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह पावर हाउस कब तक बनकर तैयार होने वाल था ?

श्री अध्यक्ष——यह प्रश्न तो समझ में आने लायक नहीं है । फिर से आप ठीक करके पूछें ।

श्री नवलकिशोर——दूसरा प्रश्न पूछता हूं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पावर हाउस में जो पहली टरबाइन है वह कब तक हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर——जी हां । यह उम्मीद है कि शारदा हाइडल स्कीम में जून, १९५४ तक हो जायगी।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा बुलंदशहर की तरफ बिजली की लाइन लाने में ऐसा बड़ा पहाड़ या जौहड़ पड़ता है जिसकी वजह से लाइन नहीं आ सकती है ?

श्री अध्यक्ष——यह आप विवाद की बात कह रहे हैं । यदि सीधा प्रश्न पूछें तो मैं इजाजत दे दूं ।

श्री [illegible] सिंह—आपको इस तरफ [illegible] जाने में क्या कठिनाई थी ?

श्री [illegible]ली जहीर—इस तरफ के [illegible] में नहीं समझा । मैंने बतला दिया [illegible] जायगी ।

श्री [illegible] सिंह—इस तरफ से मेरा अभिप्राय पश्चिमी जिलों से है ।

श्री [illegible]—वह तो उनके उत्तर में [illegible] होंगे ।

श्री [illegible] वर्मा (जिला हमीरपुर)—यह [illegible] हाउस निश्चित समय पर [illegible] ?

श्री [illegible]ली जहीर—मुझे अफसोस [illegible] कि मुझे मालूम नहीं है कि इसका निश्चित [illegible] लेकिन यह मैंने बतला दिया है कि १५-१६ तक होगा ।

* * *

सन् १९५२-५३ में रिहन्द बांध पर व्यय

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या [illegible] करेंगे बतायेंगी कि सन् १९५२-५३ में रिहन्द बांध पर कितने रुपये का काम [illegible] हुआ ?

श्री [illegible]ली जहीर—रिहन्द बांध [illegible] काम पर अप्रैल, १९५२ से अगस्त, १९५३ तक १,१५,९४७ रुपया खर्च हुआ ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि इन निर्माण-कार्यों में कितने कर्मचारियों पर कितना खर्च करना पड़ा ?

श्री [illegible]ली जहीर—इस काम [illegible] कराने में सरकारी कर्मचारियों पर अप्रैल, १९५३ तक २ लाख रुपया खर्च हुआ ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या यह सच है कि गत जून, सन् १९५३ से वहां [illegible]

श्री [illegible]ली जहीर—जी नहीं ।

श्री [illegible] किशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस के काम को देखते हुए [illegible] रखा गया था वह कुछ ज्यादा था ?

श्री [illegible]ली जहीर—गालिबन उस [illegible] तो नहीं था । अगर आप के पास कोई [illegible] की तफसील आप दें । उसकी जांच की जाय ।

श्री [illegible]हारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी [illegible] करते हैं ?

श्री [illegible]ली जहीर—रिहैंड डैम का काम करते हैं ।

श्री [illegible]साद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस [illegible] कितने मजदूरों ने काम किया ?

श्री [illegible]ली जहीर—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि यह रकम जो खर्च हो चुकी है, इसका आडिट कराया जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर किस इंजीनियर के चार्ज में काम हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है ।

मंगलवार १६ मार्च, १९५४

तारांकित प्रश्न

गरजिया, जिला नैनीताल में कोसी नदी पर पुल की आवश्यकता

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि गरजिया, जिला नैनीताल में कोसी नदी पर पुल न होने के कारण इलाके की जनता को रामनगर मंडी से आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—हर साल जाड़ों में एक कच्चा पुल बनाया जाता है जो बरसात के मौसम में उतार लिया जाता है। जनता को सिर्फ बरसात में असुविधा रहती है।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस गरजिया नामक स्थान पर दो साल पहले तक पुल बना हुआ था पर उसकी मरम्मत न होने से वह नष्टप्राय हो गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। इस स्थान पर पहले कभी एक पुल था, जो १९१० ई० में बह गया बताया जाता है।

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गरजिया पुल की मरम्मत कब तक हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस स्थान पर इस समय कोई पुल ही नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस स्थान पर इस समय जबकि जाड़े का मौसम खत्म हो रहा है, जब कोई पुल नहीं है, तो माननीय मंत्री जी का पहला सवाल कैसे सही माना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है । दोनों में से कौन-सा सही है यह तो आप पूछ सकते हैं । लेकिन विवाद नहीं कर सकते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पहले और दूसरे सवाल में से कौन-सा सवाल सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दोनों सही हैं । पहले से मतलब यह है कि जैसा वह कहते थे कि वहां कोई पुल था तो वह कोई पुल नहीं है। जो आमतौर से बनाया जाता है बरसात के बाद, वह हर साल बनता है ।

श्री [illegible]रायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पिछले तीन [illegible] कोई कच्चा पुल भी नहीं है ?

श्री [illegible]तुभुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

जिला फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में नलकूप

[illegible] श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार २५-८-५३ [illegible] संख्या ५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि जिला [illegible] तहसील छिबरामऊ तथा कन्नौज में यह कहां-कहां ट्यूबवेल बनवा रही है ?

[illegible] सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---[illegible] स्थानों की एक सूची माननीय सदस्य की [illegible] पर [illegible] गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ [illegible] पर)

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल सूची में जिस गांव में दिया हुआ है उसी में बनेगा ?

श्री राममूर्ति---जी हाँ। या तो उस गांव में बनेगा या उस गांव के एरिया में किसी जगह बनेगा।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि ट्यूबवेल, जिस तहसील छिबरामऊ में, जैसा कि सूची में नौली में दिया हुआ है, उस गांव में नहीं बनाया गया है ?

श्री राममूर्ति---इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त है नहीं।

*[illegible]---श्री व्रजभूषण मिश्र---[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलने में विलम्ब

[illegible]---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि रिटायर्ड लोगों के पेन्शन के कागजात [illegible] समय में तैयार हो जाने चाहिये ?

श्री [illegible] अली जहीर---सरकारी नौकरों को रिटायर होने की तारीख के छः महीने [illegible] दरख्वास्त देनी होती है और आम तौर से इस छः महीने के दौरान में [illegible] तैयार हो जाने चाहिये।

[illegible]---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार को पता है कि ऐसे बहुत से कागजात [illegible] से अधिक समय से Pending पड़े हुये हैं ?

श्री [illegible] अली जहीर---जी हाँ, लेकिन सरकार पेंशन के मामलों को और जल्दी [illegible] कोशिश कर रही है।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले [illegible] रिटायर हुये और उनमें से कितने लोगों को पेंशन मिलने लगी है।

श्री [illegible] अली जहीर---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी कर के बतलायेगी कि उसके पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि रिटायर होने वालों को दो दो वर्ष हो गये दरख्वास्तें गुजारे हुये लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं मिला है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हाँ । इसकी इत्तला पहुंची है और इसीलिये एक आफिसर आन स्पेशन ड्यूटी मुकर्रर किया गया है कि वह इन कामों को जहाँ तक हो सके जल्दी खत्म करने की कोशिश करे और पूरी कोशिश हो रही है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---क्या मंत्री साहब मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि इस स्पेशल आफिसर की नियुक्ति के बाद भी पहले जैसी शिकायत थी उससे ज्यादा मौजूद है ?

श्री सैयद अली जहीर---नहीं, अब तो जहाँ तक खयाल है बहुत जल्दी कोशिश हो रही है । लेकिन बाज मामलात में अगर किसी वजह से कोई इत्तिलात नहीं पहुंचती है तो उसकी वजह से देर हो जाती है । वह खास-खास मामलात होते हैं । लेकिन आमतौर पर अब उनमें इतनी ताखीर नहीं होती है जितनी पहले होती थी ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह आदेश देगी कि लोग एक साल पहले दरख्वास्त दें ताकि रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन फौरन मिलने लगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी तक तो गवर्नमेंट समझती है कि छः महीने काफी है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह बात सही है कि जो पेंशन पाने वाले थे वह मर गये और अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली है ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने अर्ज कर दिया कि साल भर से ज्यादा हुआ है । मुमकिन है कि ऐसे वाक़यात हो गये हों जिसका गवर्नमेंट को अफसोस है । लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि पाँच वर्ष तक हो गये हैं लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिली है ? इसकी कोई शिकायतें आयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं । ऐसी कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई ऐसी अवधि कायम कर दी है कि जिसके अन्दर पेंशन मिल जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---रूल के मुताबिक जब वह रिटायर हो जाय उसके एक महीने के बाद से पेंशन मिलनी चाहिये । इसी लिये छः महीने पहले दरख्वास्त ली जाती है । लेकिन जब उसके कागजात मुकम्मल नहीं होते तो उसमें देर होती है ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार मेहरबानी कर के यह बतलायेगी कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का कब तकर्रुर हुआ और तकर्रुर होने के बाद कितने केसेज उन्होंने डिस्पोज आफ किए ?

श्री सैयद अली जहीर---पूरी तादाद तो नहीं मालूम लेकिन यह मालूम है कि १३३ पुराने केसेज दिसम्बर से इस वक्त तक नये किये जा चुके हैं । लेकिन अभी कुछ मामले हैं जो बाक़ी हैं, उसमें भी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द तेजी से खत्म किये जायं ।

श्री [illegible]धारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि [illegible] के लिये अलग-अलग स्पेशल आफिसर नियुक्त किया जायगा ?

श्री [illegible] अली जहीर—यह तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामला है वही इसको तय [illegible] सकता [illegible]

श्री [illegible]यालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रूल्स के [illegible] के अन्दर जो पेंशन मिलनी चाहिए क्या कोई ऐसी मिसाल है कि एक महीने के [illegible] मिली हो ?

श्री [illegible] अली जहीर—मेरा खयाल है कि जरूर मिली होगी। इस वक्त तो मेरे [illegible] उसकी मिसाल नहीं है।

श्री [illegible]राम शुक्ल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि कितनी दरख्वास्तें विचारा[illegible]

श्री [illegible] अली जहीर—जी हां इस वक्त ५ वर्ष की १८ दरख्वास्तें हैं। ४ [illegible] दरख्वास्तें हैं, ३ वर्ष पुरानी ९ दरख्वास्तें हैं। २ वर्ष पुरानी ४१४ दरख्वास्तें [illegible] पुरानी ८९५ दरख्वास्तें हैं।

श्री [illegible]ज्भूषण मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह स्पेशल आफिसर [illegible] नियुक्त हुआ था ?

श्री [illegible] अली जहीर—दिसम्बर सन् १९५३ ई० में।

पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी

[illegible]—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वी यमुना नहर में पानी [illegible] हो रहा है जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ रही है ?

श्री [illegible]मूर्ति—यह सही नहीं है कि पूर्वी यमुना नहर में पानी दिन प्रति दिन [illegible] हाँ, ताजेवाला पर, जहाँ से उक्त नहर को पानी मिलता है, यमुना नदी में [illegible] वर्षों की अपेक्षा गत वर्ष ग्रीष्म काल में कुछ कम थी। इसके फलस्वरूप [illegible] कुछ हानि हुई, उन्हें समुचित छूट दे दी गई है।

[illegible]—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त नहर के रजबाहों को [illegible] मास में केवल एक सप्ताह चलाया गया जिससे किसानों की फसलों को बड़ी [illegible]

श्री [illegible]मूर्ति—साधारणतः गर्मियों में पूर्वी यमुना नहर के रजबहे [illegible] के अनुपात में [illegible] अनुसार इस नहर के लोअर डिवीजन में गत ग्रीष्म काल में भी रजबहे इसी प्रकार [illegible] उक्त नहर के अपर डिवीजन में रजबहे १ : ४ के अनुपात में चले और कहीं [illegible] सप्ताह चलाये गये तथा ५ सप्ताह बन्द रहे। इसके फलस्वरूप चारे की फसलों को [illegible] हुई है। इस क्षति के लिये नियमानुकूल छूट दे दी गयी।

[illegible]—श्री श्रीचन्द—उपर्युक्त नहर में पूरा पानी बढ़ाने के लिये सरकार क्या-क्या [illegible] ?

श्री राममूर्ति--मुख्य नहर को शनैः शनैः सुधारने का प्रस्ताव है। जो इकरार-नामा पंजाब सरकार के साथ ताजेवाला हेडवर्क्स पर यमुना नदी से जल लेने के सम्बन्ध में १९२५ से अब तक था उसमें भी संशोधन किया जा चुका है जो इस राज्य के लिये लाभप्रद सिद्ध होगा।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह छूट कहाँ कहां और कितनी कितनी दी गई ?

श्री राममूर्ति--मैंने अपने जवाब में अर्ज किया कि जिन जगहों में पानी कम है वहाँ पर किसानों को छूट दी गयी है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कि नहर में पानी कम नहीं है तो फिर क्या कारण है कि ५ हफ्तों में एक हफ्ता ही नहर को चलाया जाता है ?

श्री राममूर्ति--पानी नहर में कम होने के माने यह नहीं होते हैं कि जैसा माननीय सदस्य का खयाल है। पानी नहरों में रोस्टर के हिसाब से चलाया जाता है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार को ज्ञात है कि पहले इस नहर के रजबहे एक हफ्ता बन्द रहते थे और एक हफ्ता चलते थे ?

श्री राममूर्ति--हो सकता है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को मालूम है कि ५ हफ्ते में एक हफ्ता चलाने से आबपाशी ठीक ढ़ग से नहीं होती और पैदावार कम होती है ?

श्री राममूर्ति--यह तो जमीन की क़िस्मों पर निर्भर होता है अगर जमीन कम पानी पीती है तो एक सप्ताह से काम चल जाता है और अगर ज्यादा पानी पीती है तो २ सप्ताह चलाने की जरूरत होती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस बात की सूचना किसानों को देते हैं कि रजबहा कब चल जायगा ?

श्री राममूर्ति--यह उनको बतलाया जाता है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब के इक़रारनामे में क्या लिखा है ?

श्री राममूर्ति--पंजाब के इकरारनामे में यह है कि अगर किसी वक्त पानी कम मिलेगा तो बाद में उसको कम्पेन्सेट कर दिया जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर खेती को एक माह तक पानी न मिले तो वह सूख जाती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, मंत्री जी से इसको पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् ५० में इकरारनामे में क्या संशोधन हुआ है ?

श्री राममूर्ति--मैंने अभी अर्ज किया कि सन् ५० के इकरारनामे में ही यह दिया हुआ है कि अगर एक हफ्ते में पानी नही मिलता है तो दूसरे हफ्ते में उसको कम्पेन्सेट कर दिया जायगा।

किसानों पर आबपाशी की दरें

[illegible]—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किसानों पर आबपाशी की दरें बढ़ाई गयी हैं? यदि हाँ तो कब से?

श्री राममूर्ति—जी हाँ। पहली अप्रैल सन् १९५३ से।

[illegible]—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि दरें किसी निश्चित काल के लिये बढ़ाई गई हैं या अनिश्चित काल के लिये?

श्री राममूर्ति—सिंचाई की दरें प्रायः अनिश्चित काल के लिये ही बढ़ाई या घटाई जाती हैं किन्तु परिस्थिति के अनुसार यदि उन दरों के घटाये या बढ़ाये जाने की आवश्यकता होती है तो वह घटाई बढ़ाई जा सकती हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई की बढ़ाई हुई दरें दूसरी जिलों के मुकाबले में पश्चिमी जिलों में चार गुनी ज्यादा हैं?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य ने पूर्वी और पश्चिमी जिलों का जिक्र किया है अगर वे खास शहरों का जिक्र करें तो ब्योरेवार उत्तर दिया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी मेरठ जिले के आबपाशी के रेट्स बता सकेंगे?

श्री राममूर्ति—

[illegible]	रु०	आ०	पा०	फसल	रु०	आ०	पा०
[illegible]	३२	१	०	[illegible] सब्जी	[illegible]	०	०
[illegible]	१६	०	०	[illegible] के बागात	[illegible]	०	०
[illegible]	१२	०	०	[illegible]	४	८	०
[illegible]	३	०	०	[illegible]	[illegible]	०	०
[illegible]	९	०	०	[illegible] खरीफ की फसल	७	०	०

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि [illegible] के जिलों में पानी के क्या रेट्स हैं?

श्री राममूर्ति—बलिया और देवरिया में अगर पानी कुएँ से लिया जाता है तो पानी [illegible] प्रति रुपया है अगर किसी को नहर के फैसले से पानी मिलता है तो उनके लिये दूसरे रेट्स हैं या किसी को साल भर तक पानी नहीं मिलता तो वहाँ के रेट्स दूसरे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या [illegible] कि इन रेट्स के तीन चार गुने ज्यादा बढ़ जाने से पश्चिमी जिलों के किसानों [illegible]?

श्री राममूर्ति—जब टैक्सेज बढ़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को नागवारी [illegible]।

श्री [illegible] चन्द्र पांडेय—क्या मिर्जापुर में जो रेट्स बढ़ाये गये हैं उनमें यूनि-[illegible] नहीं [illegible] गयी?

श्री राममूर्ति--मैंने जनरल रेट्स के बारे में जिक्र किया कि सरकार की क्या नीति है। पानी का सवाल इस पर डिपेंड करता है कि पानी साल भर तक मिलता है या नहीं। अगर पानी साल भर तक मिलता है तो वहाँ रेट ज्यादा रक्खा गया है और अगर पानी कम मिलता तो वहाँ रेट घटा दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या आबपाशी की दर किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई है?

श्री राममूर्ति--जी हां।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन जिलों के किसानों के यहाँ से आबपाशी की दर कम करने के लिये अर्जियाँ आई हैं?

श्री राममूर्ति--मुझे जिलेवार तो इस वक्त मालूम नहीं है लेकिन चर्चा इस बात की है कि कुछ जिलों से दरख्वास्तें आयी हैं।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार इस बात पर गोर कर रही है कि जब पानी नहरों से कम मिलता है तो आबपाशी दर कम की जाय?

श्री राममूर्ति--अभी सिंचाई की दर बढ़ाई गई है इसलिये उसे कम करने का सवाल पैदा होता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आबपाशी की दर बढ़ाई गई है वह आज तक सदन के सामने नहीं रखी गयी है?

श्री राममूर्ति--इसकी मुझे ठीक इत्तिला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ४९-५० के मुकाबले में सन् ५३-५४ में कितने गुना सिंचाई की दर बढ़ाई गई है?

श्री राममूर्ति--पहले सिंचाई दर गन्ना के लिये १६ रुपये, चावल और सब्जी वगैरह के लिये ७ रुपये, तम्बाकू के लिये ८ रुपये, चाय और चाय के बगीचे खासतौर से देहरादून के लिए १० रुपये, गेहूं और जौ वगैरह के लिये ६ रुपये, कपास के लिये २ रुपये, चारे की फसलों के लिये एक रुपया, ग्रोन मेन्योरिंग के लिये १ रुपया और जो रबी की फसलें हैं उनके लिये साढ़े चार रुपये और खरीफ की फसलों के लिये साढ़े तीन रुपये थी।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंचाई रेट से किसानों में असंतोष है और वह ज्यादा इसलिये है कि समय पर उनको पानी नहीं मिलता?

श्री राममूर्ति--इस प्रकार की कोशिश हमेशा रहती है कि समय पर पानी दिया जाय लेकिन चूंकि आज कल खेती का रकबा बहुत बढ़ गया है और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है इसलिये असन्तोष होना स्वाभाविक बात है।

*१५-१६--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--[३० मार्च, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

तहसील सलेमपुर का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

*१७--**श्री बद्रीनारायण मिश्र**--क्या सरकार तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के दक्षिणी भाग को हर वर्ष की बाढ़ से बचाने के लिये जमुआरी और कसिली नाला में फाटकदार पुल बनाने तथा बरहज से चुरिया तक बाँध बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री (श्री कमलापति त्रिपाठी ,---सड़क के जेमपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के मुख्य तथा कसिलो नामक नाले पर फाटबन्दी पुल निर्माण की तथा बरसाती बांध बनाने की शक्यता ज[illegible] लिये [illegible] का जा रही है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क[illegible] अपने निर्माण विशेषज्ञ को भेज कर सरकार बताएंगी कि इस क्षेत्र में कौन से उपाय [illegible] बरसात में बाढ़ को बाढ़ से बच सकते

श्री कमलापति त्रिपाठी---सर्वे हो रहा है जिससे पता लगाया जायेगा कि बाढ़ के लिये कौन से उपाय वांछित हैं।

आजमगढ़ में पिछले एक साल में [illegible] १०७ जाब्ता फौजदारी के मुकदमे

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने दफा १०७ ताजीरात हिन्द के मातहत पिछले एक साल में चलाये गए हैं और [illegible] ये चल रहे हैं?

श्री अली जहीर---जिला आजमगढ़ में पिछले एक साल में दफा १०७ के अन्तर्गत जो मुकदमे चलाये गये उनकी संख्या निम्नलिखित है :---

कुल मुकदमे	
[illegible]	४०२
मुहम्मदाबाद गोहना	२१३
[illegible]	३०२
[illegible]	२०७
[illegible]	२१७
[illegible]	२३९
कुल संख्या	१६१७

इन में से मुहम्मदाबाद गोहना में ३ सहसोला में ३ बाकी थे। फैसले के लिये बाकी थे।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

श्री झारखंडे राय---क्या [illegible] बतलायेंगे कि सोनारडीह, थाना घोसी, [illegible] में लगने वाले नलकूप में अब तक कुल कितना खर्च हुआ है और वह अभी तक [illegible] गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रत्येक नलकूप पर व्यय का ब्योरा पृथक पृथक नहीं रखा जाता। नलकूप पर अनुमानतः १०,००० रुपये खर्च हुये होंगे। पानी का स्तर ठीक न होने के कारण नलकूप का संतोषजनक विकास नहीं हो सका, इसलिये इसे छोड़ देना पड़ा। इस स्थान पर हो एक दूसरा नलकूप लगा दिया गया है, जो चालू हो चुका है। जो सामग्री लगाई गया है उसमें लगी पाइप [illegible] सामग्री का प्रयोग दूसरे कुओं पर कर दिया गया है।

[श्री बद्रीनारायण मिश्र---२३ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या [illegible] स्थानान्तरित किए गये।]

अवध सिविल रूल्स के स्थान पर नये रूल्स

*२४--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)--क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि जिन जिलों में पहले अवध सिविल रूल्स लागू थे वहाँ क्या अब हाई कोर्ट सिविल रूल्स लागू हैं अथवा पुराने रूल्स हो ?

श्री सैयद अली जहीर--जिन जिलों में पहले अवध सिविल रूल्स लागू थे वहाँ अभी भी अवध सिविल रूल्स लागू हैं। पूरे प्रदेश के लिये नये रूल्स बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

*२५--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि अवध में कुछ दीवानी के अहलकारों को सरकार की ओर से पैमाइश की ट्रेनिंग इस लिये दी गई थी कि उन्हें सिविल कोर्ट अमीन नियुक्त किया जायगा ? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक उक्त पद पर नियुक्त किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हाँ, यह सही है कि अवध के कुछ दीवानी के अहलकारों को पैमाइश का ट्रेनिंग इसलिये दी गयी थी कि उन्हें सिविल कोर्ट अमीन नियुक्त किया जाय। कुछ कारणवश अभी अवध के जिलों में अमीन नियुक्त नहीं किये जा सके हैं, मगर जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें अमीन के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

*२६--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि उस ट्रेनिंग में उन अहलकारों से फीस भी ली गयी और उनकी ट्रेनिंग के समय उनकी छुट्टी कि अवधि से काट लिया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन अहलकारों की ट्रेनिंग की अवधि का वेतन देने और उस अवधि को उनकी ड्यूटी पीरियड में शुमार करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हाँ, उन अहलकारों से फीस ली गयी थी और उनकी ट्रेनिंग का समय उनकी छुट्टी की अवधि से काट लिया गया था पर उन अहलकारों की ट्रेनिंग की अवधि का वेतन देने और उस अवधि को उनकी ड्यूटी पीरियड में शुमार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

*२८--श्री व्रजविहारी मिश्र--[३० मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९--श्री व्रजविहारी मिश्र--[२२ मार्च, १९४५ के लिये प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर जिले की तहसील फरेंदा के मध्य निर्वाचन क्षेत्र में पक्की सड़क

*३०--श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की तहसील फरेंदा के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कितनी मील पक्की सड़क है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--पन्द्रह मील।

बेतवा नदी पर माताटीला बांध का निर्माण

*३१--श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास बेतवा बांध की कोई योजना इस समय विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बेतवा नदी पर माताटीला बांध के निर्माण का कार्य सन् १९५१ से चल रहा है। यह साढ़े चार मील लम्बे मिट्टी के एक बांध से संयुक्त २१८० फीट लम्बा तथा १२० फीट अधिकतम ऊंचाई का एक पक्का बांध है।

[illegible]—श्री राधामोहन सिंह—यदि [illegible] तो क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे [illegible] योजना का कुल लागत खर्च का तखमीना और विद्युत उत्पादन की क्षमता तथा और [illegible] की आशा उक्त योजना से है और यह योजना कितने साल में पूर्ण होगी?

श्री [illegible] त्रिपाठी—उक्त योजना का कुल अनुमानित व्यय चार करोड़ [illegible] है। [illegible] यह सिंचाई योजना ही है जो लगभग ३,७६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई [illegible], जिसमें [illegible] ४३,००० एकड़ भूमि विन्ध्य प्रदेश तथा ६९,००० एकड़ मध्य भारत में स्थित है। [illegible] योजना [illegible] होने पर लगभग ९०,००० टन अधिक अन्न उत्पन्न होगा तथा यह ३ वर्ष में [illegible]

इस योजना पर चार करोड़ रुपया और व्यय कर देने से ३०,६०० किलोवाट विद्युत [illegible] हो सकेगी। योजना के विद्युत सम्बन्धी भाग पर अभी विचार नहीं हुआ है और [illegible] रूप ही तैयार हुआ है। इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार होगा।

[illegible]—श्री राधामोहन सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त योजना [illegible] बांध के निर्माण को रोक कर [illegible] की जायगी?

श्री [illegible] त्रिपाठी—उक्त योजना के निर्माण से रिहन्द बांध की प्रगति में [illegible] नहीं पड़ेगी और न वह स्थगित ही होगा।

[illegible], जिला आजमगढ़ से बिल्थरा रोड जिला बलिया जाने वाली सड़क

[illegible]—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा [illegible] कि मधुबन, जिला आजमगढ़ से बिल्थरा रोड जिला बलिया जाने वाली सड़क का निर्माण [illegible] हो गया है?

श्री [illegible] लाल—जी नहीं। अभी इस सड़क पर निर्माण-कार्य जारी है।

[illegible]—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मधुबन, जिला आजमगढ़ से बिल्थरा रोड जिला बलिया सड़क के लिये जिन-जिन किसानों [illegible] क्या उनका मुआवजा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री [illegible] लाल—१९४९-५० में जो भूमि ली गयी थी उसका मुआवजा [illegible] हुआ, उसमें से ९,५३० रु० १४ आना ११ पाई मुआवजा बांट दिया गया है [illegible] ११ पाई, रेवेन्यू एकाउन्ट में जमा कर दिया गया है और इसको [illegible] से मुआवजा की प्रार्थना आने पर दे दिया जायगा। कुछ भूमि जो सन् १९५३ ई० में ली गयी थी उसका मुआवजा देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[illegible]—५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों पर विचार के समय विभाजन

श्री [illegible]—अब आज के अनुदानों के लिये समय बतला दिया जाय कि किस अनुदान के लिये कितना समय चाहिये।

श्री [illegible] सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था [illegible] के कुछ नियम मेज पर रखे गये हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस पर विचार के लिये कोई समय नियत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---५ बजे के बाद अगर सदन का समय बढ़ाया गया तो यह रखा जायगा। इसलिये मैंने इसको अंडर लाइन कर दिया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के चारों आइटम आज लिये जायं। और अनुदान संख्या २२ के लिये सवा घंटा, अनुदान २३ के लिये ४५ मिनट, अनुदान संख्या ३४ के लिये डेढ़ घंटा और अनुदान संख्या ४३ के लिये आधा घंटा समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से सदन के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे अनुदान हैं इसलिये इनको एक साथ ही ले लिया जाय ताकि सब को बोलने का अवसर मिले। नहीं तो आधा घंटा तो मिनिस्टर साहब ही ले लेंगे, १५ मिनट विरोधी दल के लोग लेंगे और सदस्यों के लिये समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह से कर देने से मिनिस्टर साहब को भी कहने का अवसर मिलेगा, विरोधी दल को भी मिलेगा और और सदस्यों को भी अवसर मिलेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---चूंकि यह विषय बिलकुल अलग-अलग हैं इसलिये एक साथ लेने में दिक्कत होगी।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़र नगर)---नं० २२ और २३ एक साथ ले लिये जायं और बाक़ी दोनों अलग-अलग।

श्री अध्यक्ष---यहां तो मुझे विरोधी दल की सुविधा को देखना पड़ेगा इसलिये वह अलग ही रहेगा और यही समय रहेगा। तो अब पहले अनुदान पर सवा घंटे है। विरोधी दल और माननीय मंत्री अपने अपने बोलने का समय स्वयं बता दें तो और लोगों को भी मौका मिल जायगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---मैं बहुत कम समय लूंगा। लेकिन आप से यह कहना चाहता हूं कि आपने विरोधी दल के नेता से बातचीत करने के लिये कहा है वह तो मैं नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---बातचीत करने को मैंने नहीं कहा। बहरहाल, आप कम समय लेंगे तो और लोगों को बोलने का मौका मिल जायगा।

अनुदान संख्या २२---लेखा शीर्षक ४०---कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-कृषि इञ्जीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत १,६१,७५,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं बहुत संक्षेप में इस मांग के सिलसिले में जो कुछ कहना है, वह कहूंगा। सन् १९५३ में ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग विभाग और इरिगेशन विभाग में आपस में कुछ एरेंन्जमेंट्स तय हुए। जहां तक ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग के उस हिस्से का ताल्लुक था जो कि सिंचाई से वास्ता रखता है, वह हिस्सा सिंचाई विभाग को मुन्तकिल कर दिया गया। बाकी यथापूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब[illegible]सिंह]

क[illegible] के वर्कशाप्स और उससे सं[illegible] इस विभाग में रहते थाये हैं। इस वक्त १४ वर्कशाप इन्जीनियरिंग विभाग में जो थे, उनमें से ३ इरिगेशन को अलाट किये गये, २ मिकेनाइज्ड प्लाट फार्मों को, एक मेरठ को और २ कालपी और सहजनपुर में अलाट कर दिये गये। तो इस तरीके से वर्कशाप्स ही इस विभाग के पास हैं, और इसका कहा जा रहा है साढ़े ६ महीने हो जायेंगे। नीलगांव में जो वर्कशाप है, उसमें अब यह निश्चय किया गया है कि एग्रीकल्चर के मातहत दे दिया [illegible] वहां ट्रैक्टरों के जो छोटे छोटे औजार पेचकस, परांती, वगैरा वगैरा उनको बनाने तथा उनका परीक्षण करने का काम करें। बिहार में एक और बरेली में एक बड़ा वर्कशाप बहुत बड़े पैमाने पर है। फुल्ट आर्गनाइजेशन के एक विशेषज्ञ आये थे। उनके मशविरे से इनका रीआर्गनाइजेशन हुआ। उस [illegible] बड़ी कमी पड़ गयी, और खर्च में भी [illegible]। जहां तक ट्रैक्टरों का तअल्लुक है, उनकी काफी तादाद हमारे यहां थी। [illegible] तो मरम्मत करने के बाद [illegible] विभागों को जरूरत है, मसलन वेटेरिनरी [illegible] विभाग उनको मुन्तकिल किया जा रहा है और जो काम के लायक हैं, [illegible] बीज की जा रही है। इस [illegible] लोगों को हकाने पर दिये जा

[illegible]ट्स भी हमारे यहां काफी थे। उनमें से [illegible] डिप्रिशिएटेड वैल्यू जो आज है [illegible] पर किसानों को कोआपरेटिव सोसाइटियों को दिये जाने हैं तजवीज है कि उसमें से आधा रुपया [illegible] और आधी कीमत उन से ले ली [illegible] कीमत नकद नहीं बल्कि इन [illegible] ले लिया जाय। किसानों की कोआपरेटिव जब [illegible] से अदा करदें, तो उनको पार्ट [illegible] दिये जायें। कारण यह है कि [illegible] की जरूरत होती है, तो व [illegible] करते हैं और यहां का [illegible] जाते [illegible] पर पम्पिंग सेट्स के पहुंचने में देर होती है। उनमें भी शायद गवर्नमेंट [illegible] सब्सीडी देती थी फिर भी किसानों के वक्त पर पानी नहीं मिलता था और [illegible] था। इसलिए यह तय हुआ कि पम्पिंग सेट्स किसानों को आधी कीमत पर अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें, और जहां जब जरूरत समझें [illegible] ध्यान रक्खें। उनसे आधा रुपया किस्तों में अदा किया जायगा।

[illegible]राइजेशन के मुताल्लिक उ[illegible] गौर करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर [illegible] के प्रधान डिप्टी मिनिस्टर साहब [illegible] कि उसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा [illegible] का प्रतिनिधित्व भी हो।

[illegible] सदस्य, टेहरी-गढ़वाल में गांव [illegible] को मिलाकर एक हजार रुपया गुल बनवाने [illegible] रखा गया है। आधा रुपया गवर्नमेंट अपने पास से देगी और वहीं एक लाख रुपया [illegible] गांव सभायें या किसान [illegible]। अब तक ९६ मौजे इस तरह की गुल

श्री [illegible]रायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सदन में शान्ति [illegible] मन्त्री जी का भाषण नहीं सुन [illegible] पा रहा है।

श्री [illegible] सिंह—जी हां, मैं भी महसूस कर रहा था।

[illegible] महोदय, १० लाख रु० पूर्वी जिलों में जहां बाढ़ आती है, वहां पर रेगुलेटर या [illegible] के लिए रक्खे जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट हिन्द ने इस गवर्नमेंट को [illegible] दिया है। ३०० कोआपरेटिव [illegible] बनाने के लिए भी इसमें [illegible] हैं। अध्यक्ष महोदय, मान[illegible] सदस्यों को भली-भांति मालूम है कि

किसान १०, ५ हजार रुपया इकट्ठा करें, और १० हजार रु० गवर्नमेंट तकावी दे देगी। जब वह बन जायगा, तो ५ हजार रुपया बतौर सब्सीडी दे दिया जाता है, और बाकी ५ हजार रुपया दस सालों के अन्दर बहुत थोड़े सूद पर वसूल किया जाता है।

९, ६० हजार रुपया ४ रुपये सूद की दर पर कुवों के लिए पम्पिंग प्लान्ट्स बनाने पर कर्जा देने के लिए रक्खा गया है।

अब कालोनाइजेशन स्कीम को लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के मातहत कर दिया गया है। अब तक तराई, काशीपुर, गंगाखादर और फजलगढ़ इत्यादि में एक लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी है, और वहां सेटलर्स को जो कर्जा दिया गया है, वह ४९ लाख रुपया अब तक दिया जा चुका है। उनके लिए जो मकान बनवाकर दिये गये हैं, उनकी तादाद ४,३३५ है, २२ सीमेंट के टैंक और पक्की सड़कें भी बनवायी गयी हैं।

अब गवर्नमेंट के सामने एक तजवीज यह है कि लखीमपुर खीरी में घाघरा या सरजू नदी की बाढ़ का बहुत सा इलाका ऐसा है, जो बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन काबिल काश्त है। अभी वह जेरे काश्त नहीं है। उसका निस्फ हिस्सा होल्डिंग्ज में शामिल है, जिसके मालिक भूमिधर या सीरदार हैं और आधा हिस्सा ऐसा है, जो कि या तो गवर्नमेंट के पास है या गांव सभाओं के पास है, लेकिन जेर काश्त नहीं है। तो उस जमीन का किस तरह से उपयोग किया जाय, किस तरह से उसको काबिल खेती बनाया जाय, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि मिल सके, इस तरह की एक योजना सरकार के विचाराधीन है लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर फैसला हो जाय, और रुपया मिल जाय, जिसके लिए गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कोशिश की जा रही है, तो २० हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल जायगा।

अब तक झांसी के इलाके में एक लाख एकड़ जमीन, जिसमें एक बहुत गहरी जड़ वाली कांस खड़ी हुई थी, उसकी कांस नष्ट की जा चुकी है, कांस इरैडिकेशन ऐक्ट के मातहत और इसका नतीजा यह हुआ है कि साढ़े छै लाख मन गल्ले की पैदावार सालाना उस इलाके में बढ़ गयी है। पिछले तीन सालों में केवल एक लाख एकड़ में कांस नष्ट की गयी, लेकिन आगामी साल में हम ६४ हजार एकड़ जमीन में से कांस निकालना चाहते हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लिए यह बता देना चाहता हूं कि तराई स्टेट फार्म में इस वर्ष १६ लाख रुपये का मुनाफा हुआ और भी उसमें कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि अगले साल और ज्यादा मुनाफा उसमें हो और कुछ इकोनामी हो। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को इस सदन की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि यह अनुदान ऐसे विषय का है कि जो सामाजिक सेवाओं का गिना जाता है और उस पर भी मुझे कटौती का प्रस्ताव पेश करना पड़ा। परन्तु जिस बेकायदगी से इस विभाग का संचालन पिछले चार पांच वर्षों से हो रहा है, उसकी अगर गहराई में जायं, तो किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जायं। इसलिए आवश्यक हो गया कि इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय।

मैं पहले-पहल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन को लेता हूं। माननीय मन्त्री जी ने बहुत दबी जबान से इस बात को स्वीकार किया कि ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रदेश में बहुत ज्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, इस संगठन में करीब साढ़े तीन सौ ट्रैक्टर खरीदे गये, जिन की इस प्रदेश को कतई आवश्यकता नहीं थी। आज चार पांच साल के संचालन के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि उसका काम केवल सौ ट्रैक्टरों से चल सकता था और इन ट्रैक्टरों के खरीदने में दो करोड़ से ज्यादा रुपया लगाया गया। पूरा हिसाब लगाने पर यह मालूम हुआ कि इस

[श्री नारायण त्रिपाठी]

मैंने यह कहा है कि अब तक सरकार की ओर से इन्जीनियरिंग की तरफ से हजार ४४१ एकड़ जमीन इस तौर १० हजार घंटे रखी जाय, लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी है। यह साबित ट्रैक्टर्स मनमाने तरीके से आप को सुनकर यह ताज्जुब मौजूद हैं, जिनका किसी से जानते हैं। इस तरह से उसके बाद सरकार यह बात है।

के बारे में माननीय मन्त्री इसके पीछे भी एक रहस्य है सिंचाई के लिये किसानों से रुपया एक रुपया आठ आना सिंचाई का एक रुपया आठ आना प्रति एकड़ सरकार बराबर किसानों से लिया जाता है। और १०२ रुपया एक सौ दो रुपये का कर रही है।

श्री नारायण त्रिपाठी—मैं यह कह रहा हूं।

—तो आप दोनों खड़े रहकर बातें करें, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

नारायण त्रिपाठी—मैं यह कह रहा था कि ये ट्रैक्टर्स सेल्स ४ रुपये प्रति एकड़ लगाकर मंगाये गये थे। इसी हिसाब से लगाया गया तो १०२ रुपया सरकार यह इरादा कर रही है कि इन लोगों को तकावी पर दे दिया हालत बहुत ही खराब है।

ध्यान बराबर योजनाओं की तरफ दिलाया क तो हाइडिल विभाग है, और कृषि इन्जीनियरिंग विभाग है। कृषि की ओर से भी थरमल पावर स्टेशन स्थापित किये जाते हैं जब कि हाइडिल है। रहीमाबाद में इसी तरह का एक थर्मल पावर स्टेशन कृषि इन्जीनियरिंग किच्छा में बना लिया गया और हरिद्वार जिले में भी इन प्रकार पर करोड़ आ है। मैंने काफी जांच की लेकिन मुझे कहीं भी इन्जीनियर नहीं बताया पावर स्टेशन कब बना और कैसे बना। इस तरह से केवल रहीमाबाद सात लाख रुपया खर्च हुआ। जब कि यह पावर स्टेशन भी जून से चालू पावर स्टेशन से भी इस क्षेत्र में बिजली मिलना आरम्भ हो जावेगी। यह ताज्जुब की बात है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस भागों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हाथ पावर स्टेशनों पर भेजें।

Tyagi Kranti

जो कमेटी यह देखे कि यह हानि कैसे हुई और इस हानि की जिम्मेदारी किस पर थी और जिनकी जिम्मेदारी हो, उनको उचित सजा दी जाय। वही कमेटी सरकार को विभाग के पुनस्संगठन पर भी सुझाव दे।

अब रह गया उपनिवेशन के सम्बन्ध में। एक तरफ तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी को न दी जाय। वहीं तराई में इससे ज्यादा जमीन ऐसे लोगों को दी जा रही है, जिनके पास पहले से ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने पोलिटिकल सफरर्स होने का लाभ प्राप्त कर लिया है। एक प्रतापगढ़ के ताल्लुकेदार हैं, उनके पास काफी जमीन थी और तराई से ३००० एकड़ से ज्यादा जमीन दी गयी। फिर भी उन को जमीन दी गयी। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार कौन सी व्यवस्था चलाना चाहती है। एक तरफ तो मन्त्री जी भूमिहीन लोगों की बात करते हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी जोत हैं और लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है और समस्या भी हल हो सकती है। लेकिन मनमाने तरीके पर लम्बी लम्बी भूमि फार्म्स के लिए दे दी जाती हैं, जब कि भूमि प्राप्त करने वालों में इस बात की योग्यता भी नहीं है कि वे इन फार्मों का ठीक रूप से संचालन कर सकें।

हमारी तरफ से बहुत दिनों से थारू और बोक्सा जातियों के लिए जमीन की मांग की जा रही है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि एक कमेटी बनी और यह व्यवस्था हो रही है और विचार किया जा रहा है कि कब नियमों को लागू किया जाय। मन्त्री जी जानते हैं कि उन लोगों से जबरदस्ती जमीन निकालकर बड़े बड़े आलीशान फार्म्स के लिए दी गयी।

वहां पर सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गनाइजेशन है और हमारी प्रादेशिक सरकार की तरफ से भी कुछ ट्रैक्टर्स हैं। इस तरह से दोहरी हुकूमत चलती है। जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने को सुबुकदोष करते हैं। वहां के पोलिटिकल सफरर्स के द्वारा ही जांच करा ली जाय तो मालूम होगा कि जो जमीन वहां दी गयी वह सालों यों ही पड़ी रही और कोई उपयोग नहीं हो सका और लम्बी लम्बी घास उग आयी और उसको रिक्लेम कराना पड़ा और सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए।

कृषि इञ्जीनियरिंग तथा पावर के सम्बन्ध में मैंने विचार किया। इस मांग से सरकारी कर्मचारियों के लिए ३८,८८,१०० की मांग की गयी है। १५,५२,००० रुपया कंटिन्जेंसी फन्ड का है। यानी यह ३८,८८,१०० रुपया सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए है। और कुल १५,५२,००० रुपया है, जो इस योजना के सम्बन्ध में रखा गया है। इस चीज को हम नहीं समझ पाये। सरकार को अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए कि १५,५२,००० की स्कीम में ३८,८८,१०० रुपया सरकारी कर्मचारी वेतन ही प्राप्त कर लें और १५,५२,००० रुपया कुल इस योजना में लगाया जाने वाला हो, यह कैसे? यह भी एक समस्या है। वहां पर जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, अध्यक्ष महोदय, उनमें भी काफी झगड़े हैं। यहां तक कि पोलिटिकल सफरर्स जो हैं, वह कांग्रेस पार्टी की सहायता लेकर और एक मन्त्री को दूसरे मन्त्री के खिलाफ उभाड़कर आपस में लाठी भी चलाते हैं। हजारों रुपये का गबन हो जाता है, और उस पर फिर माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय राजस्व मन्त्री के पास प्रार्थनापत्र भेजे जाते हैं। इन सबके बावजूद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वहां के सेटिलर्स की बहुत सी शिकायतें हैं। उसके सम्बन्ध में ट्रैक्टर आपरेटर्स जो हैं या बोरिंग टेक्निशियंस हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हम लोगों के पास भी आयी हैं, और यह पता चला है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास भी आयी हैं। वहां मनमानी तरीके पर बगैर नियम विरुद्ध छंटनी की जा रही है और वहां कोई तरीका या नियम नहीं बरता जा रहा है। काफी संख्या में वह ट्रैक्टर आपरेटर्स अनियमितता के साथ अलग किये जा रहे हैं। अब चूंकि समय कम है, इस अनुदान पर, इस लिए मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं और मुझे

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अफसोस है कि इस सामाजिक सेवा के अनुदान में मुझे कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ा है मगर मैं विश्वास करता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी का जो कार्य करने का तरीका है, और जो उनकी प्रणाली है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि वह इन सब चीजों को स्वीकार करेंगे और भविष्य के लिए एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर करके इनकी जांच करायेंगे जो कि उनको उचित सलाह देगी कि क्या क्या इसमें गड़बड़ियां हैं और किन किन को सजा दी जाय।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। खासकर आपके काम से जो तराई भावर की उन्नति हुई है, और वहां पर जो विकास का कार्य चला है, वह हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक आशावर्द्धक बात है। हमारे देश में यह बहुत पहले से एक अविश्वास किसानों में था कि मशीनरी से कोई कृषि नहीं हो सकती है, और जब कभी ट्रैक्टर की बात कही जाती थी तो यहां के लोग हमेशा उससे मुंह मोड़ते थे। आज श्रीमन्, हमारी सरकार ने इस बात को दिखा दिया है कि अच्छे से अच्छे औजारों से हम कितनी अच्छी और उम्दा खेती कर सकते हैं। खासकर सरकार का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है, उसमें जो सुन्दर, उत्तम और नयी से नयी मशीनरी लायी गयी है, विदेशों से, उस से हमारे इस देश को और खास कर इस देश के नवयुवकों को पथप्रदर्शन और आदर्श मार्ग मिला है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार के सामने खासकर तराई भावर के सिलसिले में कुछ सुझाव रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि जहां तक उपनिवेशों का सवाल है, उसमें थोड़ी सी शिकायत पहाड़ी जिलों की है। जहां बाहर के लोगों को, शरणार्थियों को और दूसरे जिले के लोगों को वहां पर काफी प्रशस्त भूमि दी गयी है। वहां उन लोगों का जिनकी पहले से वहां पर कुछ न कुछ काश्त थी उनका उतना ख्याल नहीं किया गया है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि नयी योजना में, कम से कम जो हजारों अर्जियां आज भूमि के लिए ए० डी० एम० नैनीताल के पास पड़ी हुई हैं, उन पर सरकार अवश्य विचार करे और नयी योजना में जो भी भूमि प्राप्त हो, उसमें वह उनको भूमि अवश्य दे। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि यह बात की जा रही है कि सरकार ने वहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया है, और बड़ी सफलता भी सरकार को मिली है, लेकिन यह मानना गलत होगा कि अब वहां पर पूर्ण व्यवस्था है, शान्ति है, और अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कितने ही शासन सम्बन्धी राजस्व सम्बन्धी, और और दूसरे प्रश्न हैं, क्योंकि जो काम जल्दी में होता है, उसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्था का रह जाना सम्भव है। जैसे वहां पर किसानों में एक प्रकार की बेचैनी है, और वह बेचैनी इस तरह से है कि अनिश्चित रूप से और जल्दबाजी में वहां पर बहुत सी जमीन तोड़ी गयी। आज उसका कोई हिसाब नहीं है कि कितनी और कैसी जमीन टूटी। जमीन तोड़ने का खर्चा जो मांगा जा रहा है, वह बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है। कहीं सही हिसाब नहीं है। उसके साथ साथ जो वहां पर मकान बने, उसके सिलसिले में कम से कम आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि एक इतनी बड़ी गलतफहमी हम लोगों में है, पक्के मकान बनाये गये उसमें भी सीमेंट की छतें बनायी गयी लेकिन अफसोस की बात है कि तीसरे या चौथे साल ही, नीचे गिर रही हैं। कहा जो यह जाता है कि कच्ची ईंटें लगायी गयीं, और पक्की ईंटों के दाम लिये गये। मैं मानता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री या सरकार के बड़े कर्मचारियों का ऐसा कोई आदेश नहीं था। लेकिन उनके मातहत जो छोटे कर्मचारी हैं, अगर वह कोई ऐसा काम करते हैं, उसमें उनकी बदनामी नहीं है, बदनामी सरकार की होती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में इतनी बड़ी गलतफहमी है, और इतना बड़ा असन्तोष है, कि इसकी कोई न कोई जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि यह तो बड़ा अनुचित होगा कि उनको कच्चे मकान मिलें और उनसे पक्के के दाम लिये जायं, पांच-पांच हजार की किस्त लगायी जाय।

उसके बाद जहां तक ट्यूबवेल का सम्बन्ध है, जहां तक मेरी सूचना है, ११ ट्यूब वेल उस क्षेत्र में बने। लेकिन उनमें अधिकांश ऐसे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। ट्यूबवेल तो बनाये गये, लेकिन उनकी गूलें और नालियां नहीं बनायी गयीं जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार का लाखों रुपया तो खर्च हुआ लेकिन उन ट्यूब वेलों से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा।

एक बड़ी भारी बात जो वहां असन्तोष पैदा कर रही है, वह यह है कि वहां की जमीन का जो लगान लगाया गया है, कालोनाइजेशन के अन्तर्गत और खाम के अन्तर्गत दोनों में अन्तर है, और कहा जा रहा है कि यह दो भाव एक ही किस्म की जमीन के क्यों हैं। शायद पहले यह ख्याल किया जाता होगा कि सरकार उनको कुछ खास खास सुविधायें दे रही है इसलिए लगान की दर ज्यादा कर दी गयी है, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार को श्रीमन् यह बता देना चाहता हूं कि खाम में भी किसानों को काफी रिआयतें दी जाती थीं।

इतना कहकर चूंकि समय बहुत कम है, और बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों पर विचार करे, और कम से कम जो अशांति वहां पर फैली हुई है, उसको दूर करने का प्रयत्न करे।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी) —माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण के द्वारा बहुत ही सीमित क्षेत्र झांसी जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जो पुस्तिका हम लोगों को वितरित की गयी है, उसमें बतलाया गया है कि झांसी का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन अभी तक वह कृषि योग्य नहीं बनाये जा सके। इस लिए मेरा विश्वास है कि यदि हम उसको कृषि योग्य बनायें, तो एक ही उपाय है। जैसी कि वहां की भूमि है, वहां पर ट्रैक्टर चलाये जायं, जो आयोजन हमारी सरकार ने भी किया है। पिछले दिनों में एक लाख एकड़ के करीब भूमि ट्रैक्टरों से जोती गयी और कांस से साफ की गयी। मुझे इससे प्रसन्नता है और मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन इस के साथ मैं सरकार के सामने आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो परिस्थिति पहले थी, ट्रैक्टर्स के सम्बन्ध में आज वह नहीं है। मेरा खयाल है कि ३३ से ४० रु० प्रति एकड़ ट्रैक्टर की जुताई किसानों से ली जाती थी, लेकिन अब ६५ से ९० रु० ली जाती है। करीब-करीब दूना हो गया है उसका किराया। इस लिए झांसी जिले की प्रमुख तहसीलों महरौनी और ललितपुर का किसान उसको नहीं दे सकता।

जिसका जिक्र इस पुस्तिका में किया गया है उसका कारण यह है कि आज बुन्देलखण्ड में सिंचाई का कोई भी साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मैंने पिछली मर्तबा यहां पर भाषण करते हुए यह निवेदन किया था कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, और जिनमें बुन्देलखण्ड प्रमुख रूप से है, उनके लिए योजना कैसी बनायी जाय। पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ पिछड़े इलाके हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न समस्यायें हैं और जिसमें कि पूर्वी जिले बुन्देलखण्ड का क्षेत्र और पर्वतीय प्रदेशों के अन्दर इन योजनाओं को प्रमुखरूप से बनाया जाय। वह जिक्र मैंने इस लिए किया था कि यदि यह बुन्देलखण्ड की योजना अलग तौर से बनायी जाती तो आज जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, ट्रैक्टर्स की जोताई के सम्बन्ध में वे हरगिज सामने नहीं आतीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज बुन्देलखण्ड में और प्रमुखरूप से झांसी में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं और अगर साधन पर्याप्त मात्रा में हैं तो अगर हम अपनी जमीनों को ट्रैक्टर्स से जोतवायें भी तो किसानों के पास पैसा नहीं है कि वह दो वर्ष में, तीन वर्ष में या चार वर्ष में उसका किराया किस्तों में भी अदा कर सकें, यह सब से बड़ी समस्या वहां पर है। इस लिए इसका वहां पर विरोध किया गया और इसका इस पुस्तिका में भी जिक्र है। इसका विरोध करते हुए हम लोगों को तकलीफ हुई, किसानों को तकलीफ हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि यह योजना बड़ी लाभदायक है और उसके द्वारा रचनात्मक कार्य किये जा सकते हैं और उसके द्वारा कांस का इरैडिकेशन भली प्रकार से भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलती थी उसको लाने का प्रयत्न करें और यदि यह नहीं हो सकता है तो जो आपने इसके लिए तीन इन्स्टालमेंट रक्खे हैं

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

उसकी जगह पर पांच या छः इन्स्टालमेंट कर दिये जायं, जिससे कि किसान आसानी के साथ पैसा दे सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि झांसी और बुन्देलखण्ड के जिलों से इन्टीग्रेटेड योजनायें बनायी जा सकती हैं। ललित पुर में जितने ट्रैक्टर चलते थे वह झांसी जिले के अन्य तहसीलों में भी चलते थे और महरौनी और ललितपुर की तहसीलों में भी उनकी नितान्त आवश्यकता है और इसके लिए वहां पर सिंचाई के अन्य साधन मुहैया किये जा सकते हैं, जैसे कि कुओं की बोरिंग हो सकती है। आजकल वहां के कुयें सूख गये हैं और पानी पीने तक को भी नहीं मिलता है। इनसे ललितपूर और महरौनी तहसीलों में सिंचाई भी होती थी और वह पीने के काम में भी आता था, लेकिन जब वह सूख गये हैं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या वहां पर पैदा हो गयी है। इस लिए वहां पर कुओं की बोरिंग होनी चाहिए और इसके अलावा मशीनरी वेल्स भी वहां पर बनने चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपने बड़े-बड़े फार्म बनाये हैं और वहां पर दूसरी योजनायें उसके अन्तर्गत चालू की गयी हैं लेकिन झांसी के जिले में बहुत सा क्षेत्र ऐसा है कि जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और यदि आप वहां पर एक्सपेरीमेंट करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत से आदमी सहयोग देने के लिए तैयार होंगे और लेबर भी सस्ता होगा और जिस से कि वहां की जनता आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती और आपको इस कार्य के लिए हमेशा याद करती।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अनुदान का विरोध करते हुए मैंने विरोधी मित्र का भाषण गौर से सुना। उन्होंने जो विभागों के सम्बन्ध में शिकायतें की हैं उनमें से अधिकांश बातें ऐसी हैं, जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जहां तक एग्रीकलचर और इन्जीनियरिंग विभागों का सम्बन्ध है वह बहुत ही असन्तोष रहा है। श्रीमन्, पिछले वर्षों को देखकर जहां तक अन्य विभागों का सम्बन्ध है वह बहुत ही सन्तोषजनक रहा है।

मैं माननीय मन्त्री जी को अवश्य बधाई देना चाहता हूं। जब उन्होंने इस विभाग को सम्भाला तब इसकी स्थिति बहुत शोचनीय थी। जो सामान की हालत थी वह अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने दो ढाई साल के अन्दर इसमें काफी उन्नति की है। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बतलाया कि जहां तक ट्रैक्टर का सम्बन्ध है यह बात ठीक है कि इस विभाग ने बिना सोचे समझे या अच्छी तरह से गौर किये बिना ही बहुत ट्रैक्टर खरीद लिये थे। जितनी जमीन तोड़ी गयी अगर उस के आंकड़ों को जोड़ा जाय तो मालूम होगा कि इस से कम ट्रैक्टरों में काम हो सकता था। इस वजह से स्टेट का इसमें बहुत नुकसान हुआ होगा। अब जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि जो ट्रैक्टर ज्यादा थे उनमें से बहुतों को बेच दिया गया है और बहुत से मेकनाइज्ड फार्म को ट्रांस्फर कर दिये गये हैं और बहुत से कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात यह कहनी है कि मेकनाइज्ड फार्म को जो ट्रैक्टर ट्रांस्फर किये गये हैं और जितने ट्रैक्टर वहां पर भेजे हैं वहां पर इतने ट्रैक्टर की उनको आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद मुझे एक बात यह कहना है कि त्रिपाठी जी ने जो यह कहा कि ५४ लाख में १५ लाख रुपया कन्टिन्जेंसी का है। शायद त्रिपाठी जी को याद होगा कि इस फार्म में ज्यादातर ऐसे मजदूर काम करते हैं जो कि स्थायी नहीं होते हैं। वह सीजन में काम करते हैं। तो उनको जितनी तनख्वाह दी जाती है, वह सब कन्टिन्जेंसी से ही मीट होती है। इस वजह से इस विभाग में कन्टिन्जेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जब कभी कोई योजना आती है चाहे वह खेती की हो, या दूसरी उसका एक टारगेट होता है कि उसमें इतना टाइम योजना के तैयार होने में लगेगा। हमने देखा कि ९० प्रतिशत केसेज में जो शिडयूल्ड टाइम होता है, वह कीप अप नहीं होता है, जिसकी वजह से दुगुना और तिगुना उसकी कीमत में लग जाता है। माननीय मन्त्री जी को

इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विभागों में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं होता है। थर्मल स्टेशन से जो ट्यूबवेल बनाये जाते हैं उनका इन्तजाम उस विभाग को देना चाहिए जो उस से काम लेता है। इसमें काफी दिक्कत होती है कि सिंचाई का काम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है वह उसके अधिकार में नहीं होता है इस वजह से मेरा कहना यह है कि यह ट्यूबवेल्स इरिगेशन विभाग के अधीन होने चाहिए।

इसके बाद जो कालोनाइजेशन हस्तिनापुर और तराई भावर के एरिया में किया गया है, उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग उस समय शुरू से वहां पर रहते थे और जानवर पालते थे और उन चरागाहों में अपने जानवर चरा कर अपना पेट पालते थे। तो इस ट्रैक्टर से वहां पर जमीन साफ करने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया है। जहां तक मेरा खयाल है जब वहां पर जमीन को बांटा गया तो उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि उचित नीति तो यह है कि जो लोग वहां शुरू से रहते थे, चाहे तो वहां चरागाह के रूप में उस जमीन को इस्तेमाल करते थे या खेती करके अपना पेट पालते थे, पहला प्रिफरेंस उनको दिया जाना चाहिए था।

अन्त में त्रिपाठी जी ने एक टाप लेविल इन्क्वायरी की बात कही। अगर उनकी भावना इस इन्क्वायरी से यह हो कि सरकार उससे कुछ सीखे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उनकी भावना यह रही हो कि उस समय जो कर्मचारी थे उनको दण्ड दिया जाय तो वह हमारे काबू के बाहर हो चुके हैं। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे आज कालोनाइजेशन समस्या पर ध्यान दें नहीं तो वहां पर एक ऐसा ज्वालामुखी बन रहा है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, और जिस कार्य के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, वह कार्य अधूरा ही रह जायगा। राधाकान्त महोदय ने जब तराई आदि में कालोनाइजेशन के बारे में कहा था तो उन्होंने यह साफ बताया था कि इस कालोनाइजेशन का बिग वे लांग टर्म आइडिया से करना होगा, और अगर ऐसा न हो सके, तो उसको हाथ ही न लगाया जाय। सेटलर्स की वहां पर बहुत ही बुरी हालत है, चाहे तो शरणार्थी हों, या पोलिटिकल सफरर हों, वे सारे के सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और जो ज्वालामुखी वहां हो रहा है, कभी भी पक सकता है। आज सरकार की पालिसी से वहां कोई खुश नहीं है। आज तक उन लोगों को न तो लगान की शर्तें ही मालूम हैं और न आज तक उनको लीस ही दी गयी है। डेढ़ रुपया से तीन रुपया तक लगान के बजाय ७ रुपये तक उनसे मांगा जाता है। लगान, मकान और तकावी आदि सब के बारे में कहा जाता है एक साथ दो। ५ साल के एरियर्स इकट्ठा दो। अगर कोई नहीं दे पाता है, तो कुर्की की जाती है। अगर यही तरीका रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी यह कालोनाइजेशन की स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। आशा थी कि पानी की लेबिल लोग होकर वाटर लोगिंग पर आ जायगी, लेकिन यह न होकर वहां पानी की कमी है। २४ ट्यूबवेलों में केवल ५ ट्यूब वेल्स वहां काम कर रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। २४ गांवों में से २१ गांव के आधे से ज्यादा मकान गिर गये, जैसा कि माननीय खाती जी ने बताया। मिर्जापुर के गांवों में कमर कमर तक पानी आ गया। माननीय गेंदा सिंह जी स्वयं कमर कमर तक पानी में कूदे। उसके फोटो भी मौजूद हैं। यह तो तराई के गांवों की हालत है। मोटर सड़क केवल रुद्रपुर तक पक्की है बाकी किसी गांव में सड़क नहीं है। तराई ट्रैक्टर वर्कशाप में अगर आप देखें तो ७ ट्रैक्टर्स ऐसे खेतों में पड़े हुए हैं, और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घास लगी हुई है कि मालूम नहीं होता कि कब से उनको देखा नहीं गया । मैं तो यह कहूंगा कि अगर यह ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन तोड़ दिया जाय और सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन में मिला दिया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा । पिछले साल इसमें काफी नुकसान हुआ और इस साल भी साढ़े सात लाख का घाटा है । वहां पर आधे से ज्यादा ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए हैं और आज भी वे काम नहीं कर रहे हैं । यह हालत आपके ट्रैक्टर्स की है ।

दूसरी बात बोक्सा किसानों के बारे में है । इनके बारे में मैं दो साल से बराबर कहता आया हूं और आज भी १३ गांवों के बदले में ३१ गांव उनके हो गये हैं, लेकिन कोई भी इलाज इनका नहीं किया जाता । ५ हजार एकड़ भूमि उनके लिए रिजर्व की गयी थी, लेकिन उसमें एक भी बोक्सा नहीं बसाया गया । ६ हजार की आबादी में से ४ हजार के दस्तखत अभी भी मौजूद हैं । माननीय मन्त्री जी ने उनके लिए जमीन अलाट की, लेकिन किदवाई साहब ने जिस जमीन को बोक्साओं के लिए अलाट किया था, सट्टा फार्म वालों को दे दिया । वे आपे वहां से एलाटमेंट लेकर और जो बोक्से बसे थे, उनको निकाल दिया और उनकी फसलें भी जब्त कर लीं कि ये तो हमारी फसलें हैं । तराई स्टेट फार्म की आमदनी ७ लाख से घट कर डेढ़ लाख तक पहुंच गयी है । फल के बगीचे को ही देखिये, एक तरफ कहा जाता है कि यह हार्टिकलचर विभाग के अन्दर है और दूसरी तरफ तराई भावर के लिए विभाग ही अलग है । तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सरकारी लेविल पर एक इनक्वायरी कमेटी बैठायी जाय जो एक महीने के अन्दर फौरन अपनी रिपोर्ट दे और उसी के आधार पर सरकार तराई स्टेट फार्म के सम्बन्ध में तथा कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में अपनी नीति बदले तथा ट्रैक्टर्स वगैरह जितने विभाग हैं उनकी ओवरहालिंग की जाय ।

*श्री बलवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, तराई स्टेट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं । मुझे तो उसका कोई ज्ञान नहीं है इस लिए उसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहा जा सकता है परन्तु एक बात मैं जरूर कहूंगा और वह यह है कि गवर्नमेंट को इस कालोनाइजेशन और स्टेट फार्म के सम्बन्ध में अपनी कुछ नीति अवश्य बना लेनी चाहिए कि क्या गवर्नमेंट की यह मंशा है कि वह बड़े-बड़े फार्म्स खोल कर स्वयं खेती करना चाहती है ? एक तो यह हो सकता है और दूसरा यह हो सकता है कि जितने स्टेट फार्म्स हैं, वे एक्सपेरिमेंटल फार्म्स के तरीके पर रहें। तो मैं समझता हूं कि जहांतक स्टेट फार्म्स के एक्सपेरिमेंटल फार्म्स रहने का सम्बन्ध है, यह नीति बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी खेती करके या अपना व्यवसाय चला कर उससे उतना लाभ नहीं उठा सकती जितना प्राइवेट परसन को अपने कारबार में लाभ होता है । तो इस लिए मैं चाहता हूं कि यहां जितने भी स्टेट फार्म्स हैं सिवा उन फार्म्स के जिनको कि उन्हें एक्सपेरिमेंटल फार्म्स रखना हो, बाकी जितने फार्म्स हैं उनमें जितनी भी लागत लगी हो लेकर और लोगों को दे देना चाहिए जिसमें कि वे अपने निजी तरीके से खेती कर सकें । बहुत सी जगहें ऐसी हो सकती हैं जैसे झांसी का जिला बतलाया गया है कि वहां पर गवर्नमेंट अपने ट्रैक्टर्स से जमीन तोड़े और जमीन तोड़ने के बाद फिर और लोगों को दे दे क्योंकि स्टेट फार्म्स में गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वह ऐसी जमीनों को तुड़वा सकती है और बाकी व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं । तो मैं समझता हूं कि यह नीति गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए कि वह जमीन तोड़े और उसमें जो खर्चा लगे वह आम लोगों से ले ले ।

मुझे कुछ थोड़ी सी बातें इस कृषि विभाग के सम्बन्ध में बतलानी हैं । मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे इस कृषि विभाग का सम्बन्ध है, उसमें रिआर्गनाइजेशन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें देखने में आती हैं कि गन्ना पैदा करने का काम तो कृषि विभाग करता है और गुड़ पैदा करने का काम उद्योग विभाग करता है । इसी तरह से फल पैदा करने का काम तो कृषि विभाग के अन्दर है और फ्रूट प्रोटिलाइजेशन उद्योग विभाग के अन्दर है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो यह सब बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सरकारी लेविल पर एक कमेटी बैठा कर सोचना चाहिए कि कृषि विभाग में हमें क्या-क्या करना है। मुझे कृषि विभाग के सम्बन्ध में सब से बड़ी शिकायत यह है कि कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं उनमें स्थायी रूप से बहुत थोड़े हैं। जब वे स्थायी रूप में नहीं हैं तो उनकी सर्विस का ढंग ठीक नहीं हो पाता। एक आदमी अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग में है, तो कल वह रिसर्च में चला जाता है। इस तरह से एक दूसरे को बदलने के ढंग से बड़ी असुविधा रहती है। एक आदमी इधर काम करेगा और दूसरा उधर करेगा। तो इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि कृषि विभाग जो हमारे प्रदेश का इतना बड़ा विभाग है, उसको सुचारुरूप से चलाने के लिए बड़ा आवश्यक है कि वहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी टेन्योर आफ सर्विस सब प्रकार से सिक्योर होनी चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से काम कर सकें।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है कि हमारे यहां का जो कृषि विभाग है, उसमें बहुत सी पश्चिमी चीजें हैं। पश्चिमी चीजों से मेरा मतलब यह है कि हमारे यहां ट्रैक्टर विभाग खोला जाता है। इस तरह से मशीन आदि का काम जो दूसरी जगह होता है, अगर वहां के काम को दूसरी जगह के किसानों को बतलाया जाय, जैसे बुन्देलखण्ड के हल के लिए कहा गया है कि वह बहुत गहराई तक जोतता है अगर दूसरी जगह के किसानों को भी इसे बतलाया जाय तो इस से बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि एक जगह के किसानों के तरीके दूसरी जगह के किसानों को दिखलाया जाय तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे देश का बहुत लाभ हो सकता है और मैं यह समझता हूं कि इसका बड़ा भार हो सकता है बजाय इसके कि बहुत सा रुपया हमारे बजट में रख कर पश्चिमी मशीनें लाकर और ट्रैक्टर्स आर्गनाइजेशन वगैरा वगैरा कर कर करें, अपने जगह की जो चीजें हैं जैसे हल वगैरा उनको हम अगर ढंग से करें, तो हमारे यहां बहुत कुछ काम हो सकता है।

मुझे बोरिंग के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। मैंने माननीय मन्त्री जी के पास अपने जिले की बोरिंग की शिकायत लिखकर भेजी थी और मैं समझता हूं कि ४० ट्यूब वेलों में जो हमारे यहां बने, अगर माननीय मन्त्री जी उनको जाकर देखें तो पता चलेगा कि कितना रुपया गड़बड़ हुआ है। मैं यह समझता हूं कि यह जो विभाग है अगर यह कृषि में रखा ही जा रहा है तो इसको बहुत देख भाल होनी चाहिए। और इसका जो रूप है उसमें दूसरे लोगों का मदद का स्वरूप रहना चाहिए।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह कृषि इंजीनियरिंग विभाग क्या चीज है, और मैं अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि आज तक मैं यह न समझ पाया कि यह है क्या? क्या काम करता है? इसके बड़े आफिसर कौन हैं और इसका विभाग कहाँ है और यह किस मन्त्री से सम्बन्धित है यह भी मैं आज तक नहीं समझ पाया। असल में मैं यह इसलिए कहता हूं कि मुझे अपने जिले का थोड़ा सा अनुभव है। कृषि इन्जीनियरिंग विभाग से कुएं बनवाने के लिए कुछ रुपया दिया जाता है, तीन सौ या चार सौ। काश्तकारों को इत्तिला मिली कि तुमको चार सौ रुपया कुआँ बनवाने के लिए दिया जाता है। उस बीच में कुछ लोहा, कुछ सीमेंट और कुछ और भी उससे सम्बन्धित चीजें, इस विभाग की ओर से काश्तकारों को दिखावे के रूप में दी जाती हैं। अपने यहां यह हुआ कि जो काश्तकार आधा तिहाई सौ, डेढ़ सौ, दो सौ का सामान ले गया, वह तो एक श्रेणी में रखिये और दूसरे वह काश्तकार थे, जिन्होंने इनमें से कुछ भी रुपया नहीं लिया और कुआँ बनाकर तैयार कर दिया। तीसरी श्रेणी उनकी है जिनका रुपया जाहिरा तो उनका हो गया लेकिन न उन्होंने कुआँ बनाया और न उसके लिए पैसा लिया। तो दिक्कत यह हो गयी कि प्रतापगढ़ में कृषि इञ्जीनियरिंग विभाग के जितने कर्मचारी थे, उन्होंने किसी गाँव की जाँच-पड़ताल नहीं की कि कुआँ बना या नहीं बना। न उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

को और न अपने विभाग को की। यह वहाँ जाँच करने पर पता लग सकता है। पहले वहाँ के जो इन्स्पेक्टर्स आ और लोग थे वह बाहर नहीं जाया करते थे। मुझे डर लगता है कि वह बैठे बैठे झूठे भत्ते बनाया करते थे और कहीं कुएं को जाँच करने के लिये गये भी तो जो काश्तकार खुश नहीं करता था उसकी रिपोर्ट नहीं करते थे, और अगर रिपोर्ट दिते भी थे तो गलत। इसके लिए मैजिस्ट्रेट को भी टैप करने की जरूरत पड़ी है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कानूनी दिक्कत होने की वजह से उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चला लेकिन मैजिस्ट्रेट ने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ ने विभाग को इस बात के लिए सिफारिश की कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही की जाय, लेकिन उस जमाने का जो बनारस का दफ्तर है, वह स्थानीय जिले के जो कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या प्लानिंग आफिसर हैं, उन सबसे अपने को बड़ा ऊंचा समझता है। उन्होंने शायद उस कर्मचारी को बुलाकर उसकी पीठ ठोंक दी और वार्निंग का शब्द लिख कर उसको मुक्त कर दिया और फिर उसको वही रखा। हमारे जिले में कुओं की जाँच की गयी उसके फलस्वरूप रेवेन्यू विभाग से जिन लोगों ने कुएं नहीं बनवाये थे और रुपये उनको मंजूर हुए उनके खिलाफ चार सौ रुपये की कुर्की के आर्डर जारी हुए थे।

सैकड़ों काश्तकारों के जानवर हांक हांक कर उनको कुर्क किया जा रहा है या हवालात में बन्द किया जा रहा है। अभी आने के पहले मैंने जिलाधीश महोदय को दिखाया कि यह कुआं बना हुआ है, लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों के न जाँच करने की वजह से जो रुपया काश्तकारों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इतना ही नहीं, जहां २०० रुपया मंजूर हुआ था, वहाँ ४०० रुपये की कुर्की हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बतलाया कि जो रुपया सरकार के यहां से मिलता है, उसे वह जो इस विभाग के इन्जीनियर होते हैं, उनके नाम ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन उसे अपने यहाँ तकावी में दर्ज कर लेते हैं जब तक कि इन्जीनियर साहब के यहां से रिपोर्ट नहीं आजाती है। इस लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजबूर थे कुर्की जारी करने के लिए। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी से वह अच्छी तरह से जाँच करायें कि इसके लिए कौन से कर्मचारी जिम्मेदार हैं जिनके कारण यह विभाग अनपापुलर हो गया है। आज यह दफ्तर बनारस से गोंडा चला गया है। कचेहरियों में दरख्वास्तें दी जाती हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। आज ४, ५ सौ किसानों के खिलाफ कुर्की हो रही है। हालाँकि सरकार चाहती है कि वह मदद करे लेकिन इस विभाग के कारण हमारे जिले में सरकार की बड़ी निन्दा हो रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी यह निश्चित करें कि यह विभाग किसके मातहत रहे, चाहे प्लानिंग आफिसर के मातहत रहे या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत रहे। वह कहते हैं कि तुम किसी की बात मत सुनो, हम ही तुम्हारे मालिक हैं, प्लानिंग आफिसर कोई चीज नहीं हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कोई चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरे तौर पर जाँच की जाय कि कौन-कौन से व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, विभाग तो यह छोटा ही था और रकम भी ज्यादा नहीं मांग रहा था, लेकिन शिकायतें काफी की गयी हैं। पहली बात तो माननीय बलवन्त सिंह जी ने यह कही कि यहाँ पर पश्चिमी तरीकों का बरतना ठीक नहीं है, उस से मैं भी सहमत हूं। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि जमीन कम और आदमी ज्यादा। इस लिए आम तौर पर बड़े बड़े फार्म्स हो जायं, ऐसी गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। बड़े फार्म्स केवल १९ या १२ हैं। वह भी ऐसी जमीन में हैं जो खाली पड़ी हुई थी। वह फार्म्स भी कैटिल ब्रीडिंग के फार्म्स के तौर पर हैं, ऐग्रीकलचरल फार्म्स के तौर पर वह नहीं हैं। जहाँ तक ट्रैक्टर्स की बात है, ट्रैक्टर्स दो बातों के लिए होते हैं। एक तो नयी जमीन को तोड़ने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरे डीप रूटेड वीड्स जो हैं, जैसे कांस वगैरह उनको उखाड़ने के लिए यह आवश्यक है। तो मुख्यत: इन दो कामों के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं के लिए मंगाया गया। जो हमारे छोटे छोटे ऐग्रीकलचरल फार्म्स पुराने चल रहे थे, उन पर ट्रैक्टर्स नहीं रखे गये। ट्रैक्टर्स को इस लिए मंगाया गया था कि कांस का इरैडिकेशन हो या तराई भावर में या अफजलगढ़ में जमीन का रिक्लेमेशन हो। तो कोई बात भूखता को हो गई हो और कोई मोटी बात और लोगों को सूझी हो और गवर्नमेंट को न सूझी हो, ऐसी बात नहीं है। जो यह कहा गया कि कुछ गैर जरूरी और ज्यादा ट्रैक्टर्स खरीद लिये गये, इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ट्रैक्टर्स अब गैर जरूरी और ज्यादा मालूम होते हैं क्योंकि वह काम हो चुका है। जहां तक उस वक्त की बात है, यह हो सकता है कि उस वक्त शायद दस बीस कम ट्रैक्टर्स से काम चल जाता, लेकिन उस वक्त ट्रैक्टर्स का एक्सपेरीमेंट्स किसी आफिसर को नहीं था, ट्रेन्ड पर्सनल नहीं थे। गवर्नमेंट के सामने बड़ी बड़ी स्कीमें थीं, जमीन को तोड़ने की और एक उत्साह था। उस वक्त उत्साह में जमीन तोड़ने की बात जिस पैमाने पर शुरू की गयी थी, वह धीरे धीरे मुकम्मल हो गयी। जब देश आजाद हुआ तो यह था कि अन्न की पैदावार बढ़ाओ और जो जमीन खाली पड़ी है, उसको तोड़ो और उसके लिए ट्रैक्टर्स की जरूरत थी लेकिन उस समय हमारे पास ट्रेन्ड और कम्पीटेंट पर्सन नहीं थे।

यह जो कहा जाता है कि कुछ सामान गैर जरूरी खरीदा गया, हो सकता है और हम को मालूम है कि कुछ थोड़ा सा गैर जरूरी सामान खरीदा गया। उसका कारण यह है कि डिस्पोजल से सामान खरीदा गया और उसमें जो सामान हमको एक रुपये में मिलता वह चार आने में मिला। उस सामान में ९० परसेंट आइटम्स जरूरी थे और कुछ गैर जरूरी भी थे लेकिन हमको जल्दी में खरीदना था और कोई हमको मश्विरा भी देने वाला नहीं था कि यह सामान गैर जरूरी है, इस लिए उसको खरीद लिया। अब यह कहना कि जान बूझ कर रुपया फेंका गया हो, ऐसा कोई बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र गालिबन रामनारायण त्रिपाठी जी ने यह कहा कि कान्टिजेंसी का खर्चा बहुत ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, उन्होंने पहले यह कहा कि स्टाफ का खर्चा बहुत ज्यादा है। साढ़े ९३ लाख का बजट है, स्टाफ पर २६ लाख के करीब खर्चा है और सब्सिडी के लिए ५३ लाख है। ५३ लाख पर २६ लाख खर्च हो तो ज्यादा मालूम होता है। ५३ लाख सब्सिडी है लेकिन यह जो काम होगा, ट्यूबवेल का, मेशीनरी वेल्स का, पम्पिंग सेट्स का, वर्क शाप्स का या ट्रैक्टर्स का उसमें सब्सिडी इतनी मदों में दी जायगी। यह मतलब नहीं है कि ५३ लाख कुल खर्चा या कुल काम को रिप्रेजेंट करता है। कान्टिन्जेंसी के जो रनिंग चार्जेज हैं, ट्रैक्टर्स के और वर्कशाप्स के वह बहुत ज्यादा होते हैं और डिपार्टमेंट्स की जो कान्टिन्जेंसी है, उसके मुकाबिले में ऐग्रीकलचर विभाग और ट्रैक्टर विभाग की कान्टिन्जेंसी ज्यादा होगी ही, इस लिए कान्टिन्जेंसी की रकम कुछ ज्यादा दिखायी दे रही है।

यह कहा गया कि जो होल्डिंग्स तराई भावर में दी जा रही हैं, वह बहुत बड़ी-बड़ी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दस एकड़ से ज्यादा दो साल के अन्दर किसी एक आदमी को जमीन नहीं दी गयी। जैसा मैंने पहले कहा है कि ज्यादा जमीन जो दी गयी है, उसके मुताल्लिक बोर्ड आफ रेवेन्यू को पुराने जमाने से पूरा अख्तियार चला आ रहा था कि विदाउट रेफ़रेंस टू गवर्नमेंट वह दे सकते थे और इस तरह उन्होंने दे दी थी, या रामपुर में मजंर के पहले लोगों ने दे दी थी। लेकिन यह कहना कि ५० एकड़ से ज्यादा अब भी यह गवर्नमेंट दे रही है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। गवर्नमेंट स्टेट्स में दस एकड़ अब जमीन दी जा रही है। कालोनाइजेशन के सिलसिले में ऐग्रीकलचर ग्रेजुएट्स को ३० एकड़ जमीन दी जा रही है जबकि पहले, उनको ५० एकड़ दी जाती थी। ऐसी हालत में भी बराबर इसी सवाल को उठाना ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि कल एक साहब ने यह कहा कि जमींदारी का टी० बी० स्टेट्स में गवर्नमेंट नाजायज पैट्रनेज करती रही, गवर्नमेंट की जमींदारी

[श्री चरण सिंह]

है। वहां जो टेनेन्ट्स हैं, वह ज्यादातर भूमिधर बन जायेंगे, या सीरदार रहेंगे, बाकी जमीन तो गवर्नमेंट की रहेगी। गवर्नमेंट फिर भी जिसको चाहेगी, देती रहेगी। इसलिए उसपर क्या असर पड़ सकता है।

श्री गेंदासिंह---किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती है।

श्री चरणसिंह---लेकिन वहां तो हम जमीन दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट की जमीन है। जो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, वहां क्राउन वगैरह में दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो जहां कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें हो तो नहीं लेकिन जहां वेस्ट लैन्ड पड़ा है, उसमें क्या होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहना और गवर्नमेंट की नीयत के लिए कहना शोभा नहीं देता है।

बोक्सा और थारू लोगों के बारे में कुछ बातें कही गयीं कि उनको दिक्कतें हो गयी हैं। यह लोग एक गरीब किस्म के और सभ्यता से दूर जंगलों के रहने वाले हैं। जहां जमीन खाली पड़ी है उनको जमीन को छोड़कर अगर उनके पड़ोस में भी ट्रैक्टर्स चलवाते हैं, तो यह लोग भाग जाते हैं। इस लिए बेशक उनको तकलीफ हुई है। बाकी उनके लिए जमीन तोड़ी जा रही है और उनके लिए जमीन रिजर्व है। मुझे माननीय रावत जी बतला रहे हैं कि उनको जमीन एलाट हो रही है। हमने वहां के डिप्टी कमिश्नर को बुलवाया और उन से बात चीत हुई, तो उन्होंने बतलाया कि सारी जमीन एलाट हो गयी है। यह जो कहा गया कि किदवाई साहब ने एक फार्म को ४,००० एकड़ जमीन दे दी तो वह किदवाई साहब ने जमीन नहीं दी। हमने दी, उसका क्या वास्ता जमीन देने का है और ५०० एकड़ जमीन दे दी गयी। जब ५०० एकड़ के बजाय आप ४,००० एकड़ कह सकते हैं, यानी आठ गुना गलत कह सकते हैं, तो मालूम होगा कि आपकी बात का कहां तक यकीन किया जाय। यह जो बात कही गयी कि जंगल की जमीन रिजर्व होगी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है जब आप लोग लेने जायेंगे नहीं, तो जंगल तो रिजर्व होगा ही। उन लोगों ने फिर काश्त करना शुरू कर दिया तो जंगल की रिजर्व हो गई। तो क्या करें, क्या लोगों को बांधकर रखें।

यह भी कहा गया कि आपरेटर्स का रिट्रेंचमेंट हो रहा है। जरूर हो रहा है और जब रिट्रेंचमेंट होता है, तो शिकायतें होती ही हैं। मेरे पास भी शिकायत आयी है और अगर कोई गलती होगी, तो दूर की जायगी। यह कहा गया कि टचूब वेल्स फेल हो गये हैं। हमारे ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग विभाग ने जहां जरूरी समझा टचूब वेल्स लगाये हैं। अब उन्होंने पानी कम देना शुरू कर दिया है। इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है। इस साल २९ टचूब-वेल्स बने हैं जिनमें से १२ आर्टीशियन वेल्स हो गये हैं, १६ काम कर रहे हैं, और एक फेल हो गया है। कल हमारे सुपरिन्टेंडेंट आये हुए हैं, उनको यह रिपोर्ट है जिसके सम्बन्ध में यह पिक्चर दी गयी कि टचूब वेल्स तो बेकार हो गये हैं। अभी दो मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष---इस अनुदान के लिए साढ़े चार घंटा का पूरा समय है। इसलिए मैंने आप को बतलाया। समय का आप के लिए वैसा कोई बंधन नहीं है।

श्री चरणसिंह---मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय श्री कृष्णचन्द्र जी ने बतलाया कि ट्रैक्टर्स को कास्ट बहुत पड़ जाती है। वह तो सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गनाइजेशन है। वही जितना खर्च करता है। हमारा तो यह है कि हम हिन्द गवर्नमेंट को एक एक पैसा दे देते हैं। पहले उन्होंने कम बतलाया फिर बढ़ाया और फिर बढ़ाया। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट हिन्द हमें एक पैसा नहीं देती। इसलिये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं आपकी इत्तिला के लिए श्री कृष्णचन्द्र जी को इत्तिला के लिए कहना चाहता हूं कि अब १० रुपया फी एकड़ खर्चे में कमी करने का ऐलान किया है। कहते हैं कि इरिगेशन

के लिए बुन्देलखण्ड में कुछ हुआ ही नहीं। साहब, मैं तो यह कहूंगा, कृष्ण चन्द्र जी मुझे माफ करेंगे कि आप तो नारायणदत्त जी को भी मात कर दिये। आपने तो उनको भी मात कर दिया। जितना बुन्देलखण्ड में इरिगेशन के लिए किया गया है, उतना स्टेट के किसी इलाके में नहीं किया गया है। और फिर आते-आते कहाँ आये कि ललितपुर और महरौना तहसील में कोई इन्तजाम नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ललितपुर और महरौना में न हुआ हो। लेकिन हर तहसील में वह इरिगेशन चाहते हैं, हर तहसील में क्या मैं तो हर खेत में इरिगेशन चाहता हूं, मगर पैसा भी तो हो, साधन भी तो हों। पैसे अगर कहीं से मिलें तो कोई हर्ज नहीं है करने में। लेकिन फिर भी बुन्देलखण्ड को अगर एक खास इलाका मान लिया जाय तो सबसे ज्यादा फेवरेबुल ट्रीटमेंट बुन्देलखण्ड के साथ हुआ है इस मामले में। अब कुछ लार्ज फार्म्स के बारे में कहा गया कि पहाड़ों पर लार्ज फार्म्स कायम किये गये। पहाड़ों पर कहाँ लार्ज फार्म्स कायम किये गये हैं? यह वही शायद जानते हों। हमने तो कोई नहीं कायम किया है। नारायणदत्त जी ने एक बात यह कही कि तराई भावर में बड़ा भारी डिस्सैटिस्फैक्शन है इस विभाग के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदत्त जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके अनुमान से इस गवर्नमेंट के प्रति सन्तोष कहां है? अब रही रोड्स की बात कि विलेज रोड्स नहीं बनीं। तो करोड़ों रुपये लगाये गये, पहले से गुलजार इलाका हो गया और सब सुभीते हो गये लेकिन विलेज रोड्स नहीं हैं तो इसके लिए इस तरह से कहना कहाँ तक मुनासिब है। कुछ बात ऐसी कही जाय जो कि मुमकिन हो सकती हो तब तो ठीक है लेकिन सिर्फ इस लिए कि इत्तफाक से आप वहाँ बैठे हैं, इस लिए इस तरह की गैर मुमकिन बातें करें, और हर बात की मुखालिफत ही मुखालिफत करें, तो यह कुछ अच्छा नहीं है। केन डेवेलपमेंट की बात कही गयी कि यह दो विभागों में बंटा हुआ है। ठीक है। उसके लिए एक कमेटी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट यही है।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मन्त्री जी जरा तेजी से लपेट कर जवाब दे दें।

श्री चरणसिंह—जी हां, एक ही दो बातें और रह गयी हैं। तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका कोई वास्ता दूसरे विभागों से न हो। सोलहो आना वह किसी दूसरे विभाग से वास्ता न रखता हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका दूसरे से कुछ न कुछ ताल्लुक न हो। यही बात केन डेवेलप्मेंट की भी है। जहाँ तक केन डेवेलप्मेंट में खेती से गन्ना पैदा करने का काम है वह खेती के विभाग से सम्बन्धित है और जहाँ तक फैक्टरी से उसका ताल्लुक है वह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

रामनरेश जी की एक बात रह गयी उनको अभी तक यह पता नहीं कि इस डिपार्टमेंट का हेड वेड क्या है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि कृषि ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग खालिस ऐग्रीकल्चर में था। पहले तो वह विभाग इरिगेशन का इन्तजाम करता था, प्राइवेट ट्यूबवेल्स का, प्राइवेट वेल्स वगैरह का, अब उसमें ट्रैक्टर वगैरा का काम है तो दो काम हो गये। उन दो कामों में से जो कि प्राइवेट लोगों के इर्रीगेशन का था वह भी जो पब्लिक बेसिस पर इर्रीगेशन का काम था, वह उनको दे दिया गया तो इर्रीगेशन का सारा ताल्लुक हो गया इर्रीगेशन से और यह मशीन इसमें रह गयी। बाकी बजट इसका आता है। चूंकि बजट में कठिनाइयां हैं इस वजह से मैं वह पेश कर देता हूं। अब जो आपकी शिकायत है वह मेरी नोटिस में नहीं आयी। वैसे है तो वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की बात लेकिन अगर वह मेरी नोटिस में आयेगी तो जो एडीशनल चीफ इंजीनियर इसके मालिक हैं, उनको बुलाकर मैं इसकी तहकीकात करा लूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मेरे पास समय नहीं है। तबियत तो होती है कि माननीय मंत्री जी को कुछ बधाई दूं। एक मंत्री की हैसियत से जितना उन्होंने मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों को स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर ज्यादा खरीदे गये और नातजुर्बेकारी थी इससे गड़बड़ी हुयी। और और बातें उन्होंने स्वीकार कीं वह काफी हैं और बधाई दे ही देता हूं ताकि आइन्दा उनकी हिम्मत बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय,

[श्री रामनरायण त्रिपाठी]

मैंने आपसे यह बताया था कि दोहरा ऐडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन और स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन में चलता है। मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि माननीय कृष्ण चन्द्र जी ने जवाब में माननीय मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर डाल दी और इसलिये ६०-६०,६५-६५ रु० किसानों से फ़ी एकड़ वसूल करने को ठीक कराने की कोशिश की।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं रहीमाबाद पावर स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूं कि जब शारदा पावर स्टेशन बन रहा था और उससे वह एरिया कवर हो सकता था तो रहीमाबाद पावर स्टेशन क्यों बनाया गया? मुझे ताज्जुब है कि रहीमाबाद पावर स्टेशन सात लाख रुपया लगा कर बनाया गया और वह उसी वक्त चालू होगा जिस वक्त शारदा पावर स्टेशन चालू होगा। यह गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है। यह सात लाख रुपया किससे वसूल किया जायगा? मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने सदन में घोषणा नहीं की लेकिन सदन के जितने सदस्य बोले वह उनके साथ हैं और मैं समझता हूं कि एक हाई पावर कमेटी इस किस्म की बनायी जानी चाहिये। जो पिछले, अब और आगे के संगठन की जांच करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत १,६१,७५,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

*श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशु चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१—पशुचिकित्सा) के लिये १,२८,७२,६०० रुपये की मांग को स्वीकार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष १ करोड़ २६ लाख रुपये का खर्चा इस विभाग के लिये इस सदन ने मंजूर किया था और अब की बार ढाई लाख रुपया ज्यादा मांगा जा रहा है। यह जो खर्चा है यह इस वजह से बढ़ गया है कि बहुत से इलाकों में बहुत बड़ी भेड़ों का अनुसंधान और इस सिलसिले में काम करने के लिये बड़े केन्द्र खुल रहे हैं, इसके अतिरिक्त गोपाष्टमी पिछले साल मनाई गयी थी और अब की बार और उत्साह से इसको मनाने का उद्देश्य है, इसकी वजह से कुछ खर्चा बढ़ गया है। फिर इसके लिये वेटेरिनरी कालेज में लड़कों की तादाद बढ़ी। इस कालेज में हर साल ६० लड़के भर्ती किये जाते थे लेकिन अब की बार १०० आदमी भर्ती होंगे, जिसको अब की साल से शुरू किया गया है। इस से यह ढाई लाख का खर्चा बढ़ा है जो कि एक तरीके से नाम मात्र ही है। हमारे प्रदेश तथा देश के लिये धन का उत्पादन दो ही बातों से हो सकता है, एक तो भूमि और दूसरे पशु। इसके अतिरिक्त कारखानों में भी पैदावार बढ़नी चाहिये। यह तो ठीक है लेकिन भूमि और पशुओं के जरिये से जितनी दौलत पैदा होती है वह ९० या ९५ फीसदी हमारे यहां के लिये साधन है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये जब तक पशुओं की उन्नति नहीं होगी, उनकी नस्ल में सुधार नहीं होगा, उनके रोगों का इलाज नहीं होगा, उनके लिये अच्छा चारा नहीं निकाल सकेंगे तब तक उनका एक अंग ही हमारे साधन के प्रयोग में आयेगा, बल्कि वह एक अंग भी होना मुश्किल है क्योंकि खेतों का विकास पशुओं की उन्नति पर बहुत कुछ निर्भर है और इसीलिये गवर्नमेंट यह चाहती है कि बहुत तेजी से हम इस सिलसिले में कदम बढ़ायें। लेकिन जहां हमको इतने रुपये पैसे की दिक्कत रहती है वहां एक बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रेन्ड हैन्ड की हमको बहुत आवश्यकता है। डाक्टर्स स्टाकमैन वगैरह की अत्यन्त आवश्यकता है और अब भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां हमें जितने आफिसरों की जरूरत है, वह पूरी नहीं हो पायी है और वहां अभी तक कम ट्रेन्ड लोगों से ही हम काम चला रहे हैं।

वैटेरिनरी कालेज, मथुरा को तीन चार साल हो गये हैं परन्तु उससे पहले हमारे यहां के नौजवान अगर वैटेरिनरी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उनको बिहार जाना पड़ता था। अब हमारी खुशकिस्मती से एक बहुत बड़ा कालेज हमारे सूबे में ही इस सिलसिले में खुल गया है। वहां पर पहले ६० लड़के लिये जाते थे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगले वर्ष १८ नये पशु चिकित्सालय हमारे सूबे में खुलने जा रहे हैं। अभी तक हमारे यहां २३४ थे और इस तरह से अब इनकी संख्या २५२ हो जायेगी। स्टाक्समैन भी हम ३ सौ चाहते हैं और ३ साल के अन्दर यह लोग ट्रेनिंग पाकर जल्द से जल्द आ जायेंगे। अभी इस साल १०० स्टाक्समैन भरती किये जा रहे हैं ताकि जब यह लड़के कालेज से शिक्षा प्राप्त करके निकलें तो जो इस प्रकार से काम बढ़ता जा रहा है, वह आसानी से संभाल सकें। इस समय हमारे यहां उनकी संख्या ९१७ के करीब है और जब यह ३ सौ और आ जायेंगे तो कुल मिला कर १२ सौ या साढ़े १२ सौ के करीब उनकी तादाद हो जायेगी।

पिछले साल सदन ने जो मौजूदा अस्पताल हैं उनको प्राविशयलाइज्ड करने की योजना स्वीकार की थी। तो उसके मातहत तीन जिलों के एक-एक अस्पताल को प्राविंशलाइज्ड किया गया अर्थात् गवर्नमेंट की सीधे जिम्मेदारी उनके प्रबन्ध करने की हो गयी है। अब जो वैटरीनरी अस्पताल चल रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे हैं और उनका काम सन्तोषजनक नहीं हो रहा है और जनता की उनके लिये शिकायत आती है। इसलिये पिछले साल यह हुआ कि धीरे धीरे करके जितना हो सके उन अस्पतालों को प्राविशियलाइज किया जाय अर्थात् गवर्नमेंट उनके प्रबन्ध में अपना हाथ रखे। तो इस साल सुल्तानपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर के अस्पताल प्राविन्शयलाइज किये गये हैं और अगले साल ५ अस्पताल और प्राविन्शलाइज्ड करने का सरकार विचार है।

अभी तक पशुपालन विभाग में ४ सरकिल थी जिनके हैडक्वार्टर इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा रामपुर और चौथा मेरठ। अब हम पांचवीं सरकिल और इस साल खोलने जा रहे हैं और वह अप्रैल में खुल जायगी जिसका हेड क्वार्टर, गोरखपुर और बनारस डिवीजन के जो जिले हैं वहां पर पशु-चिकित्सा और दूसरे सेवा के काम शुरू करेगी।

जहां तक डेरी का ताल्लुक है अभी तक हमारी भद्रुक डेरी थी। अभी तक उसमें कुछ नुकसान हुआ करता था क्योंकि हमको चारे का इन्तजाम दूसरी जगह से करना पड़ता था। अब हम उस डेरी को गंजरिया ले गये हैं पर हमारा एग्रीकल्चरल फार्म भी है जो काफी बड़ा है और अब डेरी के चले जाने से चारा की दिक्कत नहीं होगी। कुछ पोल्टरी का काम भी वहां पर होता है। तो अब हमारी उम्मीद यह है कि गवर्नमेंट को घाटा नहीं रहेगा। जौन्सार बावर जाने के लिये जो रास्ता है जहां से गुजरना पड़ता है वहां पर कालसी एक स्थान है जहां महाराज अशोक का एक स्तम्भ है वहां पर गवर्नमेंट ने अब एक फार्म खोला है उससे जौन्सार बावर और पहाड़ी लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहां पर सिंधी ब्रीड की गायें हैं। हमारे लोगों का यह ख्याल है कि वह पहाड़ी एरिया में पनप सकती हैं तो उनको भी वहां पर रखा गया है। कुछ भेड़ भी वहां रखी गयी हैं जिनसे जौनसार बावर और पहाड़ी लोगों को और टेहरी-गढ़वाल के लोगों को फायदा पहुंचेगा।

[श्री चरण सिंह]

हमारे यहां स्टेट मैकेनाइज्ड फार्म ११ हैं जिनका जिकर मैंने कल भी किया था उनका रकबा १९ हजार एकड़ है। उसमें से ११,३०० जेरेकाश्त है। वहां पर ३,९०० पशुओं की तादाद है और ९८६ भेड़ बकरियों की तादाद है। तो यह जैसा कि मैंने कहा कि यह रही जमीन थी जिसको तोड़कर लाखों रुपया खर्च करके यह फार्म कायम किया गया। तो जहां तक इसका एग्रीकल्चर साइड है उसमें तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन पशुओं की आमदनी और खर्च का साइड अगर देखा जाय तो उसमें नुकसान होता है। नुकसान होने का कारण यह है कि उन पशुओं का दूध बिकने के लिये कोई बाजार उस बड़े-बड़े फार्म के पास में नहीं है। उस दूध को दूर भेजना पड़ता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की बड़ी कास्ट हो जाती है और भी पेचिदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अब जो वहां पर पशु थे और जो अच्छे नहीं थे और जिनको जल्दी में खरीदा गया था उनमें से कुछ को बेंच दिया गया और कुछ को निकाल दिया गया। अब उम्मीद यह है कि अगर नुकसान हुआ भी तो उतना नुकसान नहीं होगा। अब हमने ऐसे फार्म को बन्द कर दिया है जहां पर नुकसान होता था। अब यह सभी का विचार है कि पशु फार्म में आमदनी हो जाना या मुनाफा हो जाना बहुत मुश्किल है और यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी नहीं है। बड़े-बड़े कैटिल फार्म जो होते हैं असल में उनका उद्देश्य मुनाफा कमाने का नहीं होता है वह तो इसलिये होते हैं कि अच्छी नसल उनसे पैदा की जा सके और उसका प्रचार हो सके। एक मनुष्य जो किसी एक जानवर का मालिक हो, चाहे वह गाय, बैल, भैंस या घोड़ा हो तो जिस मुहब्बत के साथ वह अपने जानवर के साथ बर्ताव करता है उस मुहब्बत के साथ जहां ५०० मवेशी हों, बर्ताव नहीं हो सकता। मैनेजर कितना ही ईमानदार हो, लेकिन वह हर पशु के साथ वह मुहब्बत नहीं कर सकता। किसी का लड़का आया, घरवाली आयी, उसका बुड्ढा आया या वह खुद आया वह जेबरा खोलकर उसे इधर से उधर बांध देता है, घास या भूसा डाल देता है। लेकिन फार्मों पर यह सब काम जब कि रुपया खर्च करके होता है वहां पर मुफ्त में ही हो जाता है। फार्मों पर जितने भी पशु की सेवा के तरीके हैं वे सब नौकर के द्वारा होते हैं। पशु भी जानदार होता है वह भी मुहब्बत को रेस्पोंड करता है इसलिये व्यक्तिगत तरीके पर जो पशु की सेवा हो जाती है वह सामूहिक तरीके पर नहीं हो पाती। हमारे जो पशु पालन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हां, मुनाफे में काम हो सकता है, लेकिन वह जब कि जो कठिनाइयां हैं वे दूर हो जायंगी। और हमें उम्मीद है कि ज्यादा पशुओं को रखकर हम इन फार्मों से मुनाफा दे सकेंगे। खैर, मुनाफा दे सकें तो यह अच्छा ही है लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कि हम मुनाफा न भी दे सकें तो भी हमारा जो उससे उद्देश्य है वह पशुओं की उन्नति करना और परीक्षण करना है, और उसके लिये फार्मों की आवश्यकता होगी।

भेड़ों की उन्नति और विकास का काम भी शुरू हो गया है और ऋषिकेश में एक फार्म इसके लिये खोला गया है। अभी उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमने आस्ट्रेलिया से कुछ भेड़ें मंगाई हैं। हमारे यहां एफ०ई०ओ० के जो एक्सपर्ट मेसर्स शपवर्ड्स और न्यूटन थे उन दोनों ने यह मशिवरा दिया कि फलां किस्म की भेड़ें आस्ट्रेलिया से मगायी जायं और टेहरी-गढ़वाल में उनका परीक्षण करके देखा जाय। अतः हमने आस्ट्रेलिया से तीन किस्म की भेड़ें मंगायी हैं। इसके अलावा अफ्रीका वगैरह से भी और भेड़ें मंगाने वाले हैं और हमें यह देखना है कि वे कौन सी पहाड़ियों में पनप सकती हैं। दो साल से हमारे यहां भेड़ों की प्रदर्शनी भी लगायी जा रही है। तिब्बत की तरफ के कुछ लोग जो जार जाति के हैं बर्फीली पहाड़ियों से जाड़े के दिनों में इधर को उतर आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें और परेशानियां होती थीं। वे इसी काम को करते हैं और ३–४ महीने यहीं रहते हैं। उनकी सुविधा के लिये यहां आर्टिफिशियल तरीके से गाभिन करने का केन्द्र खोला गया है इससे उनकी भेड़ों में सुधार हो रहा है, इससे वे खुश हैं और समझते हैं कि यहां उनका ध्यान रक्खा जाता है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि गवर्नमेंट उनकी उपेक्षा नहीं करती है।

जहां तक मछली के काम का संबंध है, यह बीच में बिल्कुल बदनाम हो गया था और माननीय सदस्य यह समझते थे कि गवर्नमेंट को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये। पहले उसमें नुकसान हो रहा था। लेकिन जब से श्री हर्ष बहादुर साही ने इस विभाग को संभाला है तब से इसमें उन्नति हो रही है। पहले जब कि २६ हजार रुपया सालाना आमदनी होती थी इस साल २ लाख रुपये की आमदनी हुयी है। आगरे और झांसी में बड़े-बड़े ताल थे जो पहले जमींदारों के कब्जे में थे उनमें भी मछली पालने का काम अच्छे ढंग से हो रहा है।

लखनऊ के अजायबघर में एक ऐक्वेरियम कायम किया जा रहा है। ऐक्वेरियम सूबे भर में कहीं नहीं था। यह भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। और भी ३-४ स्कीम्स हैं जिन पर ३ लाख १० हजार के करीब खर्चा होगा। एक स्कीम यह है कि गायों में एक बीमारी होती है जिसे बाख कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी और इंफेक्शस बीमारी है। इससे गायों को बहुत नुकसान पहुंचता है तो उस बीमारी का इलाज किया जाय उसकी एक स्कीम है। दूसरे एबार्सन भी एक इनफेक्शस डिजीज है। जिस हर्ड में दो एक जानवर को हो जाय तो वह सब में फैलता है। उस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। तीसरे यह कि वे पशु जो अनइकोनामिक हैं, निकम्मे हैं उनके बच्चे आगे पैदा न हों इस सिलसिले में अन्वेषण किया जा रहा है। चारा किस तरह से हमारे जानवरों को अच्छा मिले, मसलन पूरब की तरफ के जो जानवर हैं उनके लिये कठिनाई यह है कि उनको अच्छा चारा नहीं मिलता है इसलिये पश्चिम के जो पशु उधर की तरफ जाते हैं उनकी तन्दुरुस्ती तीन चार महीने में ही खराब दिखलायी देने लगती है। गाय, भैंसें जो ज्यादा दूध देने वाली होती हैं वे तीन चार महीने में ही कम दूध देने लगती हैं। कहा जाता है कि धान का जो पुआल होता है उसमें न्यूट्रीशन बहुत कम होता है। मगर दिक्कत यह है कि वहां पुआल तो होगा ही और हमें पशु वहां रखने ही हैं तो पुआल के साथ और क्या चीज मिलायी जाय जो ज्यादा पौष्टिक हो? उसके लिये भरारी फार्म पर जो झांसी जिले के अन्दर है, वहां अन्वेषण हो रहा है और कुछ थोड़े से नतीजे पर भी पहुंचे हैं। लेकिन अभी अन्वेषण फाइनल नहीं हुआ है। वैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया इज्जत नगर में भी अन्वेषण करा रही है और उसकी जो रिपोर्ट निकली है वह हमारे यहां की रिपोर्ट से बहुत कुछ मिलती जुलती है लेकिन अभी उसमें और खोज करने की जरूरत है।

जंगली गायों से बहुत नुकसान की शिकायतें बहुत जिलों से पहुंची हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने चिट्ठी भी लिखी कि इनको पकड़ने का इन्तजाम किया जाय। असल में यह काम गवर्नमेंट का तो नहीं होना चाहिये। यह काम तो लोगों को खुद ही करना चाहिये लेकिन हमारे यहां के लोगों की कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो गयी है कि वे हर चीज के लिये गवर्नमेंट की तरफ ही ताकते हैं। वैसे एक बात यह भी है कि उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। जब तक कोई बाकायदा संगठन का ढंग न हो तब तक उनको पकड़ना दो, चार, सात, करके बड़ा मुश्किल है। फिर यह भी सोचना है कि आखिर उनको पकड़ने के बाद क्या किया जाय। हमने सोचा था कि जितने उनके बछड़े हों अगर हम उनको बेंच दें तो जितना हमारा खर्चा होगा वह बिक्री से निकल आयेगा। लेकिन यह मसला बड़ा गम्भीर है और खास तौर से मथुरा और मेरठ में इस सम्बन्ध में बड़ी शिकायत है कि उनसे वहां की फसलों को बड़ा नुकसान होता है। तो ये दो जिले अगर चाहेंगे तो परीक्षण के तौर पर कार्य शुरू कर दिया जायगा और कोशिश की जायगी कि यह स्कीम सेल्फ सफीशिएंट हो जाय ताकि गवर्नमेंट को खर्च न करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

*श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। जैसा कि अभी माननीय मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भरतलाल सिंह]

महोदय ने कहा कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, इस बात की सख्त जरूरत है कि पशुधन की यहां पर हर तरह से रक्षा की जाय और उसमें भी नस्लों को सुधारने का काम सबसे मुख्य है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मुझे केवल यह कहना है कि हम लोग उधर की तरफ अपना कदम कहते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पशुधन की रक्षा तभी हो सकती है जब कि पूरे तौर से उनके चारे का इन्तजाम कर सकें। और बदकिस्मती से हम यह देखते हैं कि पिछले दस वर्षों से या कुछ ज्यादा से जितनी भी चरागाह थे वह सब हमारे और हमारी सरकार की आंखों के सामने गायब हो गये, चरागाहों का कहीं पता नहीं है और इसके लिये सरकार की ओर से कोई प्रयत्न भी नहीं देखते हैं कि चरागाहों को फिर से कायम किया जाय या कोई और इंतजाम किया जाय जिससे पशुधन के लिये चारे का प्रबंध हो तो मुझे यह बहुत बड़ी कमी दिखायी पड़ती है कि कोई कदम इस तरफ नहीं उठाया जा रहा है। इसी के कारण, जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद कहा कि इधर पूर्वी जिलों में चारे की कमी के कारण उधर से जितने पशु आते भी हैं वे भी बहुत कमजोर हो जाते हैं और जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि पिछले साल अकेले देवरिया जिले में २५ हजार जानवर बीमारी से और चारा न मिलने के कारण मर गये। उसकी सूचना भाई गेंदा सिंह जी ने अखबारों में भी दी और मंत्री महोदय से भी मिले और हर तरह से कोशिश की गयी लेकिन उनके बचाने का कोई प्रयत्न कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं किया गया। वहां जो सरदार नगर फैक्ट्री है उसके जो मालिक हैं उन्होंने, दस बारह और चौदह आने मन तक-तीन तीन वर्ष पुरानी खोइया बेची और अपनी पूरी जेबें भरीं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह से तीन-तीन वर्ष की पुरानी सड़ी हुयी खोइया से पशु की रक्षा कैसे हो सकती है। तो जहां हम नयी-नयी स्कीमें निकालते हैं यह सब बातें भी देखनी चाहिये। हम हृदय से यही चाहते हैं कि हमारे देश में पशुधन की तरक्की हो लेकिन आज उसकी रक्षा करने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं।

अभी-अभी जैसा कहा गया कि बहुत से पशु ऐसे हैं जिनकी छानबीन की जाय। बहुत से पशु ऐसे हैं जो कि दूध नहीं देते हैं और न सिर्फ दूध नहीं दे सकते हैं बल्कि खेतीबारी में भी किसानों को तबाह करते हैं। उनके लिये आप गोसदन खोलें और उनको लाकर वहां रखें इसके सिवा आपके पास पशुधन की उन्नति के लिये कोई साधन रह नहीं जाता क्योंकि अच्छे से अच्छे चारे का अंश वह खा जाते हैं। इसमें कोई खास खोज बीन की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने वर्षों से हर एक किसान जानता है कि चार सौ, पांच सौ के गिरोह में एक जगह बैठते हैं दिन में और रात में हल्ला मारते हैं। न एक छटांक दूध देते हैं और न किसी काम आते हैं। यह काम बहुत मुश्किल तो है इसे माननीय मंत्री भी कहते हैं लेकिन उनके प्रबंध करने की तरफ कोई कदम नहीं उठा पाते। तो मैं कहूंगा कि डिपार्टमेंट सबसे पहले इस तरफ अपना ध्यान दे। मैं एक उदाहरण अपने जिले का पेश करूंगा कि सरकार अपने सांड़ जो छोड़ती है खुद उनकी रक्षा का ध्यान नहीं देती। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गांव जलेसरी, तहसील सिकन्दराराऊ में एक सांड़ ५४४ नम्बरी का था, ९ जून सन् १९५३ को एक आदमी ने भाले से उसको मारा और ११ जून को वह मर गया। और वहां के चौकीदारों ने जा करके रिपोर्ट की वहां के थाने में भी और सिकन्दराराऊ के डाक्टर साहब रहे। डाक्टर साहब गांव में आये और चले गये बात चीत करके, थानेदार साहब आये, थानेदार ने गवाहियां भी लीं, वारन्ट निकाला, और उनके खिलाफ दफा ८०, ८२ में कार्यवाही भी हुयी। लेकिन फिर मुकदमा आज तक दस ग्यारह महीने हो गये, नहीं चला क्योंकि गवर्नमेंट का सांड़ मर गया, चलो खात्मा हुआ। जब आप स्वयं अपने पशुधन की रक्षा नहीं कर सकते हैं और इस तरह से आप कार्यवाहियां होने देते हैं तब फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस तरह से पशुधन की रक्षा कर सकेंगे। यह बात जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार की कि जितने भी उनके फार्म हैं वह ज्यादातर नुकसान पर ही चलते हैं, मैं तो मानता हूं कि

आरम्भ में वह नुक्सान पर ही चलेंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि वहां पर जैसा उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत ध्यान जितना अपने पशुओं के लिये दिया जाता है वह वहां नहीं दिया जा सकता है यह सब कुछ मानते हुये भी मैं यह कह सकता हूं कि जहां पशुधन रक्खा जाय वहां पर ही अगर खेती का पर्याप्त संख्या में इंतजाम हो तो खेती का मुनाफा भी और पशुओं की रक्षा दोनों ही हो सकती हैं।

दूसरी बात यह कही गयी कि ट्रेन्ड आदमियों की बहुत कमी है। आपके स्टाकमैन पहले ६ महीने की ट्रेनिंग पाते थे और उनकी तनख्वाह ४५ रु० से शुरू होती थी लेकिन अब स्टाकमैनों की ट्रेनिंग एक साल की कर दी गयी है, महज एक मजमून में ही नहीं बल्कि ७, ७ मजमूनों में, लेकिन उनकी तनख्वाह ४५ ही रक्खी गयी है और उनके नाम में भी कोई तब्दीली नहीं की गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप सुपीरियर क्वालिटी की ट्रेनिंग देते हैं और ७ विषयों में देते हैं जैसे फिशरी और पोल्ट्री में लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह ४५ से ही शुरू करें, यह कहां तक उचित है। फिर उनको आप कहीं पर भी देहात से निकाल कर दूसरी जगह डाल दें और उनके लिये अपने घर जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाय, यह बात कहां तक उचित और न्यायसंगत है ? मेरी समझ में जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक आपको उपयुक्त आदमी मिलने में बड़ी कठिनाई होगी।

मैं आपको बतलाऊं कि यह मालूम हुआ है कि आपके वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स मास इनाकुलेशन करने जा रहे हैं पशुओं का। इसके लिये कैम्प खोले जायेंगे और वह इसके इन्चार्ज होंगे और आपके जो ट्रेन्ड स्टाकमैन होंगे वह इस काम को करेंगे। तो काम तो करें सारा स्टाकमैन और नाम हो वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन्स का, इस तरह से आपके पास किस तरह से ज्यादा रक्षा करने वाले लोग आ सकते हैं ? मैं यह समझता हूं कि आपके जो पहले की ६ महीने की ट्रेनिंग पाये हुये हैं उनका नाम स्टाकमैन रक्खा जाय लेकिन जिन्हें आप साल भर की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उनका नाम स्टाकमैन सुपरवाइजर रख दिया जाय और उनकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की जाय। तब कहीं जाकर उनको इस काम में उत्साह और दिलचस्पी होगी और वह काम को भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कि बड़ी मुश्किल हो जायगी। मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे जिले में सेंटर डेरी फार्म है। वहां पर भी जब कभी मैं जाता हूं तो यह सुनता हूं कभी ६० आदमी निकाल दिये गये और कभी और आदमी निकाल दिये गये। इस तरह से आप अनइम्पलायमेंट बढ़ाते ही जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी तरफ से स्टैन्डिंग आर्डर्स निकलते हुये भी बगैर किसी कारण के उनको निकाला जा रहा है। वह कहते हैं कि खर्चा नहीं चलता है लेकिन जो ऊंची नौकरियां पाने वाले लोग हैं उनको नहीं घटाया जा रहा है और उनको बगैर काम के रक्खा जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से पशुधन की रक्षा होना बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि अभी थोड़े दिन हुये पिछले साल जो पशुओं की प्रदर्शिनी की गयी थी, मैं भी फार्म पर मौजूद था तो वहां पर लोग इधर-उधर पासपड़ोस से जानवर लाये और इनाम भी बांटे गये। बड़ा अच्छा काम है लेकिन वास्तव में जो आप के डिपार्टमेंट के आफिसर हैं उनकी दिलचस्पी होनी चाहिये। मैं इस बात पर जोर दूं कि जब तक आप चारे का प्रबन्ध नहीं करेंगे और जो चारे की फसल बोयेगा उसकी आबपाशी में कमी करने के लिये नहीं तैयार होंगे, चरागाहों का इन्तजाम नहीं करेंगे, तब तक केवल मंत्र जपने से कि पशुधन अच्छा हो जाय, यह अच्छा हो नहीं सकता। जो नाकारा पशु खेती को बरबाद करते हैं उनके लिये काफी मात्रा में जब तक अलग गोसदन नहीं खोले जायेंगे, तब तक यह कहना कि आप इस प्रांत में पशुधन की रक्षा कर लेंगे और उन्नति कर लेंगे, असंभव सी बात है। बस इतना कहकर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर कुछ थोड़े से सुझाव माननीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो जो उन्होंने कहा कि लखनऊ जूलोजिकल गार्डेंस में वह एक अक्वेरियम का प्रबन्ध कर रहे हैं, यह एक बड़ा अच्छा कदम है और इस मामले में मैं आपके द्वारा उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस अक्वेरियम को एक बहुत बृहत रूप दें और अपने राज्य के अन्दर जितनी भी वाटर लाइफ है उस सभी का स्पेसीमन रखने की कोशिश करें। इससे हमारे राज्य के अन्दर एक किस्म से मछली और पानी के अन्दर रहने वाले जीवों का एक बहुत अच्छा संग्रहालय बन जायेगा। इस मामले में मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि इंडिस्क्रीमिनेट मछली का शिकार खेलने से और मछली के ब्रीडिंग के सीजन में उसके मारने को न रोकने के कारण बहुत सी ऐसी मछली की वैलुएबिल स्पेसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जिस तरह शिकार के लिये कुछ ब्रीडिंग के सीजन में कानून हैं रोक के लिये, उसी तरह से मछली के लिये वे एक कानून बनायें।

भेड़ों के पालने के बारे में माननीय मंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि हायर अल्टीच्यूड पर रहने वाले जिन आदमियों का उन्होंने जिक्र किया, जिनका पेशा केवल जानवर पाल करके और खास तौर से भेड़ें पाल करके अपना जीवन निर्वाह करना है और जो जाड़ा पड़ने के साथ बराबर नीचे उतरते आते हैं और गर्मी पड़ते ही बराबर ऊंचे चरागाह की खोज में चले जाते हैं, उनमें से अगर कुछ जवान और पढ़े लिखे आदमियों को बाहर देशों में भेड़ पालने की अमली शिक्षा के लिये भेजें तो मैं समझता हूं कि बहुत उपकार होगा।

इसके अलावा एक खास बात जो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से अर्ज करना चाहता हूं, यह है कि उन्होंने मत्स्य विभाग और जलाशयों का जिक्र करते हुए यह बतलाया कि जमींदारी खत्म होने के बाद बहुत से जलाशय सरकार के पास आ गये, और उनमें सरकार ने मछली पालना शुरू कर दिया। इस सम्बन्ध में मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि देहात में जलाशयों को सरकार ने लिया है, और उनको डेवेलप भी किया है, लेकिन उसकी मछली वहां के लोग नहीं खा सकते। वह मछली या तो लखनऊ या बरेली या और बड़े शहरों में आती है। मिसाल के तौर पर तिलहर में एक म्युनिसिपैलिटी का तालाब है। उस तालाब को मत्स्य विभाग ने ले लिया है, और उसमें मछली पालता है। लेकिन अगर तिलहर वालों को उस तालाब की मछली खानी हो, जो कि वह सदियों से खाते चले आ रहे थे, तो उनको लखनऊ आना पड़ेगा या बरेली जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां मछली का लोकल सेल करने का कोई कानून नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से आप के द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि तिलहर से इतनी दूर मोटर पर ला करके वह मछली यहां लखनऊ और बरेली में एक रुपया चार आने में बेचते हैं, लेकिन तिलहर के लोगों को एक रुपया चार आने में नहीं देते हैं यह बहुत बड़ी गैर इन्साफी हमारे साथ है। तो सवाल यह है और इस ओर माननीय मन्त्री जी अपना विशेष ध्यान दें कि इस तरह से जो लोकल आदमियों की हकतलफी हो रही है, उस पर वह अपनी तवज्जुह देकर उनको गैर इन्साफी से बचायें। बहुत से ऐसे तालाब भी फिशरीज डिपार्टमेंट ने ले लिये हैं, जो ऐसे अच्छे तालाबों की कैटिगरी में नहीं आते हैं। एक तो रट्टे की डबरी और दूसरा ईशरा का तालाब। पहले दरिया बहता था, लेकिन अब दूर बहने लगा है। यह जलाशय ऐसे हैं कि किसी से भी बन्द नहीं हैं। जब बाढ़ आती है, तो इनमें पानी भर जाता है। इस लिए फिशरीज डिपार्टमेंट इसमें कोई डेवेलपमेंट की चीज भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि पानी आने पर सब बह जाता है, और नहर में एकत्रित हो जाता है। फिशरीज डिपार्टमेंट डेवेलप्मेंट का कुछ काम नहीं करता है। इस लिए उसको ऐसी जलाशयों को लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। वह लेते हैं, तो गजट में नोटिफिकेशन कर देते हैं, और फिशरीज विभाग वाले शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो अक्सर झगड़े की नौबत आजाती है। ऐसी जगहों में मैं कहूंगा कि लोकल आदमियों को राइट्स जिनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत दिनों से वह लाभ उठाते रहे हैं, उनको सुरक्षित रखा जाय। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसको ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष—(माल मंत्री से) इस अनुदान का समय अब केवल तीन मिनट रह गया है। यदि आप कुछ कहना चाहें, तो कह सकते हैं। इसका जो समय निर्धारित हो चुका है, उससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री मलखान सिंह जी ने कहा कि पशुचर की हमारे यहाँ बहुत ही कमी है। जब तक गवर्नमेंट इसकी पूर्ति न करे तब तक उसका कहना और उसके वायदे थे और फीके हैं। हम भी चाहते हैं कि पशुचर किसी तरह से बढ़ जाय। लेकिन अगर मलखान सिंह जी हमें नुस्खा बतला देते और हम उस पर अमल न करते तब तो उनकी शिकायत की बात थी।

श्री मलखान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी कहा वह पशुधन की कमी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मैंने तो चारगाह के सम्बन्ध में कहा कि उसकी कमी है।

श्री चरण सिंह—जी हां, मैं भी पशुचर की बात कह रहा हूं,। यदि मैं पासचर कहता तो शायद ठीक होता। पशुचर के माने भी पासचर के ही हैं। चरागाह की कमी की ही आपको शिकायत है। गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में दो काम कर सकती थी, वह उसने कर दिये हैं। एक तो यह आदेश निकाला है कि दफा १२६, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून के मातहत जितना रकबा गांव का कुल है, उसका १/१० परती भूमि में से चरागाह के लिए रिजर्व रहेगा। दूसरी बात हम यह तय कर रहे हैं कि जो कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स यानी चकबन्दी करने जा रहे हैं, उसमें अगर किसान चाहें, तो आधे में चरागाह के लिए जमीन छोड़ देंगे, तो गवर्नमेंट को कोई उज्र नहीं होगा। तीसरा कौन सा काम है, जिसके जरिये गवर्नमेंट पशुचर को बढ़ा सकती है? मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, यदि श्री मलखान सिंह जी हमें कोई तरकीब बतला दें।

तीसरी बात यह कही गयी कि देवरिया में २५ हजार जानवर मर गये, पता नहीं कौन सी एजेंसी उनके पास है, जो उनको इस तरह की खबर देती रहती है। हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। यह जरूर है कि चारे की कमी रही, और हमारे पास रिपोर्ट आयी कि सूखी घास भेज दो जाय। दिसम्बर से कोशिश करते करते, क्योंकि कुम्भ मेला था, और वैगन्स नहीं मिल सके, हमने आफिसर्स को बुलाकर कहा, लेकिन वह मजबूर थे। अब मेला खत्म हो गया है, इस लिए हमने २७ वैगन्स भेज दिये हैं, और हम क्या कर सकते थे? यह भी कहा गया है कि जंगली गाय वगैरा पकड़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आखिर सब काम क्या गवर्नमेंट ही करेगी? क्यों न आप लोगों को इकट्ठा करके पकड़वा लेते? सब चीज गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट खाना भी खाया करेगी, सब लोगों की तरफ से। एक बात उन्होंने यह कही कि कैटिल फार्म्स जो हैं, उनमें एक जो प्योरली ऐग्रीकलचरल हिस्सा है, वह भी कर दिया जाय, जिसमें खेती की जाय। जिसके मुनाफे से पशुओं पर जो घाटा होगा, वह भर दिया जाय। यह तो मैंने कहा कि यह हो रहा है। जहाँ तक ऐग्रीकलचरल फार्म्स हैं, वह मुनाफे पर चल रहे हैं, लेकिन जो प्योरली कैटिल का खर्चा है वह नुकसान से चल रहे हैं। वह तो मिक्सड फार्म्स हैं और ऐसा तो होता ही है।

भगवान सहाय जी को यह शिकायत है कि मुकामी लोगों को मछली खाने को नहीं मिलती। तो अब तक मुझे यह शिकायत मालूम नहीं थी। अब मैं यह कोशिश करूंगा और अगर कुछ हो सकेगा, तो इसका इन्तजाम किया जायगा। लेकिन इस से खर्चा ज्यादा हो जायगा कि कोई राज कर्मचारी वहाँ दुकान खोलकर बैठे और बेचे। अगर कोई ऐसी स्कीम भगवान सहाय जी बता सकें कि गवर्नमेंट को घाटा न उठाना पड़े, तो मैं उसपर विचार करूंगा।

[श्री चरण सिंह]

एक यह चीज कही गयी कि गाँवों में तालाब और पोखर जो थे, उनका नीलाम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं, हो सकता है कि ठीक तरह से न होता हो। लेकिन यह तो अब पुरानी बात हो गयी। जब जमींदारी खत्म हुई थी, तब से सारे गवर्नमेंट में बंध्द हो गये थे; निहित हो गये थे। इस बीच में हम तहकीकात करा रहे थे, कि कौन कौन से पोखरे सिंचाई विभाग को दे दिये जायं, कौन से ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट को दिये जायं और कौन कौन से गाँव वालों को दे दिये जायं। अब लाखों पोखर हजारों गाँवों में फैले हुए थे। कुछ पोखर ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट को कुछ सिंचाई विभाग को और बाकी सब गाँव समाज को दे दिये गये। और अब काफी दिन हो गये। ११ अगस्त, सन् १९५३ को दे दिये गये थे। उसके बाद उसका मालिक गाँव समाज हो गया। वह उनका जो चाहे करे। नीलाम करे, सिंघाड़ा लगाये या चाहे जो करे। अफसरान को अब उसमें कुछ करने का कोई मौका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पहले दो तीन बातें कहना भूल गया था। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि डाक्टर सीताराम की अध्यक्षता में एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई है, और उसकी चार उपसमितियाँ बनी हुई हैं, जो कि चारों तरफ बड़ी खोजबीन कर रही हैं और बड़ी तत्परता से लगी हुई है। जब उनकी रिपोर्ट आ जायगी, तो जो अपने साधन हैं, जितना हो सकेगा, आप लोगों की स्वीकृति से वह करने की कोशिश की जायगी।

दूसरी बात यह इस सदन को जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो बादशाहबाग में बायोलाजिकल लेबोरेटरी हैं, उसके कार्य को हमने काफी विस्तृत कर लिया है। पहले वहाँ २१ लाख डोजेज वैक्सीन पैदा होती थी। अब ७१ लाख डोजेज हम पैदा करने लगे हैं। और इस से यही नहीं कि हम अपनी जरूरत पूरा कर लेते हैं, बल्कि दूसरे सूबों को भी हम वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं। दो वैकुअम फ्रीज ड्राइंग यूनिट्स—जो कि एक तरह की टेक्निकल मशीन होती है, का निर्माण हमने कर लिया है और इस से इस कार्य में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इन सब के फलस्वरूप २ लाख ३८ हजार रुपये का मुनाफा हमको उन लेबोरेटरी से होने लगा है।

तीसरी बात ४ जिलों में रामपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रतापगढ़ में जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाया गया और अब की ८ जिलों में यह कार्य किया जा रहा है, जो कि ३१ मार्च तक मुकम्मल हो जायगा। सभी जानवरों को नहीं, तो कम से कम ८० प्रतिशत को तो बीमारी से बचाने के टीके लग ही जायेंगे।

इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं सदन को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत १,९८,७२,९०० रु० की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पे मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता के निधि से संक्रामित धनराशि, के अधीन १४,७४,९०० रु० की माँग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, १९३६ में एक यू० पी० फेमीन रिलीफ फन्ड ऐक्ट पास हुआ था, जिसके अधीन ५१ लाख रुपये का फेमीन फन्ड कायम किया गया। उस फेमीन फन्ड में ३६ लाख ३ सौ रुपया गवर्नमेंट आफ इन्डिया की सिक्योरिटी के रूप में है। बाकी नगद वगैरह है।

आपत्तिकाल के लिए यह रुपया सुरक्षित रहता है। इस वर्ष काफी रुपया इस निधि से लिया गया। उसकी पूर्ति के लिए १६ लाख रुपया उस फन्ड में हम को ट्रांस्फर करना पड़ेगा। यह वर्ष जो खत्म हो रहा है, इन पिछले साढ़े ग्यारह महीनों में हमारे यहां बहुत बड़ी बाढ़ आयी। इस बाढ़ के लिए कहने वाले यह कहते हैं कि १८७१ के बाद में ऐसी बाढ़ आयी, कुछ जिलों में मसलन आजमगढ़ वगैरह में। गोरखपुर, लखनऊ बहुत से जिलों में बाढ़ आयी। उन सब के एक जगह आँकड़े संकलित किये गये हैं। उनके अनुसार १४ हजार गाँव बाढ़ से पीड़ित हुए। उन का २२ हजार एकड़ रकबा था। ३६ लाख आदमियों और ८० हजार मकानों को इस से नुकसान पहुंचा। जो फसल को नुक्सान पहुंचा उसका अनुमान १० करोड़ रुपये का है और जो जायदाद को हानि पहुंची उसका अनुमान १ करोड़ १० लाख रुपये का है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ६६ लाख रुपये की तकावी मंजूर की। ५ लाख ६६ हजार रुपये ग्रेट्युटस रिलीफ़ दी गयी। इस में से सवा लाख गरीब आदमियों को मकान बनाने के लिए दिया गया। और जिनकी हालत अच्छी थी, उनको भी मकान बनाने के लिए तकावी दी गयी। ६६ लाख में वह शामिल है। ६ लाख ७० हजार रुपया टेस्ट रिलीफ वर्क्स पर, लोगों को मजदूरी मुहैया करने के लिए दिया गया। मालगुजारी के जो हमारे पास एस्टिमेट्स आये हैं, उनके मुताबिक मालूम होता है कि ४३ लाख रुपये की छूट खरीफ में दी जायगी। हो सकता है कि १०, २० हजार इधर या उधर हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, खेती के मुहकमे और कोआपरेटिव के मुहकमे से जो सवाये पर बीज दिया जाता है, उसकी वसूलयाबी मुअत्तिल करा दी है। कुछ जगह सूखी घास पहुंचाने की कोशिश की गयी। भूसा भी पहुंचाया गया। जैसे आजमगढ़ में पिछले साल गया था, वहाँ बड़ी माँग थी। लेकिन गवर्नमेंट को वहां नुकसान हुआ। ट्रांस्पोर्ट तो मुफ्त में ही ही गया। लेकिन उसकी जितनी असली कीमत थी, उसकी आधी कीमत पर भी वहाँ के लोगों ने नहीं लिया, तब हमने कहा कि मुफ्त दे दो। पहले भूसे की बहुत माँग होती है, लेकिन बाद को जब पहुंचता है, तो बहुत कम लोग लेने को तैयार होते हैं। कहीं-कहीं जैसे बलिया में कुछ विद्यार्थियों का फीस भी माफ करने की कोशिश की गयी। सस्ता गल्ला मुहय्या करने के लिए भी दुकानें खोली गयीं। सूखे दूध का पाउडर भी दिया गया और विटेमिन की गोलियाँ भी तकसीम की गयीं।

इसके अलावा पहाड़ी इलाके में कुछ सूखा पड़ा। २ लाख ५२ हजार रुपया वहाँ खर्च हुआ, अधिकतर अलमोड़ा और टेहरी गढ़वाल जिलों में। हिल प्राविजनिंग स्कीम जिसमे ट्रांस्पोर्ट का खर्चा गवर्नमेंट खुद बरदाश्त करती है, वह लागू की गयी, क्योंकि वहाँ बहुत लम्बे लम्बे फासले हैं, और वहाँ पहुंचाना पड़ता है। अब बदकिस्मती से कुछ जिलों में ओले पड़े और काफी लोगों को नुकसान हुआ। यों तो जिस जगह ओले पड़ते हैं, वहां नुकसान होता ही है, लेकिन इन ओलों से बहुत ज्यादा रकबा एफेक्टेड नहीं हुआ। वैसे यह काफी जिलों में गिरे और काफी नुअसान हुआ। लेकिन मैं यह समझता हूं कि किसी भाई को गलतफहमी नहीं होगी कि यह जो हमारी खेती है, यह स्पेक्युलेटिव बिजिनेस है, किसी को नहीं मालूम रहता कि कब ओले पड़ जायं, कब आंधी आ जाय, कब सूखा पड़ जाय और कब हवा चल जाय जिससे हमारी खड़ी फसल सूख जाय तो इस तरह से हमारे यहाँ हर साल इस तरह की चीजें आया करती हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ नियम बने हुए हैं और उसके मुताबिक हम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब जो ओले पड़े हैं, उसमें लाखों रुपया गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है। ४० हजार अभी तक हम ग्रेचूटस रिलीफ दे चुके हैं। लाखों रुपये की तकावी मंजूर की जा चुकी है, जहाँ जहाँ भी आग लगी है, वहाँ भी ८० हजार रुपया दिया गया है। अब जो बाढ़ हर साल आती है, तो उसको भी सहायता की जाती है। बाढ़ ऐसी चीज है कि पूर्णरूप से उसको रोकना शायद किसी गवर्नमेंट की शक्ति में नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बैठी है, जिसने बहुत सी सिफ़ारिश की हैं, और उस कमेटी की रिपोर्ट सदस्यों की मेज पर रख दी गयी हैं, तो गवर्नमेंट ने इस में चार बड़े कदम उठाये हैं। एक तो गवर्नमेंट ने यह तै किया है कि रेलवे डिवीजन को लिये हैं, अर्थात् कहाँ कहाँ बांध बनाये जाने की जरूरत है, कहाँ कहाँ सड़कें बनाने की

[श्री चरण सिंह]

जरूरत है, और रेल की पटरियों के नीचे जो पुलियां जाती हैं, कहां-कहां उनको चौड़ा करने की जरूरत है। उनमें क्या नुक्स है। अधिकतर जो बाँध की जरूरत है कि किस तरह से उनको किया जाय, वह सब इरिगेशन मुहकमें मे कायम किये जायेंगे, और उनके मातहत एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरिंग डिवीजन कायम होगा, लेकिन डिवीजन कायम करने का फैसला इस बजट में हो चुका है।

दूसरे यह कि पांच लाख रुपया इसलिए रक्खा गया है कि जिन नदियों में बाढ़ आती है, उनके जो कैचमेंट स्थान हैं, उनमें दरख्तों की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए यह फारेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मंजूर किया गया है।

तीसरा काम यह किया गया है कि सेन्ट्रल आफिस खोला है, जिसमे कि जितनी भी बाढ़ की सूचना होगी, वह सब यहां से हासिल हो जायेगी, और यहां से फिर नीचे के जो अहलकारान हैं, उनको इत्तला दे दी जायगी, और वह वाटर गेजेज और रिकार्डर कि कितना पानी नीचे को जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है, इन सब को रिकार्ड करने का इन्तजाम किया गया है, और वह ज्यादा जगहों में किया जायेगा ताकि जो नीचे के लोग हैं, उनको सूचना मिल सके इसके लिए कुछ मोटर बोट्स दिये जा रहे हैं और कुछ देहाती किस्म की नावें हैं। इसके लिए यह कर लिया है कि आधा रुपया गांव सभायें दें और आधा गवर्नमेंट दे, तो गवर्नमेंट भी उसमें कुछ रुपया दे रही है। मोटर बोट्स भी एक एक, दो, दो, जिलों में देने का निश्चय किया है, क्योंकि पानी बहुत तेज होता है, और आफिसरों को एक जगह से दूसरी जगह नावों में जाने में मुश्किल पड़ती है इसलिए इन मोटर बोट्स में वह जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस मांग को पेश करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि यह काम बहुत उत्कट है इसलिए इस सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—प्रस्ताव तो डेफिनिट होना चाहिए कि समय क्यों और कैसे बढ़ना चाहिए। इसलिए समय पांच बजे तक ही हो।

श्री चरण सिंह—इसका कारण तो एजेन्डे में दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदा सिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी ही बदकिस्मती नहीं है, बल्कि आपके इलाके की भी बदकिस्मती है और कुमायूं डिवीजन की भी बदकिस्मती है। आज वहां पर दुर्भिक्ष घर बना कर बैठा हुआ है। मैं समझता हूं कि इन दोनों इलाकों के लिए सरकार का, कर्तव्य है कि वह इनको दुर्भिक्ष ग्रस्त होने से बचाये। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री और इस सरकार में क्षमता है, और वह उनको दुर्भिक्ष ग्रस्त होने से बचा सकते हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि वह देखते हुए भी आँख मीच लेते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ होती है और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जो जब आँख मीच लेते हैं तो और भी अधिक कष्ट होता है। उनके आँख मीचने का अर्थ यही हुआ करता है कि जो जिलों के लेबल पर आफिसर्स हैं, उनको हिम्मत बढ़ती है, कि वह झूठी रिपोर्ट दें, और उनकी उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार अपनी योजनायें बनाती है। फिर उसका परिणाम क्या होता है, मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी की बातों को सुना और अब जब उनकी बातों को हम सुनते हैं, तो यही कहना पड़ता है कि कम से कम वह अपने आफिसरों को अपनी पीठ पर उठा कर न रक्खें वरना वह एक दिन सरकार के सिर पर सवार हो जायेंगे। आज माननीय मन्त्री जी हमारी बातों से इत्तिफाक नहीं करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो रकम उन्होंने दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों को सहायता के लिए इस सदन में रखी है, इससे किस प्रकार इसमें सहायता होगी, जिस प्रकार कि उन्होंने पिछले जमाने में दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों की सहायता की है, अगर उसी प्रकार सहायता गवर्नमेंट करना चाहती है, तो हमें इसमें खतरा ही नजर आता है। अभी माननीय गोवर्धन तिवारी जी और दूसरे सदस्य जो कि पहाड़ से आते हैं उन्होंने जो नक्शा दिया है, और पहाड़ों के लोगों का जो नक्शा हमारे सामने खींचा है, उसको सुन कर तबियत घबराती है। अपने दुख से तो हम दुखी होते ही हैं, लेकिन अगर पड़ोस में भी ऐसी ही बात होती है, तो उसको सुनने में कोई मजा आता नहीं है, लेकिन जब हम पहाड़ों की बात सुनते हैं, तो एक बड़ा भारी खतरा हम समझते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ की बात सुनते हैं तब हम बहुत खतरा अपने लिये समझते हैं। वहाँ पर एक समस्या को हल करने के लिए कोई परेशानी न हो तो फिर यह डेमोक्रैटिक सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी सरकार कहलाने का दावा करती है, और जो सब से बड़ी सरकार कहलाने का दावा करती है, उसके राज्य में भुखमरी की बात हो तो यह बड़ी लज्जा की बात है। जहां पर भुखमरी की बात होती है, वहाँ पर दुनिया की सारी बीमारी आती है। मैं तो कहता हूं कि चाहे पुलिस के कागज में क्राइम न लिखे जायं, लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे यहाँ अन्धेरी रात में चैन से कोई सोता नहीं है। हमारे यहाँ फूंस के घर हैं, तो हमारे यहाँ जो पीसने की चक्की होती है, उस चक्की की भी चोरी होती है। कटहल के नीचे जो रखवाली करने के लिए जाते हैं, उनका सर तोड़ा जाता है। यह कागज में नहीं लिखा जाता है। अगर यह जुर्म सही सही लिखे जायं, तो अच्छा था, लेकिन हमारी सरकार उनकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है कि हमारे बड़े ईमानदार कारकुन हैं। तुम न लिखो तब तो सब से ज्यादा तकलीफ होती है। मैं राजस्व मन्त्री जी की खिदमत में एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी जो स्कैसिटी रिपोर्ट हमारे हाथ में है, उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है, देवरिया जिले में और दूसरे जिलों का भी जिकर है कि गंगा, घाघरा, राप्ती, आर गोमती नदियों में अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आयी और उससे खरीफ की फसल तबाह हो गयी सन् १९५० में खरीफ की फसल को नुकसान नहीं हुआ बल्कि रबी की फसल को नुकसान हुआ। १९५२-५३ में रबी की फसल को हेल स्टार्म से नुकसान हुआ, सन् १९५३ में बाढ़ आयी और उसके कारण फसल को नुकसान हुआ और सन् १९५४ में खरीफ की फसल जो थी, उसको अभी राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि उससे १४ हजार एकड़ फसल बर्बाद हुई। अब यह उनकी रिपोर्ट है और मैं उनकी सेवा में यह निवेदन करूंगा कि उनकी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया जाता है। तो फिर मैं आपकी आज्ञा से उन कारणों को यहां पर पढ़ना चाहता हूं और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

"The eastern districts where the produce is sufficient only for 6 or 7 months in the year and in some tracts like kachhar tract in Rudrapur. The produce is consumed before the rains.

मैं माननीय राम जी सहाय से कहूंगा कि या और भी जो कांग्रेसी मेम्बर उधर के हैं उनसे कहूंगा कि अगर मैं गलत होऊं तो मुझे टोंक दें क्योंकि वे भी जानते हैं कि उस इलाके की क्या हालत है। जब लगातार वहां वर्षा होती है कई तरह की मुसीबतें आती हैं। १४ हजार गांव ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बर्बाद हो जाते हैं। इस पर वे कहते हैं कि सरकार सहायता कर रही है तो मैं पूंछता हूं कि जो सहायता उन्होंने की है क्या वह नगन्य नहीं है? मंत्री महोदय, जरा यह देखने की कृपा करें कि बात क्या है। वह लड़कियां जो घरों से बाहर नहीं निकलती थीं वे ५-६

[श्री गेंदा सिंह]

प्रान्तों में टोकरियां ढोती हैं और गुजारा करती हैं लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के कलम से वह काम भी बन्द हो जाता है। यह सब देख कर मुझे वह कष्ट होता है जिसको बयान नहीं कर सकता। फिर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को कैसे बधाई दूं। मैं बधाई देने के मूड में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे टेस्ट वर्क्स को खोलें और पशुओं को चारा दें। हम उनसे कोई भीख मांगने के लिये यहां खड़े नहीं होते। हम यह समझते हैं कि सरकार का यह धर्म होता है कि वह प्रजा का पालन करे, उसके खाने पीने का बन्दोबस्त करे। अगर नहीं करती है तो वह सरकार अकर्मण्य है, वह सरकार लायक नहीं है, वह राज्य नहीं कर सकती जब कि यह दो करोड़ की आबादी भूख से परेशान है, जिसके पेट पालन के लिये कोई और दूसरा चारा नहीं रह गया है और सरकार उसको रोजी देने में असमर्थ है तो वह किस तरह से कह सकती है कि हम राज्य करने के योग्य हैं। बिहार सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। उसने केन्द्रीय सरकार के सामने अपना मामला रक्खा और करोड़ों रुपया लेकर तिरहुत डिवीजन के लोगों की मदद की एक अरब ३६ करोड़ रुपया लेकर कोसी के प्रोजेक्ट को खोला और लोगों को रोजी दी। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार समझती है कि हमारा प्रान्त बहुत बड़ा है, हम कैसे उनसे कह सकते हैं, यह कहने में संकोच करती है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि कोई एरिया डैफोसिटी है ही नहीं वक्त-वक्त पर हो जाया करता है। मैं उनसे फिर कहता हूं कि सेल्फ कम्प्लीसेंसी को छोड़ कर वे सत्य बात को स्वीकार करें। आदमी जब अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है तो आगे बढ़ता है, जब तक आदमी अपनी बीमारी को कबूल नहीं करता तब तक वह इलाज नहीं कर सकता। बरबाद होता है। हमको जो बात सत्य है उसके स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिये। हमको आभाव ग्रस्त क्षेत्रों को अभाव ग्रस्त ही न रखना चाहिये बल्कि इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि वे अभाव ग्रस्त क्षेत्र न रह कर अपने को ऊपर उठा सकें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने अभी बाढ़ की बाबत कहा और यह कहा कि जो फैक्ट्स आते हैं वे गलत आते हैं और उन गलत फैक्ट्स पर माननीय मंत्री जी अपनी राय बनाते हैं। जो उनकी बात है वह सच हो सकती है लेकिन मैं गेंदा सिंह जी को यह बता देना चाहता हूं कि जब २१ तहसीलदारों का मामला माननीय मंत्री के सामने आया और उनके बारे में न निकालने के लिये कहा गया लेकिन वे कनविंस्ड थे और उन्होंने उनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया और उन्हें प्रान्त से बाहर जाना पड़ा। फिर यह कैसे कहा जाता है कि माननीय मंत्री जी फैक्ट्स पर निगाह नहीं रखते? उन्होंने कहा कि बाढ़ बहुत जोर से आती है। माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बाढ़ आती है तो उससे नुकसान होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? वहां के लोग अपने घरों को, अपने पशुओं को, अपनी जगहों को छोड़ना नहीं चाहते। और वहां रहने के लिये मजबूर करते हैं। तो इस सम्बन्ध में उनको कोई ऐसा सुझाव देना चाहिये था। जहां तक प्राकृतिक विपत्ति की बात है, ओले गिरे, बाढ़ आयी इसके लिये सरकार कोशिश कर रही है बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और उस पर विचार होगा। तो खाली यह कह देने से कि सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी सब कुछ स्वीकार करते हैं, बाकी जो बातें हुई हैं उनके लिये प्रयत्नशील हैं। यही नहीं कि माननीय मंत्री जी जो पश्चिमी जिले के रहने वाले हैं उधर की सारी आमदनी पूरब की तरफ खर्च कर रहे हैं। वह इस लिये कि उनकी हालत सुधरे, जो गरीबी है उनकी गरीबी दूर हो इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। एलेक्शन के सिलसिले में मैं पूर्वी जिले में गया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के पास कपड़े नहीं हैं वे बड़े गरीब हैं, यह सब ठीक है तो उनकी बढ़ती हुई गरीबी को मिटाने लिये ही तो यह बजट पेश हुआ है। पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये ही यह बजट पेश हुआ है। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसी हालत हो जाती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे मेरे तहसील में आबपासी के लिये पानी नहीं मिला उसके बाद इतने बड़े-बड़े ओले पड़े कि मैं क्या बतलाऊं, लेकिन आज तक वहां पर किसी तरह की कोई सहायता नहीं पहुंची। अगर माननीय मंत्री जी उधर के लिये कुछ करते भी तो लोग शायद कहते कि वे अपने जिले के लिये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पूर्वी जिलों के लिये बनारस में ४० हजार की सहायता तुरन्त पहुंची। मेरी तहसील में पाव पावभर के ओले पड़े जो घंटों पड़ते रहे, लेकिन वहां कोई साहयता नहीं पहुंची। मैंने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं पहुंची कि जिससे लोगों को कुछ सान्त्वना मिल सके।

दूसरी बात यह कि हमारे माननीय मंत्री जी को इस बात की पूरी फिक्र और चिन्ता है कि हमारे प्रदेश में कोई भी हिस्सा ऐसा न रहे जहां कि गरीबी हो और हमारी मातायें व बहनें ६,६ पैसे और ६,६ आने के लिये डलिया ढोयें। इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिये वे एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। अफसर कुछ त्रुटियां कर सकते हैं, गलत रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन माननीय मंत्री जी जब कंविंस्ड हो जाते हैं तभी कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। तो खाली यह कहना कि वे उनकी रिपोर्ट पर विश्वास कर लेते हैं यह कुछ ठीक नहीं जंचता है।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। वह यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि जहां पर तात्कालिक आपत्ति आ जाती है तो वहां से कोई रिपोर्ट आवे या न आवे, वहां स्वयं मंत्री जी जा सकते हैं कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जा सकते हैं या डिप्टी मिनिस्टर साहब जा सकते हैं और वहां की हालत देखकर फौरन ही उनको कुछ सहायता मिल जाय तो वहां लोगों को बहुत कुछ सान्त्वना होती है। कम से कम मेरी तहसील में जहां इतने इतने भयंकर ओले पड़े लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। क्योंकि हमने समझा कि यह प्रकृति की देन है लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं पहुची। जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ आती है लेकिन हम लोग बहुत चिल्लाते नहीं हैं हम उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं और हम उसको तब तक बर्दास्त करते रहेंगे जब तक कि पूर्वी जिले हम लोगों के स्तर पर न पहुंच जायं। शर्मा जी दक्षिणी जिले के लिये यह कहते हैं। वहां के लिये यह बात हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अफसर तो नहीं लेकिन माननीय गेंदासिंह जी भी इस बात से सहमत होंगे कि माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

*श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस वक्त उपस्थित है मैं उसी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें संदेह नहीं कि जब से लड़ाई हुई और हमारे मुल्क का विभाजन हुआ जो अन्न की कुछ कमी हुई और जिस तरह से हमारे मुल्क में विभीषिका का तांडव नृत्य हो रहा था उसमें बहुत कुछ कमी हो गई है। वैसे तो दूसरे दूसरे यानी वैज्ञानिक तरीके से खेती के साधन जुटाकर जो खेती करने की बात है उसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं अब आपका ध्यान पर्वतीय जिलों की तरफ ले जाता हूं। जो भी आवाज हम लोग यहां उसके लिये उठाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से दबती चली आती है। यह नहीं है कि उस पर विचार नहीं किया गया। विचार उस पर हो रहा है और हिल प्रोजेक्ट स्कीम हमारे पहाड़ों पर चल रही है जिससे हम अब तक जीवित हैं इसलिये हम सरकार के उसके लिये कृतज्ञ हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम हमेशा के लिये सरकार के ऊपर भार बने रहें और मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह हमेशा के लिये हमको अपने गले में न लटकाये रहे। कोई न कोई कृषि विस्तार योजना गढ़वाल के लिये होना चाहिये लेकिन जब सारे प्रदेश के लिये कृषि विस्तार योजना है तो क्यों इस स्थान को उससे वंचित रखा जाता है यह मेरी समझ में नहीं आया है कि ऋषीकेश के पास पशुलोक योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रसाद नौटियाल]

है और कृषि विस्तार की योजना सारे प्रदेश में है लेकिन बहुत गमगीन दिल से कहना हूं कि गढ़वाल के अन्दर अभी तक कोई योजना नहीं। वहां की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां एक कृषि विस्तार की योजना कायम की जाय। तथा एक नहर राम गंगा से हरिद्वार से कोटद्वारा तक निकाली जाय तभी जाकर वहां के लोग कृषि के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो सकते हैं। अंग्रेजों ने १८१८ की काठमांडू संधि के बाद से गढ़वाल को फौजी अड्डा बना रखा था और उनकी नियत वह थी कि अच्छे से अच्छे लड़ाई के बकरे तैयार किये जायं। उस जमाने में भी वहां कृषि विस्तार का काम वैज्ञानिक ढंग से हो रहा था लेकिन उसके मुकाबिले अब हमारे जिले में जो निर्माण हो रहा है जिससे गढ़वाल को फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि हरिद्वार से कोटद्वार तक निकाल कर जो जमीन हो उसको काशीपुर स्टेट और रामपुर स्टेट जो अभी मर्ज हुई है, उसको वहां के लोगों को बसने के लिये दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि यह मुझे मालूम हुआ है कि माननीय मंत्री महोदय का यह ख्याल है कि वहां पहाड़ों में जमीदार नहीं हैं। लेकिन मुझे गमगीन दिल से कहना पड़ता है कि उनकी झूठी धारणा में इस सम्बन्ध में रखा गया है। ८०फीसदी जमीदार कुमाऊं डिवीजन में जो हैं उनमें खैकर तथा सिरतान जिन्होंने वहां के जंगलों और पहाड़ों को काटकर भूमि के योग्य बनाया है उनको वहां के हिस्सेदार परेशान करते हैं। यह तो सही है कि सारे प्रदेश में जैसी प्रथा जमींदारी की है वैसी नहीं है लेकिन वहां की जमीदारी प्रथा भी बहुत बुरी है और उसको अब भी कायम रखना यह हमारे लिये कलंक की बात है। इसलिये जितनी जल्दी हो सके उस व्यवस्था का तैयार करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। क्योंकि बिना सुधार के वहां के खैकर और सिरतान न रेहन कर सकते हैं और न गिरवी रख सकते हैं और न किसी धार्मिक भाव से किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं इसलिये यह जरूरी है कि वह तमाम अधिकार उनको दिये जायं जो कि हिस्सेदार किसानों को प्राप्त है।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने के पहले मुझे ख्याल आ गया कि माननीय गोंदा सिंह ने अभी कहा कि किसान रात को सोने नहीं पाते हैं। आज जागरण के युग जब कि सम्पूर्ण गांव जब कि जागने में लगे हुये है तब फिर उनको सोने की फिक्र न जाने क्यों लगी हुई है। इन गांवों को तो आपने जगाया है और इनके जगाने का श्रेय आपको है।

श्रीमन्, यह अनुदान जो आज सदन में प्रस्तुत है वह दुर्भिक्ष सहायता से सम्बन्ध रखता है। हम समझते हैं कि समस्त सदन इस अनुदान का समर्थन करेगा। मेरा जिला मिर्जापुर दुर्भिक्ष पीड़ित रह चुका है और इस वक्त भी ओलों और बाढ़ से पीड़ित है। यह दुर्भिक्ष श्रीमन्, पहाड़ों के जिलों में बाढ़ क्षेत्र में हुआ करता है। दुर्भाग्य वश हमारा जिला पहाड़ और सूखा और बाढ़ क्षेत्र में गलार, इन दोनों दुखों से पीड़ित रहा करता है। गत वर्ष हमारे जिले में चुनार तहसील के भूसी परगने में बाढ़ आयी थी और दो मर्तबे आई। पहली बाढ़ में शहरौरा बांध टूटने से किसानों को शुरू खेती में ही नुकसान हुआ था और दूसरी बार घोर वर्षा के कारण किसानों की जो भी खेती थी वह सर्वनाश हो गई। मेरा ख्याल है कि बाढ़ पीड़ित सहायता के लिये और दुर्भिक्ष की सहायता के लिये सरकार ने जो कदम उठाया है वह वास्तव में एक बहुत बढ़िया कदम है लेकिन मेरा ख्याल यह भी है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो हैं जहां अभाव हुआ करता है वहां पहुंचने के साधन नहीं है। इसलिये सरकार के अधिकारी वहां की परिस्थिति को देख नहीं पाते हैं। मैं अपने यहां की बात बताऊं, चुनार तहसील में भुइसी परगना में २० मील लम्बा और १० मील चौड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो उन दिनों में समुद्र मालूम होता है और मैं कह सकता हूं कि शासन से उसका कोई संबंध नहीं रहता। सरकार का कोई भी अधिकारी वहां पर आपत्ति के समय में जा नहीं पाता। इस लिये सरकार के सामने यही

सही बात नहीं रखी जा सकती है। केवल पटवारी द्वारा सूचना के आधार पर ही वहां की जो गाथा है वह सरकार के पास आती है। हमारे यहां ४० गांवों में विशाल ओला पड़ा है, ऐसा ओला जिसे लोग कहते थे कि शिला हो गई थी जो तीन रोज के बाद पिघली, कभी नहीं पड़ा था। घरों के खपरैल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि चूर चूर हो गये थे। यह आपत्ति का वह क्षेत्र जहां मेरा ख्याल है कि खयाल रहते हुये भी और सद्भावना रखते हुये भी हमारे अधिकारी विवश हैं आवागमन के अभाव के कारण और उस क्षेत्र में पहुंच नहीं पाते हैं। मेरा खयाल है कि इस सहायता के बावजूद भी सरकार को चाहिये कि ऐसे क्षेत्रों में आवागमन के साधन इकट्ठा करे। इसलिये उनकी दिक्कत को आप जा करके देखें तो सही और वह आप तक आसानी से पहुंचे तो सही। यह हालत उन बाढ़ पीड़ित और पहाड़ी क्षेत्रों में है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में जहाँ कि ओले पड़े हैं। वह टेस्ट वर्क के द्वारा आवागमन के साधन कराये। सबसे पहली बात यह है कि जब तक गाँवों में आवागमन के साधन नहीं होंगे, तब तक आपका कोई उत्थान या विकास नहीं हो सकता। जो आप काग़ज में लाखों रुपया खर्च करते हैं वह तो खर्च हो ही जायगा चाहे उससे कोई लाभ हो चाहे न हो। हमारे प्रदेश में दुर्भिक्ष को मिटाने के लिये सड़कों की व्यवस्था करना आवश्यक है। मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी तहसील चुनार में भुईसी का जो क्षेत्र है जहाँ बाढ़ से भी लोग पीड़ित रहे हैं, फसल नहीं हुई है, ओले पड़े हैं, वहाँ के जो किसान हैं वह चाहे लगान हो चाहे तकाबी हो उसको देने के काबिल नहीं हैं। इसलिये उनको लगान आदि की छूट दी जाय। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आवागमन के साधन इकट्ठा किये जायं। वह एक ऐसा द्वीप है जहाँ आवागमन के साधन न होने के कारण जान पड़ता है कोई शासन नहीं है। वहाँ चाहे ओला पड़े, चाहे बाढ़ आये, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, उसको वहाँ के लोग भगवान के सहारे भोगते चले आ रहे हैं और भोग रहे हैं। वह ऐसा क्षेत्र है जहां कोई शासन नहीं, ऐसा ज्ञात होता है। अस्तु इसे शासन से सम्बन्धित करने के लिये और बेकार मजदूरों को काम में लगाने के लिये टेस्ट वर्क द्वारा सड़क-निर्माण अनिवार्य है।

*श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि दुर्भिक्ष का अनुदान अबकी मर्तबा जो माननीय राजस्व मंत्री जी रखेंगे तो वह इस सदन में समय समय पर दुर्भिक्ष के बारे में जो मत व्यक्त किये गये हैं उनका भी कुछ खयाल रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने श्रीमन्, कहा था कि बाढ़ या ऐसी विपदाओं को जो सरकार यह कहकर टाल देती है कि यह दैवी प्रकोप है वह सरकार अच्छी सरकार कही नहीं जा सकती और इसके पूर्व मैंने महात्मा गांधी के सही सही वाक्य को इस सदन में दो बार रखने की कोशिश की है। मगर आज जब माननीय राजस्व मंत्री जी बोलने लगे तो उन्होंने भी 'कृषि जुआ' है, इनके कहने की बात नहीं थी यद्यपि यह उसके दूसरे अर्थ को ले करके इस बात को इस सदन में रखे थे, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत प्राचीन कहावत है—

"धनैत वक्ता, दऊ किसान"

जिसके पास द्रव्य है, पैसा है, वही वक्ता है। साधारण आदमी के पास अगर माल हो तो वह वक्ता माना जाता है और चाहे कुछ भी वह 'अ' 'ब' 'स' कह डाले उसी को प्रमाणित मानते हैं। मगर यह माल मंत्री हैं और माल मंत्री जो कुछ भी कहें मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि दैवी प्रकोप कह करके किसी विषय को अब नहीं टाला जाना चाहिये। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि समय समय पर श्लोकों के रचयिता रहे हैं, मैं चाहता था कि आज उनकी बातों को रखा जाय कि किसी सरकार के समय में अगर खेती चौपट होती है तो उसके बारे में उनका क्या मत है। इसके बारे में अगर मनुस्मृति के वाक्यांश का वे अध्ययन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कई बार उन्होंने कहा है कि जिस राजा के राज्य की कृषि चौपट हो, बार बार बाढ़ आये, वह राजा नालायक राजा है, वह राज्य मिटना चाहिये और उस राजा को हटना चाहिये, उसको खत्म होना चाहिये । उनके वाक्यों को मैं राजस्व मंत्री की खिदमत में पेश करता हूं कि वे खुद देखें मैं श्रीमन्, इस सदन में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे लिये सारे मनुष्य एक हैं, मानव समाज एक है, हम मानव समाज का बटवारा नहीं चाहते हैं, चाहे वह सम्प्रदाय के आधार पर हो चाहे जात पांति के आधार पर हो और चाहे उत्तर पश्चिम के आधार में हो चाहे देश की भौगोलिक सीमा में हो, लेकिन हम किसी भी सीमा में बंटवारा पसन्द नहीं करते हैं । इसलिये कोई भी साथी यह न समझें कि यदि हम पूर्वी जिले की कोई बात कहेंगे क्योंकि मैं अभी वहां से आ रहा हूं । श्रीमन्, एक हफ्ते से लगातार पत्र लिख रहा हूं । बनारस जिले में १३ मील में एक दाना भी नहीं रह गया है और २१ तारीख को रात के ८ बजे इतनी गहरी वर्षा हुई कि जब मैं २५ या २६ तारीख को वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ खेत ऐसे मालूम पड़ते थे कि फसल कट गई है, खेत जोत दिये गये हैं और हेंगा चलाकर हेंगा कर दिया गया है । वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि तालाब में ८-१० सेर के पत्थर जो जम गये थे मिले ।

हमारे माननीय मंत्री जो कहेंगे कि जितनी सामर्थ्य थी हमने सहायता पहुंचाई । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से उनको सहायता पहुंचाने से वहां के गरीबों की हालत कैसे सुधर सकती है ? दो रोज पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बतलाया कि डेढ़ लाख रुपया तकावी के लिये भेजा गया है और २५ लाख रुपया टेस्ट वर्क के लिये रखा गया है और १०,००० रुपया बांटने के लिये भेजा गया है । जिस क्षेत्र की आबादी जो बिल्कुल बरबाद हो गया है उसमें जहां पर डेढ़ लाख की आबादी है जो एकदम अन्न से रहित हो गई है । वहां पर कोई भी फसल नहीं है चाहे आम की हो, चाहे रबी की हो या ईख की हो, सब बरबाद हो गई है । जो सहायता हमारे राजस्व मंत्री जी ने भेजी है वह बिल्कुल अपर्याप्त है । बार बार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन्, इधर ध्यान दें और तकावी बांट दें .....

कुछ सदस्य—किसका क्षेत्र है ?

श्री राजनारायण—वह क्षेत्र श्रीमन्, जहां पत्थर पड़े हैं अगर देखा जाय तो सबसे पहले तार बिजनौर से आया था लेकिन बनारस की जो हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर बनारस स्टेट से लेकर मिर्जापुर तक, पुराना बनारस जिला और मिर्जा मुराद थाना बगैरा और कांस्टीटुएन्सी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो दो तीन लोगों का क्षेत्र पड़ जाता है । उनमें एक ठाकुर बंशनारायण सिंह जी कांग्रेस के है और हमारा भी क्षेत्र है । इसलिये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जहां के रहने वाले हम हैं अगर उस क्षेत्र में उपलवृष्टि हुई है तो वहां के लोगों की हालत का वर्णन न किया जाय और मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों की यह इच्छा नहीं होगी । मगर तकावी बांटते हैं तो जो भूमिधर हैं, सीरदार हैं, उन्हीं को मिलती है यानी जब मुसीबत आती है तो उसमें भी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश होती है । जो वहां पर सिकमी किसान हैं और ज्यादा खेती करते हैं उनको तकावी क्यों नहीं दी जाती है और बिना सूद के क्यों नहीं दी जाती है ? जो ए० पी० स्कीम में दुकान है जहां पर ८ वर्ष के ऊपर के लोगों को चार छंटाक और ८ वर्ष से नीचे वाले बच्चों को दो छंटाक दिने की योजना है । क्या यह किसी सरकार की अच्छी योजना कही जा सकती है ?

इसके बाद खेत बनाकर वहां किसानों ने रखा है । वहां पर अधिकारी गये थे और उन्होंने कहा था कि गन्ने का बीज दिया जायगा । लेकिन समुचित प्रबंध नहीं हुआ । केवल वहां से सरकारी कृषि फार्म में तथा यूनीवर्सिटी के फार्म में जो बीज थे वही वहां के लोगों के लिये मुश्किल से मिल पाये । इसके अलावा टैस्ट वर्क के अंधकार के गर्भ में से मैं कहता हूं कि राजस्व मंत्री जी क्यों नहीं देखते कि वहां के अध्यापकों की जो तनख्वाह तीन-तीन साल से बाकी है वह उनको

दिला देते और वहां के किसान के लड़कों को फीस दिलाने की कोशिश करें। लेकिन हमारी सरकार तो किंकर्त्तव्य विमूढ़ होकर बैठी है, तो तबियत बहुत परेशान होती है। इस सदन में बहुत लम्बी चौड़ी बातें हैं और उन लम्बी चौड़ी बातों को सुनकर के एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से प्रतिक्रियान्वित होता होगा। मगर मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जो वस्तुस्थिति को, जो वस्तुस्थिति है उसको सीधे रखकर देखें। उसको सिर के बल रखने की कोशिश न करें। अगर सिर के बल रखकर देखने की कोशिश करेंगे तो उनको दृष्टिदोष होगा और फिर उस दृष्टि-दोष से प्रभावित होकर सरकार कोई अच्छा कदम नहीं उठा सकती। मैं तो चाहता हूं कि श्रीमन्, थोड़ा सा समय और देते तो मैं आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया और जौनपुर की, जहां जहां की चर्चा राजस्व मंत्री जी ने की, उन सभी जगहों की एक सही पिक्चर में आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी के सामने रखता। मगर समय कम है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, शायद और ज्यादा समय देना नहीं चाहते मगर मैं एक बार फिर राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भावावेश में आकर माननीय मंत्री जी अपने सरकारी कर्मचारियों के तमाम कुकृत्यों, तमाम कुकर्म पर परदा डालने की कोशिश न करें। जब माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं सरकारी कर्मचारी जो गलत काम करते हैं उनको भी तरजीह देते हैं, उन पर भी परदा डालते हैं तो मैं क्या कहूं? यही कहता हूं कि राजस्व मंत्री जी की शायद स्वयं यही इच्छा है कि इसी तरह से काम चले और एक बात उन्होंने यह देखी है कि जब एक विदेशी शासन, अंग्रेजी हुकूमत यहां पर दो सौ बरस के करीब इसी ढांचे को रख कर चल गई तो हम तो इसी देश के हैं और राष्ट्रीय सरकार कहलाने का दम भरने वाले हैं, तो उसी ढांचे को रखकर वह भी इसे ले चलना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी एक भी ऐसी चीज बता सकते हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत में अकालग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने की योजना थी, उसमें उन्होंने कोई आमूल परिवर्तन किया है जिसके लिये कि वह बधाई के पात्र हों और जिसके लिये कि बराबर उनकी इच्छा रहती है कि हम लोग जब उठें तो उनको बधाई की माला पहिनायें।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---जो यह अनुदान भवन के सामने उपस्थित है उसमें हम यह देखते हैं कि जो चालू वर्ष है उसके लिये तो २१ लाख रुपये के लगभग है लेकिन इस वर्ष हम देखते हैं कि वह घट करके १४ लाख ७५ हजार रुपये के लगभग हो गया है। जब कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि १४ हजार गांवों में बाढ़ आयी और यह रुपया अगर उनके अनुपात में बांट दिया जाय तो लगभग डेढ़ सौ रुपया प्रति गांव पड़ता है, ...

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---वह रुपया आगे के वर्ष के लिये है।

श्री रामजी सहाय---जी हां, मैं आगे के लिये ही कह रहा हूं। आपने शायद सुना नहीं। मैंने यह कहा कि जो यह वर्ष चल रहा है उसमें २१ लाख के करीब है और आगे के वित्तीय वर्ष के लिए घटकर १४ लाख कुछ हजार हो गया है।

तो श्रीमन्, इस प्रकार से आप देखेंगे कि आज जो हालत हो रही है उसमें चारे के लिए ३४ हजार रुपये की धनराशि रखी गई है जब कि यह साफ कहा गया कि इस वर्ष इतना बड़ा दुष्काल पड़ा। बाढ़ पहले आ गई और बहुत देर तक रही। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भूमि थी खेती के लिए वह इतनी बड़ी हो गई कि उसको जोतने के लिए जो बैल गये उनको एक तो वैसे ही चारा नहीं मिलता था और दूसरे ऐसी जमीन जोतने के लिए गये तो वह फिर बराबर मरते रहे और इतनी संख्या में मरे कि कहा नहीं जा सकता। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह पूरब पश्चिम का सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को वह भूल न जायं कि जब कि वह पूर्वी जिलों की बात करते हैं तो वहां का जो घनत्व है उसको उसको भी सामने रखें। पूर्वी जिलों का देवरिया वगैरह का घनत्व १,००७ प्रति वर्गमील है और पश्चिमी जिलों का चारसौ साढे चारसौ या ५ सौ प्रति वर्गमील है। मैं यह कहता कि

[श्री रामजी सहाय]

बहुत बड़ी धनराशि वहां पर दी गई। बल्कि मैं यह कहता हूं कि जितना रेवेन्यू वहां से लेते हैं उसके हिसाब से वह कुछ भी नहीं है । एक करोड़ रुपया केवल शुगर एक्साइज से वहां लिया जाता है और इसी तरह से आजकल भी जैसे पहले अंग्रेजी जमाने में सामन्तशाही ने उनको चूसा था वैसे ही आज भी थैली शाही उनको चूस रही है । वहाँ जानवरों को खोयी तक खाने को नहीं देते । मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया था । उन्होंने यह कहा कि इस बारे में कलेक्टर से बात करने की जरूरत है लेकिन ऐसा होता है मैं उस बाढ़ क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर एक भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ और न कोई टेस्ट वर्क हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ कोई मोटर के जाने के लिए रास्ते नहीं थे कि जिससे अधिकारी वहां पहुंच सकें । इस वजह से वहाँ वह कोई कार्य नहीं कर सके । मैंने पिछले दफे भी निवेदन किया था, माननीय बनारसी दास जी जब वहां गये थे और सूखे की वजह से वहाँ टेस्ट वर्क की स्वीकृति दी थी लेकिन आज भी वही की हालत वैसी ही है और उसका भी कोई नामोनिशान अब नहीं है । इस तरह से आप देखेंगे कि जो वर्षा हुई, उसके कारण से जमीन में नमी आयी और उसकी वजह से रबी की फसल पूरी की पूरी मारी गई । मैं आप से कहता हूं कि केवल दो महीने खाने के लिए वहां रबी की फसल है और ज्यों ही वर्षा शुरू होगी, वहाँ अकाल की स्थिति फौरन फिर आयेगी और उसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह कहकर नहीं टाल सकते कि बाढ़ अनिवार्य है । आपकी फ्लड कमेटी की रिपोर्ट १६ साल तक नहीं आयेगी, फिर वह फ्लड कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद फिर वह न जाने कब तक अमल में लायी जायगी, फिर कोई इंजीनियर जायगा और क्या करेगा, यह सब न जाने कब तक होगा । लेकिन मैं आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि आज वहाँ की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वहां के लिए अगर आप कोई समुचित सहायता की व्यवस्था नहीं करते तो एक विस्फोट वहां होगा और भूखे और मरे हुए लोग वह आवाज आप तक जरूर पहुंचा देंगे जो कि आज आप नहीं सुन पा रहे हैं और इन शब्दों के साथ कहूंगा कि आप आगे के लिए सतर्क रहें और वहां थोड़ा सा अनुदान दिया गया है वह बिल्कुल अनुपयुक्त है । उसमें आप चाहेंगे तो जरूर दूसरी तरह से वृद्धि कर लेंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि उस वृद्धि से काम नहीं चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगा कर उस तरफ लक्ष्य को पूरा करने के लिए रेगुलेटर्स की ओर ध्यान दें और उन चीजों को जिनसे बाढ़ आती है ठीक करने की कोशिश करें । आप कहेंगे कि हम उद्गम स्थानों में चखें लगाने जा रहे हैं, उसका सर्वे करेंगे । लेकिन कितने दिन लगेंगे । वहाँ तो तत्काल आपको कोई कार्य करना होगा तभी आप सही रिलीफ वहाँ की जनता को दे सकेंगे । इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है ।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान उन पूर्वी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां काल अपने कराल गाल को खोले हुए सदैव निगल जाने के लिए तैयार रहता है । वहाँ पर जिस वक्त राप्ती गंडक और तमाम नदियां अपने मुंह को खोल देती हैं उस समय जो हमारी दशा होती है उसको पूर्वी जिलों के लोग ही जानते हैं । गोरखपुर में बड़ी नदी का दृश्य देखा जाय तभी पता चल सकता है । मैं आज माल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अग्निबोट और कुछ नावों का प्रबन्ध किया है । उन्होंने लाखों मन अनाज देकर बहुत सी जानें बचायी हैं । हम सरकार के अहसानफरामोश नहीं हैं ।

मेरे दोस्त ने कहा कि बनारस में ओले गिरे हैं। अपने कर्मों का फल हम लोग भोगते हैं। राजनारायण जी ने ऋषियों का उदाहरण दिया। हमारे इस माननीय सदन के सदस्य ऋषियों की बात समझते हैं। पापों की वजह से हम पर पत्थर और विपत्ति गिरती है। लेकिन ईश्वर को भी हमें याद करना चाहिये और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर हमें उसका उसके कामों का अहसान मानना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान खलीला बाद के दक्षिणी हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं वहां पर माननीय माल मंत्री स्वयं देख आये हैं। जिस समय कोइलों नदी में बाढ़ आती है तो वह अन्य भागों से बिलकुल कट आफ हो जाता है। वहां पर न खाना पहुंचता

है न दवा। ए० पी० शाप्स भी वहां नहीं पहुंची। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इलाके में कुछ नये किस्म का डेवलपमेंट करें जिससे वहां के लोगों को कुछ रोजी मिले, कुछ पैसा मिल सके। वहां की सड़कों की हालत निहायत ही बदतर है। उसे माननीय मंत्री जी स्वयं देख आयें हैं, कोई बनावट की बात नहीं है। बस्ती जिला बहुत ही बड़ा जिला है जिसमें तराई का जो इलाका है बांसी जनिया जोत की दशा बहुत ही दयनीय है। आज मैंने उस इलाके के सम्मानित सदस्य से परामर्श किया कि वहां पर क्या करना चाहिये। डुमरियागंज जहाँ पर सिर्फ धान की फसल होती हैं अगर वहां कहीं क्वार में पानी मार गया तो सारी फसल साफ हो जाती है। मैं सरकार से चाहता हूं कि वह महन्दावल के कछार की तरफ भी ध्यान दें कि जब वहां गंगा माई क्रुद्ध होती है तो सब साफ हो जाता है। उस इलाके में पेड़ लगाये जायं। फारेस्ट डिपार्टमेंट कुछ परवाह नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हमारे अफसरान सरकार के साथ कोआपरेट करें और अगर न कोआपरेट करें तो न्यूट्रल ही रहें तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही प्रतापगढ़ और गोंडा जिलों की तरफ जो न पूर्वी जिले हैं न पश्चिमी, बीच के जिले हैं उन जिलों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उन जिलों पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिये। वहां पर बालू होती है और जब वहां पर बाढ़ आ जाती है तो सारी फसल साफ हो जाती है। सरकार ने कहा कि हम सूखा दूध पहुंचा रहे हैं। मैं सरकार का अहसानमन्द हूं कि हमारे यहां कलवारी के जूनियर हाई स्कूल के लोगों को वह दूध दिया लेकिन मैं चाहता हूं कि महाराजगंज के बच्चों को यह दूध दिया जाय। अफसरों से यह कहा जाय कि वह सिर्फ एक तरफ ही नजर न रखें बल्कि चारों तरफ नजर रखें। यह रोड ऐसी है जहां से हर आदमी पास होता है। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर का इलाका भी बेजार है वह इलाका इतना गया गुजरा है कि वहां का कोई ठिकाना नहीं है। मैं वहाँ स्वयं भी दो वर्ष तक पढ़ता रहा और वहां के राप्ती के किनारे की आंखों की देखी बात का वर्णन कर रहा हूं कि वहां के लोग कितने कष्ट में हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बनारस में जो पत्थर गिरे हैं और उससे जो कष्ट लोगों को हुआ है उसकी तरफ भी नजर उठायेगी और श्री राजनारायण महोदय से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वह कम से कम ईश्वर का ख्याल रखें और ईश्वर का ध्यान करके वह किसी बात पर अमल करने की कोशिश करें।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान भवन के सामने पेश है उसको देखते हुये मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो रकम रखी है वह काफी नहीं है। मैं इसके लिये एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मेरा जिला साढ़े सात हजार मौजे का है जिनमें से करीब-करीब १६ सौ मौजे ऐसे हैं जिनमें बाढ़ आई और जो कि सबसे बड़ा जिला है। जिस वक्त बाढ़ आई उस वक्त करीब-करीब हमारे जिले के जितने सदस्य हैं वह सब अपने क्षेत्रों में चले गये और काफी दिनों तक उन्होंने वहां पर किसानों की सेवा की। जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र रहे वहां पर हमने देखा कि कहीं-कहीं पर लोग एक दूसरे गांव से मिल नहीं सकते थे। उनके पास रोशनी वगैरह और खाने पीने का कोई भी साधन नहीं था और कभी-कभी उनको खाने को भी नहीं मिल रहा था। मेरे साथ जो कर्मचारी थे उनसे भी मालूम हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, कि कहीं-कहीं पर तो रोशनी दो-दो, तीन-तीन दिन तक नहीं हुई और उनके झोंपड़े चारों तरफ से पानी से घिरे हुये थे। जैसा कि अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा मैं भी बता देना चाहता हूं कि मेरे जिले के क्षेत्रों में भी झोपड़ों के अलावा और किसी चीज के मकान नहीं है और उनके लिये जो सहायता माननीय मंत्री जी ने बताई उसे सुन कर मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैं जानता हूं कि ५ रुपये या १० रुपये की सहायता उनको दी गई है। यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि मंत्रियों के दौरे होते हैं और अधिकारी वर्ग उनके पास यह कह देता है कि हमने यह काम किया लेकिन उनको जो इत्तिला आती है तो वह गलत होती है। अधिकारी लोगों का दौरा कम हो जाता है और उनको क्या सहायता दी जाती है यह तो भगवान ही जानता होगा या उसक्षेत्र के रहने वाले लोग ही जानते होंगे यह तो अगर ठीक तरह से जांच की जाय तभी सही पता चल सकता है। हमारे ही जिले में बाढ़ आई और हमने ही देखा कि गोरखपुर और बस्ती जैसे बड़े-बड़े इलाके इस तरह से पानी से भर गये कि मालूम होता था कि कोई समुद्र है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने को नहीं मिलता था। एक गांव

[श्री धनुषधारी पांडेय]

से दूसरे गांव में जाना मुश्किल हो गया था। मैं अपनी बात बता देना चाहता हूं कि जिस समय मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई तो मैं नाव लेकर के सबेरे ही अपने यहां से रवाना हुआ और शाम को लौट कर आया जहां जहां मैं गया वहां जाकर यही मालूम हुआ कि मैं किसी तरह से यहां से भाग जाऊं। एक दिन के अन्दर मुझे मालूम हुआ कि मैं जिन्दा नहीं रह सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दवाई के लिये बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक मौजा जिसकी करीब-करीब ८ हजार आबादियों की आबादी है उसमें करीब २ हजार आदमी बीमार थे तो वहां पर डाक्टर का प्रबन्ध माननीय स्वास्थ्य मंत्री के जरिये से कराया। एक और मौजा किसानों का था वहां पर भी कुछ लोग बीमार थे उस क्षेत्र में करीब-करीब मैं समझता हूं कि १० हजार आदमी बीमार थे क्योंकि वहां पर ३ लाख जनता बसती है तो वहां पर दवाइयों का प्रबन्ध हुआ और जहां पर सहायता का प्रबन्ध होना चाहिये वहां पर सहायता का प्रबन्ध किया गया लेकिन जितना किया जाना चाहिये उतना नहीं हुआ। एक बात मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं कि गत वर्ष जिन क्षेत्रों में ओला पड़ा था उनकी शिकायत मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी थी और माननीय मंत्री जी ने उस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी लेकिन अधिकारियों ने ५३ मौजों की रिपोर्ट दी और उन ५३ मौजों को छूट मिली, लेकिन बाकी जो रह गये थे उनको नहीं मिली। उसी क्षेत्र में करीब-करीब ३ साल से अतिवृष्टि-अनावृष्टि और ओले नाना प्रकार के उपद्रव भी आया करते हैं, लेकिन जो सहायता दी गयी वह केवल ५३ मौजों को दी गयी और बाकी जो बच गये थे उनकी तरफ मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान और राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया और जिलाधीश का भी ध्यान दिलाया लेकिन जिलाधीश ने कहा कि माननीय त्रिपाठी जी सिंचाई मंत्री के सामने किसानों ने और जो हमारे यहां खास खास जनसेवक थे सबने शिकायत की लेकिन जो उन्होंने कहा वही किया गया, जिलाधीश ने कहा कि मैं क्या करूं जैसा मुझको आदेश मिला था उसके अनुसार मैंने किया। मैंने राजस्व मंत्री जी का ध्यान फिर इस ओर दिलाया, लेकिन उन निवासियों के लिये अभी तक कोई छूट नहीं दी गई जिनकी फसल पिछले साल ओलों से नष्ट की गयी थी। सरकार के बारे में मैं यह नहीं कहता कि सरकार नहीं चाहती है लेकिन सरकार जिस तरह से उपाय कर रही है और उस क्षेत्र की प्रगति के लिये कुछ कर रही है उसके लिये मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार तो और उसके आगे जाना चाहती है लेकिन अधिकारी गलत रिपोर्ट देकर उनकी भावना को बदल देते हैं। जो दूसरी मशीनरी है उसको सरकार को सुननी चाहिये कि किस प्रकार की लोगों को कठिनाइयां हैं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे देश की जनता गरीब है और यहां पर बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है इसकी सबको तकलीफ है और वह तकलीफ बराबर कई सालों से हमारे सूबे के हिस्सों में चल रही है। यह बात तो सभी तरलीम करते हैं लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है कि २, ३ साल से बराबर ऐसी ही बातें मुझे अपने बहुत से मित्रों से सुननी पड़ती हैं। मैं अभी एक दो मित्र से यह कह रहा था कि मैं इस तरह से कुछ अपने को अभागा मानता हूं कि मुझको इस प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं लेकिन उसका इलाज मेरी समझ में नहीं आता है। जितने इस गवर्नमेंट के साधन हैं, उतने करने की कोशिश की जाती है।

पेश्तर इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं, मैं राजनारायण जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर बुरा काम करूं, चाहे भला काम करूं, कम से कम उनकी बधाई हर्गिज नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री हमसे बधाई चाहते हैं। मैंने कभी उनसे ख्वाहिश नहीं की बल्कि वाकया यह है कि उन्होंने कभी अगर मुझको बधाई दी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझसे कोई गल्ती तो नहीं हो गयी। मैं आपके फैसले को बुरा और भला, गलत और सलत इतना सही मानता हूं कि अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे यह सोचने की आवश्यकता हो जायगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की। इसलिये आप कृपा करके कभी इस बात की कोशिश न करें कि आप मेरी तारीफ करें और न मुझे कभी आपसे बधाई की भी उम्मीद ही है। गेंदा सिंह जी ने यह

शिकायत की कि देवरिया में टैस्ट वर्क्स बन्द कर दिये गये। बेशक बन्द कर दिये गये और मैंने खुद बन्द कराया। यह ६ मार्च को बन्द हुये। ६ मार्च के लगभग से हमारे प्रदेश के इस पूर्वी हिस्से में हारवेंस्टिंग शुरू हो जाती है और हारवेंस्टिंग के लिये किसानों को मजदूरों की बड़ी भारी संख्या में आवश्यकता होती है। इस एक डेढ़ माह सब लोगों को खूब रोजी मिल जाती है। ये महीने किसानों के लिये बिजियेस्ट सीजन हैं। क्या उस वक्त भी टेस्ट वर्क की आवश्यकता है? यह एक सोचने की बात होगी। टैस्ट वर्क खोलने की परिभाषा को अगर देखा जाय तो वह इस प्रकार है--

"When all preparations have been made the Collector shall wait upon events. If he finds that prices contiune to rise, that there is an influx of beggers into towns and large villages, an increase of crime against property, or any migration of people and their flocks, he shall open test works or poor houses. reporting his action to the Comissioner."

["जब कलेक्टर यह देखे कि हालत यहां तक खराब हो गयी है कि लोग गांवों से बड़े कस्बों में बड़ी संख्या में भागना शुरू हो गये हैं, जायदाद के जुर्म बढ़ने शुरू हो गये हैं, और लोग अपने कुटुम्ब और जानवरों के सहित गांवों को छोड़ कर भागने लगे हैं, तब वह टैस्ट वर्क्स खोलेगा और अपने कमिश्नर को इसकी सूचना देगा"।]

श्री राजनारायण--यह कानून राष्ट्रीय सरकार का बनाया हुआ नहीं है।

श्री चरण सिंह--राष्ट्रीय सरकार से पहले भी २ और २,४ ही होते थे और आज भी चार होते हैं, राष्ट्रीय सरकार उसको पांच नहीं कर सकती। मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क्स कब खोले जाँय यह तो बतला दिया गया है। अभावग्रस्त होना दूसरी चीज और स्केअरसिटी इफेक्टेड होना दूसरी चीज। माननीय गेंदा सिंह जी आज भी वही गलती कर गये जो उन्होंने एक दिन सवालों के वक्त की थी। अभावग्रस्त वह क्षेत्र है जो अपने खाने के लायक अन्न पैदा नहीं करता और स्केयर्सिटी अफेक्टेड एरिया वह है जहां टैस्ट वर्क्स खोले जायं। यह चीज और है। इसलिये यह साबित करता है कि केवल इसलिये कि कहीं पर सिर्फ खाने भर को अन्न पैदा नहीं होता है इसलिये टेस्ट वर्क्स खोले जायं यह ठीक नहीं है। खाने भर को अन्न तो इंगलैन्ड में भी नहीं होता लेकिन वह स्केअरसिटी इफेक्टेड एरिया नहीं है। इसलिये केवल इसलिये कि कहीं पर कम अन्न होता है टैस्ट वर्क्स खोले जायं, यह ठीक नहीं है। अन्न बाहर से भी आता है। बहुत से जिलों में हमेशा अन्न बाहर से आता था और अभी भी अन्न पहुंचता है लेकिन उससे यह साबित नहीं होता है कि वहां टेस्ट वर्क खोलने की सिचुएशन पैदा हो गयी है। तो इस तरह से अपने दिमाग को साफ कर लेना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को मानता हूं कि देवरिया जिला बहुत गरीब है, हमारे मैदानी इलाकों में प्रति कुटुम्ब सबसे कम जमीन देवरिया जिले के किसानों के पास है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे यह मालूम होता है कि पहाड़ी इलाके को छोड़कर मैदानी इलाकों में सबसे कम औसत देवरिया जिले का है। देवरिया जिला बहुत गरीब है और उस गरीबी को दूर करने के लिये जितना भी किया जाय थोड़ा है आबपाशी के साधन बढ़ाये जायं, बीज अच्छे दिये जायं, वहां दूसरे रोजगार धंधे खोले जायं, वहां सड़कें बनायी जायं, यह बात दूसरी है। लेकिन जहां के लोग गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिये टेस्ट वर्क खोले जायं, यह बात नहीं है। अगर वहां पर कोई चीज पैदा हो गयी है तो उसके लिये आप इन चीजों को हटा कर मुझसे भी कहें क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है लेकिन कंफ्यूज्ड हर्गिज नहीं होना चाहिये। यह कहना कि चूंकि बारह महीने वहां गरीबी रहती है इसलिये वहां टेस्ट वर्क खोला जाय, यह ठीक बात नहीं है। अगर कोई पुख्ता सड़क बनवा सकते हैं, अगर कोई पुख्ता पुल बनवा सकते हैं और उसके लिये पैसे नहीं हैं तो ऐसा न करके कहें कि टेस्ट वर्क के नाम पर बारहों महीने पैसे दिया करें यह नहीं हो सकता। फिर गोरखपुर डिवीजन के मजदूर काम करने के लिये बाहर भी तो जाते थे।

[श्री चरण सिंह]

आखिर क्यों जाते थे? इसलिये कि उनको वहां अच्छी मजदूरी मिलती थी। इसलिये टेस्ट वर्क खोला जाता है तो कहा जाता है कि डेढ़ सेर का दाम न देकर आठ आने दो सेर का दाम दीजिये और ढाई सेर का बारह आने दीजिये। तो यह एक ऐसा सवाल है कि अगर बाहर आने दिया जाय तो यू० पी० से बाहर काम करने के लिये कोई भी नहीं जायगा। आखिर बम्बई और आसाम की मिलों में काम करने के लिये भी तो ये ही लोग जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मजदूरी करने के लिये जो बाहर जाते हैं वे तरक्की करते हैं। बहुत से लोग जो यहां से कलकत्ता और बम्बई में पहले से मजदूरी करने के लिये गये, आज लखपति हैं। जिस हालत में वे अपने घर से गये थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल मिट्टी डलवाने के लिये टेस्ट वर्क खोलना आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके लिये कोई दूसरी शक्ल है और वह इस विभाग के अन्दर नहीं आता है।

एक बात यह कही गयी कि साहब बिहार में बहुत खर्च हुआ। हुआ होगा, मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि यहां से रकबा और आमदनी की तादाद ६ गुनी है तो कई गुना खर्च भी हुआ होगा। फिर खर्च करने के लिये वह सूबा या तो मालदार होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे काफी पैसा मिला होगा। अगर दामोदर वैली के लिये उन्हें कुछ मिला होगा तो रिहान्दडाम के लिये मुझे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने १५ करोड़ देने का वादा किया है। अगर उसी में से वे खर्च किये हों तो दूसरी बात है। लेकिन हम तो अपने यहां एक ठोस काम करना चाहते हैं जो कि मुस्तकिल आमदनी पैदा कर सके बजाय इसके कि हर साल मिट्टी डलवाई जाय और बारहों महीने टेस्ट वर्क का काम चलाते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को देवरिया भेजना तय किया है और वे जाने वाले हैं। वे जाकर इस बात को देखेंगे कि क्या टेस्ट वर्क की कोई जरूरत है या कोई क्रानिक इस प्रकार का पैदा हो गया है जिसका इलाज जरूरी है। अगर कोई टेम्पोरेरी क्राप बर्बाद हो जाता है तो उसके लिये भी हमारे एक्सपर्ट जा रहे हैं जो इस बात देखेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। यह तो स्केयरसिटी की डेफिनीशन मैंने बतलायी।

श्री नेकराम शर्मा ने हेल स्टार्म की बात कही। अलीगढ़ में कुल ३८९ गांव हैं, जहां ओले पड़े हैं। ७४ गांवों में ५ तहसीलों में पड़ा है, ३१ दिसम्बर, ८ जनवरी, ३१ जनवरी, ८ फरवरी, और २० फरवरी के जिले में २० गांव ही ऐसे हैं जिनमें ८ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्हीं को रेमिशन दिया जायगा। रेवेन्यू मैनुअल के स्टैंडिंग आर्डर्स हैं उसी की मातहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमेशा रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा था अखबार में उस वक्त तक उनकी रिपोर्ट नहीं आयी थी इसलिये हमने ३० मार्च को रिपोर्ट भेजने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया था और इसके बाद रिमाइन्डर भी दिया था।

अब राजकुमार जी ने जो मिर्जापुर के लिये बात कही वह होगी। जब उन्होंने कहा तभी हमने लिखा था कि क्या स्थिति है और क्या वाकई वहां टेस्ट वर्क खोलने की जरूरत है। वैसे मैं एक आम बात यह कह देना चाहता हूं कि वहां इतने मजदूर काम करते हैं क्योंकि वहां रिहन्ड डैम बन रहा है, सीमेंट फैक्ट्री बन रही है और रेलवे लाइन भी बन रही है और वहां जिले के कोने-कोने से गोरखपुर के मजदूर हैं। कम से कम दो साल की रिपोर्ट ऐसी है। लेकिन पता नहीं कि क्या कारण है कि लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि हमेशा गवर्नमेंट की मदद के तलबगार रहते हैं। खैर जब वहां से रिपोर्ट आजायगी तब मैं राजकुमार जी से बात करूंगा।

बनारस में ओला पड़ा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट दी, फिर दूसरी रिपोर्ट दी, फिर तीसरी दी और चौथी दी और ५ मार्च को कम्पलीट रिपोर्ट भेजी कि १२५ गांव ऐसे हैं जहां १२ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है और ९२ गांव ऐसे हैं जहां ८ आने से १२ आने तक

नुकसान हुआ है और २१७ गांव ऐसे हैं जहां ८ आने से कम नुकसान हुआ है। इस तरह से उन्होंने ४२९ गांव का रकबा अफेक्टेड बताया है और एरिया ३५,४२४ एकड़ लिखा है। वहां की आबादी करीब डेढ लाख है। वहां के लिये गवर्नमेंट ने २५ हजार रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये, १० हजार ग्रैचुइटी रिलीफ और डेढ़ लाख रुपया तकावी के लिये मंजूर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बनारस के इलाके में हमने जितना रुपया दिया है उतना रुपया हमने सूबे के किसी भी जिले में कभी नहीं दिया। पिछले साल गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के इलाके में हेल पड़ा था लेकिन इतना रुपया वहां नहीं दिया गया। रुपया तो लुटा दिया जाय मगर सवाल यह है आए कहां से।

रामजी सहाय से मैं दस्त बस्ता दरख्वास्त करूंगा कि वह कोई भी बात बलपूर्वक कहें मगर कड़वाहट नहीं होनी चाहिये। ४, ५ लाख अफारेस्टेशन के लिये रक्खा गया है तो वह पूछते हैं कि कब फारेस्ट लगेगा। कब लगेगा आप ही बता दीजिये? फारेस्ट हथेली पर तो उगाया नहीं जाता है। कोई भी बात सोचकर और समझकर कहनी चाहिये, इतनी कड़वाहट करने से क्या फायदा है। मैं नहीं चाहता कि देवरिया के लोगों को तकलीफ रहे लेकिन रामजी सहाय जो जो हमेशा कड़वाहट इस तरह की पैदा करते रहते हैं उनको भी उसे बन्द करना चाहिये क्योंकि उससे तकलीफ होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साहब एक जगह के बारे में टेस्ट वर्क की बाबत दो साल से रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ नियम के विरुद्ध शिकायत थी, इसलिये मैंने उसको नहीं माना। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को सदन की स्वीकृति के लिये फिर पेश करता हूं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी इतना आवेश में आजायेंगे कि वह हम से ही नहीं अपने कपड़े-लत्ते से गुस्सा करने लगेंगे।

श्री अध्यक्ष--होली की शाम है, थोड़ा सा कुछ रंग चढ़ जाता है।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं और क्या कहूं, समय थोड़ा है लेकिन इतनी मैं जरूर उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह ऐसी स्थिति में हमको लाना चाहते हैं जिस को हम नहीं चाहते हैं कि कम से कम उस स्थिति में आयें। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के पड़ोस में पांच हजार आदमी काम करते हों चार आने और पांच आने पर और चार आने और पांच आने पर भी यह कहते हों कि हम काम करने के लिये तैयार हैं और हमारी रोजी बन्द न की जाय, वैसी हालत में माननीय राजस्व मंत्री जी उस काम को बन्द करादें यह कम से कम उनके स्वभाव और उनके चरित्र की सारी चीजों के विरुद्ध बात, मैं समझता हूं, उन्होंने की है और वह चूंकि गेंदा सिंह का इलाका है, इसलिये वहां की है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि हम क्या करें। मैं दूसरा कोई रास्ता नहीं समझता सिवाय इसके कि इनके दरवाजे पर जायं और इनका दरवाजा खटखटायें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पांच या दस हजार आदमियों का गुजारा करा सकें। यह नहीं हो सकता है और जब नहीं हो सकता है तो उसके लिये मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं धमकी बिलकुल नहीं देता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर जायेंगे और मेरे दिमाग की सफाई के लिये वह बार-बार कहते हैं कि अपने दिमाग की सफाई कर लो। मैं उनसे कहता हूं कि माननीय रामजी सहाय और शिवनारायण जी की बातों के बाद भी अगर उनके दिमाग की सफाई नहीं होती है, तो फिर दिमाग की सफाई कैसे होगी? वह अंग्रेजों की छापी हुई पोथी सुना देते हैं। उस पोथी को हमें फेंक देना चाहिये, उस पोथी को हमें ठोकर मार देनी चाहिये, उसको एक मिनट नहीं रखना चाहिये। उस पोथी को उस बूढ़े ने फेंक देने के लिये बताया जिस के नाम पर आप यहां बैठे हुये हैं। वैसे मैं आवेश में न आकर के उनसे कहना चाहता हूं कि उस

[श्री गेंदा सिंह]

पोथी में यदि कोई अच्छी चीज हो तो उसको ग्रहण कर लीजिये। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो भूखों मारे, तो वह फेंकने की चीज है। क्या आप उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं? जब जमींदारी एबालिशन का कानून आप पास कर सकते हैं तो क्या इस फैमीन कोड का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है जिसमें लिखा है कि भूखों मारो? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी अवहेलना की और उस अवहेलना की सूचना मैंने माननीय मंत्री जी को दी, उस सूचना के देने के बाद उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके साथ वे क्या कर रहे हैं। मैं देवरिया की बात कहता हूं कि ४८७ गांवों की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दी और ४८७ गांवों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि बाढ़ आयी। मैं कहता हूं कि दो हजार गांवों में बाढ़ से नुक्सान हुआ। एक मर्तबा नहीं दरजनों मर्तबा मैंने कहा होगा, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मिजाज पुरशी के लिये उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने किया होता तो कांग्रेस की बेंच पर बैठने वाला कोई मुझे झूठा बतलावे। मैं कहता हूं कि क्या यह बात नहीं है? मैं कुछ नहीं कहता हूं मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर मेरठ आदि के तीन चार या पांच आदमियों को भेजा जाय कि वे जा करके गाजीपुर, आजमगढ़ देवरिया, बलिया, गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों में देखें कि वहां की अवस्था क्या है। मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं कि जो माननीय राजस्व मंत्री जी के विश्वासपात्र लोग हों उनको वे भेजें और वहां की अवस्था को दिखवायें और उसके बाद उनके कथन पर जो वह फैसला कर देंगे उसको मैं मानने के लिये तैयार हूंगा। मैं इससे ज्यादा चुनौती माननीय राजस्व मंत्री जी को नहीं दे सकता और वे इस चुनौती को स्वीकार करें और उसके बाद वे जो कुछ करेंगे उसके सामने मैं बो डाउन हो जाऊंगा। जो कुछ भी वह कहेंगे हम अपने को समर्पण कर देंगे। अगर इस प्रस्ताव को वह स्वीकार करें। माननीय राजस्व मंत्री यहां बैठे हुये हैं। वह इस बात को कहें कि चार आदमियों की वह एक कमेटी बनायेंगे। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म कमिश्नर साहब की तो लाल फीते वाली बात है। ४८७ या ४८८ गांव की बात वह मानने के लिये तैयार नहीं होंगे। मवेशी जरूर मरे और मैं कहता हूं कि २५ हजार मवेशी मरे। हजारों मवेशी लावारिश घूमते रहे यह रिपोर्ट है। इस पर भी वह कहते हैं कि श्री मलखान सिंह जी को कैसे पता लगा कि इतने मवेशी मरे। मैं कहता हूं कि कौन कहता है कि मवेशी नहीं मरे? आज उसका पता लगाने का किसका काम है? माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह कमेटी को यह भी काम करने के लिये कहें कि वह देखे कि मवेशी मरे या नहीं और जिसने रिपोर्ट दे दी तो क्या उनका यही काम है कि खड़े हो कर उसकी ताईद करें? मैं उनसे इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह इसके लिये एक इंक्वायरी कमेटी बिठायें। अगर यह चीज साबित न हो तो मेरे ऊपर मुकद्दमा चलायें। मैं बरदाश्त करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४, दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि) के अन्तर्गत १४,७४,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज का योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत, ३,३२,३२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह रुपया जो डिपार्टमेंट की तरफ से बीज खरीदा जाता है और जो खाद खरीदी जाती है और जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में लोहा, कोयला, सीमेंट, इंजिन, पम्पिंग सेट्स वगैरा सामान खरीदा जाता है, उसके लिये है। अधिकतर रुपया बीज और खाद खरीदने के लिये है जो किसानों को दिया जाता है। जहां इतना खर्च दिखाया गया है वहां उतनी ही आमदनी भी हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिये।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ विवादास्पद बात नहीं है और इसमें तीन करोड़ रुपये का जो व्यय है वह किस प्रकार से होता है और किस योजना के अनुसार होता है जो योजना राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत की होती कि उसके अनुसार यह व्यय होगा तो ठीक था लेकिन उन्होंने इसका कुछ भी विवरण नहीं दिया।

इसके अन्दर जो महत्वपूर्ण बात बीज के संबंध में है उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सवाई सिस्टम है, इस पुस्तिका के पढ़ने से मालूम हुआ कि वह खत्म की जाती है। लोगों को बीज दिया जाता है और उनसे कैश लिया जाता है। जहां तक बीज बांटने का सिस्टम है, वह यह है कि रद्दी किस्म के बीज माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ से दिये जाते हैं, शायद उनके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात को जानता है और यहां पर भी इस अनुदान की पुस्तिका में लिखा गया है। मैं दो चार आंकड़े पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो खर्च किया जायगा वह लिखा है ३,३२,३२,००० रुपया लेकिन जो आय होगी वह आय दिखाई गई है, ३,६६,५९,९०० रु०। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ३४,२७,९०० रु० की बढ़ोत्तरी या वृद्धि होगी। लेकिन यह जो वृद्धि होगी उसका जो डिटेल है वह हमारी इस पुस्तिका में नहीं दिखलाया गया है। यह दिखलाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि यह जो रुपया खर्च हो रहा है और होता है प्रति वर्ष, उसकी भी कोई एक योजना होनी चाहिये। एक योजना से वह रुपया खर्च किया जाना चाहिये जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो ६ करोड़ और कुछ लाख आदमी रहते हैं, उनको सेल्फ सफीशियेंट बनाया जा सके और जिन स्थानों पर स्कैयरसिटी एरियाज हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा अन्न किस प्रकार से पैदा कर सकें, किस प्रकार के बीजों और किस प्रकार की सहायता देकर वहां ज्यादा अन्न उत्पादन कर सकें, इसकी भी योजना होनी चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इन रुपयों के खर्च करने की योजना बनाने की आवश्यकता है जैसे कि यहां पर आलू के संबंध में योजना रखी गयी है। माननीय राजस्व मंत्री जी को यह पता है कि जैसे गढ़वाल का एरिया है, जहां तक लम्बाई-चौड़ाई का संबंध है वह यू०पी० का सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा जिला है और ५ हजार से अधिक स्क्वायर मील उसकी एरिया है, लेकिन हम देखते हैं कि कई वर्ष बीत गये, पर अभी तक कोई योजना वहां के लिये नहीं रखी गई कि किस प्रकार के बीज वहां सप्लाई किये जायं जिससे कि वह अन्न ज्यादा अपने यहां उत्पादन कर सकें और जिससे वहां के लोग फूड के मामले में सेल्फ सफीशियेंट हो जायं। उसी प्रकार से टेहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की भी आवश्यकता है और इसी प्रकार से पूर्वी जिलों और अन्य जिलों के लिये भी योजना बनाने की आवश्यकता है।

एक बात और है कि जो २,५१,९५० रु० फर्टिलाइजर्स के लिये रखा गया है उसमें यह मालूम नहीं होता कि यह किस प्रकार से बांटा जायगा। यह स्पेशल फार्मों में जायेंगे या उन किसानों के ऊपर जो कि इसको खरीद नहीं सकते, उनके ऊपर भी यह लादा जायगा, इसका भी कोई विवरण नहीं है और न कोई सिस्टम डिस्ट्रिब्यूशन का इसके अन्दर दिखाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर बैठार्णा]

इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो इतना रुपया यह खर्च होगा उसको एक प्लांड सिस्टम से, सिस्टेमेटाइज्ड वे से इस उद्देश्य को सामने रखते हुये खर्च करने की योजना वह बनायें जिससे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्कैर्सिटी एरियाज हैं उनको इस प्रकार के बीज दिये जायं जिससे कि वह अपने यहां अन्न की पैदावार बढ़ा सकें। एक शिकायत यह भी है कि बीज उपयुक्त समय पर नहीं पहुंचते हैं। जब बीज बोने का टाइम होता है उस टाइम पर बीज कभी नहीं पहुंचते और जब सीजन उनका चला जाता है तब वह पहुंचते हैं। इसलिये सबसे आवश्यक बात यह है कि अच्छे से अच्छे बीज उपयुक्त समय पर पहुंच जायं जिससे कि लोग अधिक अन्न पैदा कर सकें। उसी तरह से लोग जो अन्न उससे पैदा करें वह सवाये सिस्टम से उनसे लेना आवश्यक है जिससे कि अच्छे बीज तैयार करें और फिर वह उनको दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैं कुछ प्रार्थना माननीय मंत्री महोदय से करना आवश्यक समझता हूं। पहली बात तो बीज वितरण के संबंध में मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह कहनी है कि सही मानी में जिन लोगों को बीज पहुंचना चाहिये व्यवहार यह बताता है कि उनमें से अधिकांश को बीज नहीं पहुंच पाता है। कहने का उद्देश्य यह है कि सरकार का मंशा छोटे किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक दशा को सुधारना होना चाहिये और मैं समझता हूं कि यही है। लेकिन व्यावहारिकता और मेरा अनुभव यह बताता है कि आज बड़े बड़े किसान जो बीज का प्रबन्ध कर सकते हैं वह लोग कर्मचारियों की लापरवाही से या यूं कहिये कि उनके हृदय में निष्पक्षता का भाव न होने के कारण बड़े फार्म वालों को इससे ज्यादा फायदा पहुंचता है और मेरे सामने ऐसे उदाहरण भी आये हैं कि लोग एक तरफ बीज गोदामों से बीज ले गये हैं और दूसरी तरफ छोटे किसानों को वही बीज बेचा गया है। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक दूसरी बात मैं नलों के बढ़ाने के सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार की सहायता के कारण या आज की आवश्यकताओं ने हमारे किसानों में एक जागृति पैदा कर दी है कि वह सिंचाई के नल बहुत तादाद में लगा रहे हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि सरकार की नयी स्कीम से या कृषि विभाग ने जो खोज की है उससे फायदा उठायें। लेकिन समय पर बोरिंग करने के लिये लोगों को सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती और इसका कारण मैं अपने जिले के अनुभव से यह समझता हूं कि मेरे जिले में बोरिंग करने के सिर्फ चार सेट हैं और बहुत से लोगों की मांगें रहती हैं। उसके लिये इसमें ६ लाख रुपया नये बोरिंग सेट्स खरीदने के लिये रखा गया है। यह धन इस समय की आवश्यकता को देखते हुये कम है। हर जिले में जहां भी आवश्यकता हो अधिक बोरिंग सेट्स होने चाहिये। साथ ही यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि आज सरकार की नीति में और राज कर्मचारियों की नीति में यह विशेषता होनी चाहिये कि पहले छोटे किसानों को इस तरह की सहायता हो। पहले उनको इस तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जाय। उसके बाद बड़े किसानों को लिया जाय। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि बड़े फार्म वाले इस प्रकार की योजनाओं से ज्यादा फायदा उठाते हैं और छोटे काश्तकार रह जाते हैं जो सही मानी में इस प्रकार की योजनाओं से फायदा उठाने के अधिकारी हैं। साथ ही मैं इस खोज पर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। हड्डी से खाद बनाने की योजना पर भी एक लाख के ऊपर धनराशि रखी गई है। हमारी खाद की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और हमारे किसान नयी किस्म की खाद इस्तेमाल करने के बहुत इच्छुक हैं। इसलिये हमारी प्रान्तीय सरकार इस कार्य के लिये विशेष धन्यवाद की पात्र है। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार को इस ओर तुरन्त अपना कदम उठाना

चाहिये जिससे किसान की मांग पूरी हो सके। इसके साथ ही साथ मैं अन्त में माननीय मंत्री को धन्यवाद देकर बैठ जाना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि मैंने जो इस विभाग की अनियमितताओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया उस तरफ वह ध्यान देंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं, उन होंने यह शिकायत की कि पहाड़ों में सवाई सिस्टम खत्म किया जा रहा है, जब कि दूसरी जगहों पर सवाई सिस्टम पर बीज दिया जाता है। मुझे जो मालूम हुआ है वह यह है कि आलू का बीज जो पहाड़ों में दिया जाता है वह पहले सवाई के आधार पर दिया जाता था और उससे आफिसरों का तजुर्बा यह हुआ कि जिस किस्म का बीज वह लेते थे, उससे निकृष्ट किस्म का बीज वह वापस करते थे और जब बराबर उनका यही रवैया रहा तो उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा और मैंने उनको लिखा कि ठीक है आप उन लोगों से रुपया लें। इसके लिये इसलिये मजबूर हुये कि जिस किस्म का बीज उनको दिया जाय वह उस किस्म का न दें और उसे बाजारों में बेंच दें तथा खराब किस्म का वापस करें या देने की कोशिश करें और उसका यह भी कारण हो सकता है कि राज कर्मचारियों से उनकी कोई साठ-गांठ हो और इसलिये वह बीज खराब दें, और मेरे माननीय मित्र शिकायत करें, तो यह ठीक नहीं है। इसलिये यह तो आलू के बीज के मुताल्लिक ठीक है और यह मेरी ही रजामन्दी से फैसला हुआ है। लेकिन और बीजों के बारे में भी ऐसा हुआ यह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा हुआ है और अगर उस पर कोई ऐसा हुक्म हो गया है, बिला किसी माकूल वजह के, तो वह हुक्म मन्सूख हो जायेगा, इसका मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाता हूं।

दूसरी बात मेरे माननीय दोस्त ने यह कही कि बीज खराब किस्म का मिलता है। हो सकता है लेकिन यह बीज दो किस्म का होता है जिसके बारे में कभी-कभी हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। एक तो इस तरह के ४ सौ के करीब है जो कि कोआपरेटिव सीड स्टोर हैं और दूसरे २ सौ से कुछ ही ज्यादा बेसिक सीड स्टोर हर तहसील में कृषि विभाग की ओर से हैं। तो जो बेसिक सीड स्टोर हैं उनकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है लेकिन जो कोआपरेटिव सीड स्टोर हैं उसकी जिम्मेदार वह हैं कि जो सोसाइटी के मेम्बर हैं। अब जहां तक बेसिक सीड स्टोर का सवाल है और उसमें बीज के अच्छा या नाकिस होने का सवाल है, तो उसके लिये हमने बहुत कोशिश की है और बराबर डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि हालत पहले से बहुत अच्छी है। अब चूंकि उनका कहना यह है और इस पर भी अगर किसी मेरे दोस्त को कोई शिकायत है तो जो भी मेरे मित्र इस बात को नोटिस में लायेंगे, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जायेगी। एक बात मैं इस सदन की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि पिछले साल ४७ सीड स्टोर के बारे में शिकायतें आईं और उनके सुपरवाइजर के खिलाफ हमने ऐक्शन भी लिया और उनमें से कुछ को डिसमिस भी कर दिया गया। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी थीं जो कि बाद में सही नहीं सिद्ध हो सकीं। मेरे एटा जिले के एक माननीय मित्र ने मेरे पास चिट्ठी भेजी और उसमें कुछ शिकायतें की गई थीं। उसके बारे में वहां से रिपोर्ट मंगाई गई, लेकिन रिपोर्ट के आने से पहले ही मैंने सुपरवाइजर के सस्पेंशन का हुक्म दे दिया। लेकिन जब रिपोर्ट तफसील के साथ आई और जिन लोगों ने रिपोर्ट के साथ अपने दस्तखत भेजे वह रिपोर्ट ऐसी आई कि स्टोर सुपरवाइजर बिल्कुल बेगुनाह है। उस बेचारे की हिमाकत हुई, बदनामी हुई, क्योंकि एक शिकायत के आने पर ही उसको ससपेन्ड कर दिया गया। इसी तरह से फतेहपुर से एक साहब की शिकायत आई और उसमें उन्होंने इतनी चढ़ा-बढ़ाकर बातें लिखीं थीं कि मालूम होता था कि बात वाकई में सही है और हमने फौरन उसको ससपेन्ड कर दिया बगैर किसी तहकीकात के ही और बाद में मालूम

[श्री चरण सिंह]

हुआ कि वह निर्दोष है तो फिर इस तरह से शिकायतें आयीं और जिम्मेदार आदमियों की तरफ से आयीं और उसी बुनियाद पर हमने एकदम अमल कर डाला जैसा कि हमने पहले कई बार कर डाला, तो अब हम इस तरह की बातों पर अमल करने से झिझकने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि जो बात की जाय, वह मिसाल दे करके और अपनी पूरी तहकीकात करके ही की जाय। लेकिन इधर-उधर की सुन ली और उसी को जनरलाइज कर डाला तो यह गलत करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे न तो जनता का फायदा होगा और न हमारा ही किसी तरह का कोई फायदा होता है और न गवर्नमेंट को किसी तरह से इमदाद मिलती है। इसलिये माननीय मित्रों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि वह पूरे उदाहरण के साथ और पूरी तहकीकात करके यदि मुझे इत्तिला कर दें तो उसके ऊपर कार्यवाही जरूर की जायेगी। अब जहां तक इसका सम्बन्ध है कि महीलाल जी ने जो यह कहा कि छोटे किसानों को पहले बीज दिया जाय। अगर दो किसान हैं एक बड़ा है और एक छोटा है तो छोटे को देने की कोशिश की जायगी। लेकिन एक बात समझ लेने की है और वह यह है कि सब किसानों को बीज नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इतना बीज नहीं है। यह सीड स्टोर इसलिये है कि अच्छी नसल के बीज का प्रसार किया जाय ताकि लोगों को मालूम हो सके। इसलिये उनको थोड़ा सा बीज दिया जाय और फिर वह लोग अपना खुद बीज पैदा करें। बीज की हर किसान को जितनी जरूरत है वह उससे नहीं ले सकता है क्योंकि इतना नहीं है। इसलिये हमने यह तय किया है कि एक बार जिसको बीज मिल जायगा दूसरे साल उसको नहीं मिलेगा। अगर उसको जरूरत होगी तो वह खुद पैदा करे और खुद फसल बोकर पैदा करे। इसलिये सीड स्टोर पर किसानों को भरोसा नहीं करना चाहिये सिवाय इसके कि कोई नया बीज हो तो उसको वह लें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री ने अपने विचार नहीं प्रकट किये। मैं तो अपने जिले की बात कहता हूं कि आलू का सीड तो आता है लेकिन और सीड वहां पर बहुत कम आता है। जो वहां पर उपज होती है उसके लिये बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की जाती है और न कोई ऐसा प्रयत्न ही किया जाता है जिससे वहां पर सेल्फ सफिशेन्सी हो। यह एक प्रश्न है और इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या ४३—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत 'लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खेज की योजनाओं पर पूंजी की लागत' के अन्तर्गत ३,३२,३२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—कुछ कमेटियों के लिये मैंने कार्यक्रम रखा। था उसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २४ मार्च और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के लिये २५ मार्च और नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि ३० मार्च रखा था।

यह समितियां यह थीं—(१) वित्त समिति, (२) प्राक्कलन समिति, (३) सार्वजनिक लेखा समिति और मंत्रियों के लिये परामर्श देनेवाली समितियां। इन सब के लिये यह समय निश्चित किया था। लेकिन मुझे यह सूचना मिली है कि इस कार्यक्रम पर अगर अमल किया जाय तो शायद चुनाव होना अवश्यम्भावी होगा। मंत्रियों की परामर्शदात्री समितियां जितनी हैं वह सदन की सर्वसम्मति से और समझौते से पहिले होती रही हैं। सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिये समय कम होने के कारण अधिक समय चाहा जा रहा है। इसलिये मैं यह निश्चित करता हूं कि अब—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	..	६ अप्रैल
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	..	७ अप्रैल
नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि	..	१२ अप्रैल को होगी।

यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो उसके लिये तिथि और स्थान की सूचना बाद को दी जायगी।

सदन का आगामी कार्य-क्रम

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आगे का प्रोग्राम क्या है। क्योंकि २६ तारीख तक का प्रोग्राम तो हमें मालूम है। बात यह है कि बजट के दिनों में तो मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करना नहीं चाहता हूं लेकिन यह चाहता था कि उसको इसी माह में पेश कर दूं यदि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना प्रोग्राम बता दें तो अच्छा होगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—२५ तारीख तक का तो कार्यक्रम है ही। २६ तारीख को नान आफीशियल डे हो सकता है। होगा भी कि नहीं यह अभी ठीक तरह से निश्चत रूप से नहीं कह सकता हूं। २७, २८ और २९ को मैं चाहता हूं कि असेम्बली न हो। एक सवाल यह भी रह जाता है कि ३ दिन, ४ दिन या ५ दिन न हो, यह बात जरा सोचने की है। जिस दिन खाली हो उस दिन आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। मैं समझता हूं ३१ तारीख तक कोई न कोई दिन आपको खाली मिल ही जायगा। अगर न मिल सका तो दूसरी बात है उसकी लिमिट एक्सटेण्ड हो सकती है।

एक सदस्य—१ अप्रैल को आप पेश कर दीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मुझे कोई ऐतराज नहीं है एक अप्रैल को भी मैं उसे पेश कर सकता हूं।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—आप तो अप्रैल क्या हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे दिन को भी एक अप्रैल बना सकते हैं। इसके बाद कुछ नान आफीशियल डे हमने देने को कह रक्खा है। उसके बाद सिविल लाज बिल है, जमींदारी के रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ और बिल्स हैं। इस तरह से काम होगा। बाकी तफसील बाद को पेश की जायगी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमन, १९५४

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अनुसार नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९९/२ बी/१५१-५०, दिनांक, २९ जनवरी, १९५४ के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रतेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमन, १९५४ सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५१ की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गयी १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन, जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११३०/१-अ---१६९९-१९५३, दिनांक ११ मार्च, १९५४ के अधीन उक्त दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विवाद के लिये कोई समय निश्चित करने की दरख्वास्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी कोई समय निश्चित करना सम्भव है ?

श्री चरण सिंह---जब चाहें रख दें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---आपको कब सुविधा होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पंत)---अभी तो इसके लिये समय निश्चित करना कठिन है लेकिन उसके लिये समय निकाला जायगा। जैसा मैंने कहा कि अभी २५ तारीख तक तो असेम्बली चलेगी ही। उसके बाद क्या होगा इसका निश्चय नहीं है। २१, २२ तारीख तक पूरा विवरण मैं सामने रख दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो चल रहा है सेशन का, मेरा निवेदन है कि उसी के अन्दर यह हो जाय। चाहे अप्रैल तक चले मगर जो ४, ५ हमारे कार्यक्रम हैं उनमें तीन दिन गैर-सरकारी दिन मिलने चाहिये।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त---गैर सरकारी दिन दो तो पुराना ही कर्जा है और अगर २६ तारीख को भी नहीं हो सका तो ३ दिन हो जायगा और अगर २६ को हुआ तो दो दिन कर्जा रहेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३ मिनट पर सोमवार, २२ मार्च, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१६ मार्च, १९५४

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

जिला	विभाग		ग्रबन की गई धनराशि		
१	२		३		
			रु०	आ०	पा०
बिजनौर ..	१—निष्क्रान्त सम्पत्ति		८४५	११	०
	२—गृह पुलिस (ए)		६२	१५	०
	३—वित्त (लेखा)	१	८४५	११	०
	खजाने और मातहत	२	२६६	२	६
	खजाने	३	५०६	१२	६
			२,५३३	४	०
शाहजहाँपुर ..	१—निष्क्रान्त सम्पत्ति		६३	४	०
	२—माल (बी)		२,०००	०	०
			२,०६३	४	०
मुरादाबाद ..	१—निष्क्रान्त सम्पत्ति	१	१,२२७	१२	६
	,,	२	१	८	०
	२—सिंचाई	१	१	३	०
	,,	२	२६	११	०
	,,	३	११	०	०
	३—खाद्य तथा रसद (बी)		११,३००	०	०
	४—उद्योग (ए)		३४८	१२	०
			१२,६१६	१४	६
फैजाबाद	१—जन-स्वास्थ्य		६,१६२	२	६
सीतापुर ..	१—कृषि (ए)		६६६	१३	६
	२—गृह पुलिस (ए)		२८२	७	०
			६७६	४	६
बाराबंकी ..	१—कृषि (ए)		१,६६३	७	३
	२—खाद्य तथा रसद (सी)	१	६६६	६	२
	,,	२	८६	०	०
			३,०८१	१३	५

जिला	विभाग		ग्रबन की गई धनराशि		
१	२		३		
			रु०	आ०	पा०
रायबरेली ..	१—कृषि (ए)		२९	२	०
	२—उद्योग (ए)		४०४	२	०
	३—पंचायत राज		३२७	७	६
			७६०	११	६
जौनपुर ..	१—कृषि (ए)		२,३००	०	०
	२—वित्त (लेखा) खजाने और मातहत खजाने		९४	१४	६
			२,३९४	१४	६
बरेली ..	१—कृषि (ए)		१९,६११	०	०
	२—गृह पुलिस (ए)		६४,६२५	०	०
	३—चिकित्सा (ए)		१,२३७	७	०
	४—खाद्य तथा रसद (सी)		२९,४५६	११	६
	५—गृह फौजदारी		११,४६५	०	०
	६—पंचायत राज		१,९५०	०	०
	७—वाहन		१,२४७	१३	०
	८—माल (ए)		३,०००	०	०
	९—वित्त (लेखा) खजाने और मातहत खजाने	१	५,४००	०	०
		२	१,१००	०	०
		३	२५,७३०	०	०
			१,६४,८३२	१५	६
बदायूं ..	१—कृषि (ए)	१	३७	०	०
		२	१,३००	०	०
			१,३३७	०	०
रामपुर ..	१—कृषि (ए)		२,०००	०	०
	२—गृह पुलिस (ए)		१२७	३	६
	३—माल (बी)		२,९१०	१०	०
			५,०३७	१३	६

जिला		विभाग		ग़बन की गई धनराशि		
१		२		३		
				रु०	आ०	पा०
मेरठ	..	१—गृह पुलिस (ए)		८,५०९	२	०
		२—खाद्य तथा रसद (सी)		२९,९१६	३	०
		३—पशु-पालन		२४१	५	०
		४—उद्योग (ए)	१	२००	०	०
		"	२	२५	०	०
		"	३	३५	०	०
		"	४	२६	०	०
		५—वाहन		१४,५६०	०	०
		६—न्याय (ए)		६२०	०	०
				५४,१३२	१०	०
सहारनपुर	..	१—गृह पुलिस (ए)		१९०	०	०
इटावा	..	१—गृह पुलिस (ए)		५०१	९	०
		२—पशुपालन		२,९६०	०	०
				३,४६१	९	०
फर्रुखाबाद	..	गृह पुलिस (ए)		१९१	६	५
जालौन	..	गृह पुलिस (ए)		२१४	१४	६
खेरी	..	गृह पुलिस (ए)		१,४६३	१४	०
बहराइच	..	गृह पुलिस (ए)		२०९	८	०
लखनऊ	..	१—गृह पुलिस (ए)		८६५	३	०
		२—चिकित्सा (ए)		१,०६१	६	०
		३—सिंचाई		२,३५६	१४	३
		४—खाद्य तथा रसद (सी)		७३८	०	३
		५—पशुपालन		९५८	३	०
		६—उद्योग (ए)		१,४२६	८	३
		७—सहायता तथा पुनर्वास (ए)		१,५८३	७	३
		८—वाहन	१	४२१	५	०
		"	२	२३७	४	०
		९—खाद्य उत्पादन (ए)		२,३५६	१४	०
				१२,००५	१	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	विभाग		गबन की गई धनराशि		
१	२		३		
कानपुर ..	१—नगर (बी) स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग कुआं गड़ाना		रु०	आ०	पा०
			११३	५	६
	२—वित्त सेवायें व रजिस्ट्री		०	६	०
	३—उद्योग (ए)	१	१४४	१२	०
	,,	२	४३९	१४	३
	,,	३	५६७	९	६
	४—माल (बी)		३०७	१४	०
	५—गृह फौजदारी	१	४९,७५२	१	०
	,,	२	६,४५२	०	०
	६—वाहन		८८	२	०
			५७,८६६	०	३
इलाहाबाद ..	१—शिक्षा (बी)		४०,०००	०	०
	२—सिंचाई		३२२	१४	६
	३—खाद्य तथा रसद (सी)		१४,९६१	०	०
	४—उद्योग (ए)		६६५	९	९
	५—वित्त (लेखा) खजाने तथा मातहत खजाने		४,५४२	१०	५
			६०,४९२	२	८
झांसी ..	१—खाद्य तथा रसद (सी)		५७४	५	०
	२—पंचायत राज		८००	०	०
			१,३७४	५	०
नैनीताल ..	पशुपालन		१७७	८	०
बुलन्दशहर ..	पशुपालन		३५०	७	०
बनारस ..	१—पशुपालन		२००	०	०
	२—माल (ए)		३२,२२०	१३	४
			३२,४२०	१३	४
अल्मोड़ा ..	१—उद्योग (ए)		१,२५६	११	०
	२—माल (बी)		८८५	०	०
	३—पंचायत राज		२,७०२	१३	०
			४,८४४	८	०

जिला	विभाग		गबन की गई धनराशि		
१	२		३		
			रु०	आ०	पा०
गढ़वाल ..	माल (सी) सरकारी संपत्तियां		४७५	१५	४
टेहरी-गढ़वाल ..	१—माल (बी)		५७३	०	०
देवरिया ..	१—माल (बी)		१,३९७	९	९
	२—गृह फौजदारी		१८८	१	०
	३—माल (ए)		७,९६६	११	२
			९,५५२	५	११
गोरखपुर ..	१—माल (बी)		१,०७१	०	०
	२—वाहन		६,६३९	०	९
			७,७१०	०	९
देहरादून ..	सहायता तथा पुनर्वास (ए)		२,००२	१	०
प्रतापगढ़ ..	सहायता तथा पुनर्वास (ए)		१,१७४	११	०
गोंडा ..	पंचायत राज		११,४७७	०	६
बलिया ..	माल (ए)		३६	६	०
सुल्तानपुर ..	माल (ए)		७२२	४	६
हरदोई ..	न्याय (ए)		१६४	०	०
आजमगढ़ ..	वित्त (ए)	१	४११	०	०
	खजाने तथा	२	१२,०००	०	०
	मातहत खजाने	३	७,७२३	०	०
			२०,१३४	०	०
	कुल योग ..		४,८८,५०६	१०	४
निष्क्रांत सम्पत्ति ..	१—बिजनौर		८४५	११	०
	२—शाहजहांपुर		६३	४	०
	३—मुरादाबाद		१२२७	१२	६
			१	८	०
			२१३८	३	६

विभाग	जिला	गबन की गई धनराशि		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
जनस्वास्थ्य ..	फैजाबाद	९१६२	२	६
कृषि (ए) ..	१—सीतापुर	६९६	१३	९
	२—बाराबंकी	१,९९३	७	३
	३—रायबरेली	२९	२	०
	४—जौनपुर	२,३००	०	०
	५—बरेली	१९,६११	०	०
	६—बदायूं	३७	०	०
	७—बदायूं	१,३००	०	०
	८—रामपुर	२,०००	०	०
		२७,९६७	७	०
गृह (पुलिस ए) ..	१—मेरठ	८५०९	२	०
	२—सहारनपुर	१९०	०	०
	३—इटावा	५०१	९	०
	४—फर्रुखाबाद	१९१	६	५
	५—जालौन	२१४	१४	६
	६—बरेली	६४,६२५	०	०
	७—बिजनौर	६२	१५	०
	८—खीरी	१,४६३	१४	०
	९—रामपुर	१२७	३	६
	१०—बहराइच	२०९	८	०
	११—लखनऊ	८६५	३	०
	१२—सीतापुर	२८२	७	०
		७७,२४३	२	५
म्युनिसिपल (बी)	कानपुर	११३	५	६
स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग कुंआं गलाना				
चिकित्सा (ए)	१—लखनऊ	१,०६१	६	०
	२—बरेली	१,२३७	७	०
		२,२९८	१३	०
शिक्षा (बी)	इलाहाबाद	४०,०००	०	०

विभाग	जिला		गबन की गई धनराशि		
१	२		३		
			रु०	आ०	पा०
सिंचाई	१—मुरादाबाद	१	१	३	०
		२	२६	११	०
		३	११	०	०
	२—इलाहाबाद		३२२	१४	६
	३—लखनऊ		२,३५६	१४	३
,,			२,७१८	१०	९
खाद्य तथा रसद (सी)	१—मेरठ	१	२९,९१६	३	०
	२—मुरादाबाद	१	११,३००	०	०
	३—बाराबंकी	१	९९९	६	२
			८९	०	०
	४—इलाहाबाद	२	१४,९६१	०	०
	५—झांसी		५७४	५	०
	६—बरेली		२८,४५६	११	६
	७—लखनऊ		७३८	०	३
			८८०३४	९	११
पशुपालन ..	१—लखनऊ		९५८	३	०
	२—नैनीताल		१७७	८	०
	३—इटावा		२,९६०	०	०
	४—मेरठ		२४१	५	०
	५—बुलन्दशहर		३५०	७	०
	६—बनारस		२००	०	०
			४,८८७	७	०
वित्त (सेवायें) रजिस्ट्री, कानपुर			०	६	०
उद्योग (ए) ..	१—मेरठ	१	२००	०	०
		२	२५	०	०
		३	३५	०	०
		४	२६	०	०
	२—मुरादाबाद		३४८	१२	०
	३—कानपुर	१	१४४	१२	०
		१	४३९	१४	३
		२	५६७	९	६
	४—इलाहाबाद		६६५	९	९
	५—लखनऊ		१,४२६	८	३
	६—अल्मोड़ा		१,२५६	११	०
	७—रायबरेली		४०४	२	०
			५,५३९	१४	९

लगभग

विभाग १	जिला २		गबन की गई धनराशि ३		
			रु०	आ०	पा०
माल (सी) सरकारी सम्पत्तियां ..	गढ़वाल		४७५	१५	४
माल (बी) ..	१—अलमोड़ा		८८५	०	०
	२—टेहरी-गढ़वाल		५७३	०	०
	३—देवरिया		१,३९७	९	९
	४—शाहजहांपुर		२,०००	०	०
	५—रामपुर		२,९१०	१०	०
	६—कानपुर		३०७	१४	०
	७—गोरखपुर		१,०७१	०	०
			९,१४५	१	९
गृह फौजदारी	१—देवरिया		१८८	१	०
	२—कानपुर	१	४९,७५२	१	०
		२	६,४५२	०	०
	३—बरेली		११,४६५	०	०
			६७,८५७	२	०
सहायता तथा पुनर्वास (ए)	१—देहरादून		२,००२	१	०
	२—प्रतापगढ़		१,१७४	११	०
	३—लखनऊ		१,५८३	७	३
			४,७६०	३	३
पंचायत राज ..	१—बरेली		१,९५०	०	०
	२—झांसी		८००	०	०
	३—अलमोड़ा		२,७०२	१३	०
	४—रायबरेली		३२७	७	६
	५—गोंडा		११,४७७	०	६
			१७,२५७	५	०
खाद्य उत्पादन (ए)	लखनऊ		२,३५६	१४	०
वाहन ..	१—लखनऊ		४२१	५	०
	२—मेरठ		१४,५६०	०	०
	३—बरेली		१,२४७	१३	०
	४—कानपुर		५४	०	०
	५—गोरखपुर		६,६३९	०	९
	६—रोडवेज कंट्रोल वर्कशाप कानपुर		३४	२	०
	७—इंफोर्समेंट ब्रांच लखनऊ		२३७	४	०
			२३,१९३	८	९

विभाग	जिला	गबन की गई धनराशि		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
माल (ए)	१—बरेली	३,०००	०	०
	२—बनारस	३२,२२०	१३	४
	३—बलिया	३६	६	०
	४—देवरिया	७,९६६	११	२
	५—सुल्तानपुर	७२२	४	६
		४३,९४६	३	०
न्याय (ए)	१—मेरठ	६२०	०	०
	२—हरदोई	१६४	०	०
		७८४	०	०
वित्त (लेखा) खजाने और मातहत खजाने	१—जौनपुर	९४	१४	६
	२—बरेली १	५,४००	०	०
	१	१,१००	०	०
	२	२५,७३०	०	०
	३—बिजनौर १	८४५	११	०
	२	२६९	२	६
	३	५०९	१२	६
	४—इलाहाबाद	४,५४२	१०	५
	५—आजमगढ़ १	४११	०	०
	२	१२,०००	०	०
	३	७,७२३	०	०
		५८,६२६	२	११
	कुल योग . .	४,८८,५०६	१०	४

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर ।)

LIST OF WELLS TO BE CONSTRUCTED IN TAHSILS KANAUJ AND CHHAIBRAMAU DISTRICT FARRUKHABAD.

Sl. No.	Name of Village where tube well is proposed.	Sl. No.	Name of Village where tube well is proposed.
	कन्नौज		
१	सरूतोबे	८	अकबरपुर
२	घमचमऊ	९	जसौली
३	माऊपुर	१०	उदेतपुर
४	महमूदपुर पट्टा	११	उदेतपुर
५	गंगधारापुर	१२	डडौरा खुर्द
६	हैबतपुर	१३	मनोमऊ
७	हैबतपुर	१४	बहादुरपुर मभौना
	छिबरामऊ		
१	उतराजपुर	१७	अनुदरयागंज
२	कमलपुर	१८	इस्माईलपुर
३	अकलापुर	१९	खदीदेवार
४	खेड़ा जगदीशपुर	२०	मझपुर
५	हरीनगर	२१	गरसाईगंज
६	नेवली	२२	गरसाईगंज
७	करामलापुर	२३	रसूलपुर
८	उनराय	२४	तोरा रब्बू
९	अलमनपुर	२५	अमीलाखास
१०	जातिमापुर	२६	भवानीसराय
११	टाढ़ा	२७	बुखरांवां
१२	तिराजाकेत	२८	सलीमपुर
१३	तिराजाकेत	२९	तालग्राम
१४	मझावत	३०	अलमनपुरजगरामऊ
१५	राजलामऊ	३१	राबा
१६	अनीभोज		

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६६ एल० ए०—१९५४—८५० ।